चतुर्दश माला, खंड 26, अंक 14

गुरुवार, 15 मार्च, 2007
24 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 26 May 2008

(खंड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 15 मार्च, 2007/24 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 260	4-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 से 2509	63-317
सभा पटल पर रखे गए पत्र	317-324
राज्य सभा से संदेश	324
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	324-325
रेल संबंधी स्थायी समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	325
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	325
कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव	325-326
नियम 377 के अधीन मामले	326-333
(एक) राजस्थान को ब्यास नदी से जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भंवर सिंह डांगावास	326
(दो) इंडो-एशियन मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत "सुपारी के व्यापार" को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	327
(तीन) गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई "चिरंजीवी योजना" के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	327-328
(चार) उड़ीसा में सहकारी बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले कृषि ऋण पर 2.2% की दर से अतिरिक्त ब्याज राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	328

विषय	कॉलम
(पांच) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में घोषित किए गए कश्यप, निषाद और प्रजापति जातियों को अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	329
(छह) पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट का उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मिनाती सेन	329–330
(सात) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि और बोनस का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	330
(आठ) देश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री रघुराज सिंह शाक्य	331
(नौ) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरिट के आधार पर अर्ह पाए जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण कोटे से हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरिधारी यादव	331
(दस) असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई विधान लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	332
(ग्यारह) ''विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष विकास अनुदान'' स्कीम के अंतर्गत पिछड़े जिलों के चयन संबंधी मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	332–333
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	337
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	338–346
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	347–348
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	347–350

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 15 मार्च, 2007/24 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): महोदय, राजस्थान में किसानों की बहुत हानि हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब, हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

प्रश्न 241-श्री पी. करूणाकरन।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हमने प्रश्न-काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, हमने क्वैश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल के स्थगन के संबंध में मुझे दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सामान्यत: ऐसी प्रथा नहीं है। प्रश्न-काल के बाद में 'शून्य-काल' में इस विषय को उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): जी नहीं, महोदय। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, वहां 50 से ज्यादा किसानों की हत्या हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आप राज्य के विषय को इस सदन में उठाने की अनुमति नहीं दे सकते। यह कानून व्यवस्था की समस्या है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब, श्री आडवाणी जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप उन्हें बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? किस नियम के अंतर्गत आप उनको अनुमति दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप आसन को चुनौती नहीं दे सकते। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अंतर्गत आप उनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो रूलिंग पार्टी के हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि हाउस सही तरीके से जरूर चले। मैंने सस्पेंसन आफ क्वेश्चन आवर के बारे में दो नोटिसेज रिसीव किए हैं। उनको मैं क्वेश्चन आवर के बाद लूंगा। हाउस चल सके, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आडवाणी जी कुछ कहना चाहते हैं, तो वह बोलें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लालकृष्ण आडवाणी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप उनको बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप किस नियम के अंतर्गत उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं? आप उन्हें अनुमति नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप आसन को चुनौती नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राज्यों को मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस का आबंटन

***241. श्री पी. करूणाकरन:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की मासिक मांग कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की अत्यधिक कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने राज्यों के लिए मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस का कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ङ) पीडीएस मिट्टी तेल एक आबंटित और राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन तिमाही आधार पर करता है। प्रत्येक कार्ड धारक को पीडीएस एसकेओ की दी जाने वाली मात्रा का निर्णय संबंधित राज्य सरकार/के.शा.प्र. द्वारा किया जाता है और यह मात्रा राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती है। भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) के आबंटन में 2001-02 से लेकर 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कमी की गई। जबकि 2004-05 के लिए आरंभिक आबंटन अब तक अपनाए गए मानदंडों पर आधारित था, किन्तु तत्काल अनिवार्य मांग पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन किए गए। वर्ष

2005-06 के लिए आबंटन 2004-05 के स्तर पर बनाए रखे गए हैं जिसमें उस वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आबंटन भी शामिल थे। वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन 2005-06 के स्तर पर बनाए रखे गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटित पीडीएस मिट्टी तेल की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

सरकार सुनिश्चित कर रही है कि देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आयातों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं। चालू वर्ष के प्रथम 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में ओएमसीज द्वारा कुल 46.76 लाख नए एलपीजी कनेक्शन और 9.97 लाख डबल बोतल कनेक्शन (डीबीसी) जारी किए गए हैं। घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 1.4.2004 में 7.72 करोड़ से बढ़कर 1.1.2007 को 9.25 करोड़ हो गई है।

तथापि कई बार प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण कभी-कभी बैकलाग उत्पन्न हो जाते हैं। ओएमसीज ने भारी वर्षा के कारण आपूर्तियों में व्यवधान, केरल में भरण संयंत्रों को बंद करा देने वाले श्रमिक आंदोलन और होली पर्व के कारण मांग में वृद्धि जैसे कारणों की वजह से तीन राज्यों में दो से चार दिन के बैकलाग की सूचना भेजी है। सरकार ने ओएमसीज को इन राज्यों में भरण संयंत्रों को छुट्टी के दिनों और बढ़ाए गए कार्य घंटों में चलाकर बैकलाग को समाप्त करने की सलाह दी है। पिछले तीन वर्षों के लिए घरेलू एलपीजी की राज्यवार खपत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

वर्तमान में भारत की मिट्टी तेल और एलपीजी की घरेलू खपत घरेलू उत्पादन से अधिक है। मिट्टी तेल और एलपीजी के घरेलू उत्पादन में कमी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

एलपीजी के आबंटन के लिए सरकार द्वारा कोई राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं है।

एसकेओ आबंटन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर भारत सरकार ने दिसंबर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से देश में मिट्टी तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन कराया था। एनसीएईआर ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनसीएईआर ने अन्य बातों के साथ-साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित रखने की सिफारिश की। पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घावधिक मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. रंगराजन समिति ने भी पीडीएस मिट्टी तेल (एसकेओ) राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित रखने की सिफारिश की है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और "सिद्धांत रूप में" निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित की जाए। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पद्धतियां तैयार करने के लिए और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अनिवार्य और आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए पीडीएस एसकेओ के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया है। सरकार ने इन अनुरोधों को तत्काल सुना है और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आबंटन किए हैं।

विवरण I

पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन

(मात्रा एमटी में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5725	5816	5816
आंध्र प्रदेश	505057	517158	517158

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257
असम	251714	258007	258007
बिहार	631639	647430	647430
चंडीगढ़	13067	13067	13067
छत्तीसगढ़	143354	146938	146938
दादरा और नगर हवेली	2782	2782	2782
दमन और दीव	2118	2118	2118
दिल्ली	168484	168484	168484
गोवा	19212	19212	19212
गुजरात	743759	743759	743759
हरियाणा	142068	145619	145619
हिमाचल प्रदेश	50537	50537	50537
जम्मू-कश्मीर	75487	76044	76044
झारखंड	211175	211175	211175
कर्नाटक	461478	461478	461478
केरल	211033	216308	216308
लक्षद्वीप	795	795	795
मध्य प्रदेश	476691	488609	488609
महाराष्ट्र	1253530	1276876	1276876
मणिपुर	19907	19907	19907
मेघालय	20401	20401	20401
मिजोरम	6217	6217	6217
नागालैंड	12712	13312	13312
उड़ीसा	307295	314977	314977
पांडिचेरी	12058	12257	12257
पंजाब	232813	237192	237192
राजस्थान	396500	398913	398913

1	2	3	4
सिक्किम	5283	5592	5582
तमिलनाडु	545297	558929	558929
त्रिपुरा	30093	30832	30832
उत्तर प्रदेश	1211485	1241772	1241772
उत्तराखंड	85959	89849	89849
पश्चिम बंगाल	748228	752103	752103
कुल	9013210	9163712	9163712

विवरण II

घरेलू एलपीजी की खपत

(मात्रा एमटी में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	771646	774953	581996
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4492	4789	3756
अरुणाचल प्रदेश	9704	9504	7430
असम	154494	160856	120939
बिहार	243802	242918	185365
चंडीगढ़	30009	29298	21462
छत्तीसगढ़	90711	96206	71477
दादरा और नगर हवेली	5121	4753	2257
दमन और दीव	3889	3970	3052
दिल्ली	568574	554485	410548
गोवा	37080	39693	28855
गुजरात	554508	554605	406650
हरियाणा	364989	354393	267397
हिमाचल प्रदेश	76317	76641	59486

1	2	3	4
जम्मू-कश्मीर	102955	104801	81185
झारखंड	88685	89300	67229
कर्नाटक	591859	579984	436323
केरल	442496	413624	310532
लक्षद्वीप	278	174	181
मध्य प्रदेश	377220	384593	287044
महाराष्ट्र	1352672	1356331	1009990
मणिपुर	17013	15929	10980
मेघालय	11726	12104	9341
मिजोरम	16081	17219	13008
नागालैंड	12727	12911	9985
उड़ीसा	130062	126730	96007
पांडिचेरी	22843	21852	18692
पंजाब	506718	489478	370076
राजस्थान	415370	409695	308749
सिक्किम	7619	7741	5981
तमिलनाडु	891041	879836	661053
त्रिपुरा	18069	17821	13907
उत्तर प्रदेश	1052629	1040714	797379
उत्तराखंड	124335	124297	95235
पश्चिम बंगाल	478028	488778	376672
कुल	9575762	9500976	7150219

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर मूलभूत सुविधाएं

***242. श्रीमती गीता पटैरिया:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं बढ़ते हवाई यातायात की तुलना में पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति पर काबू पाने के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(च) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमानन सेक्टर के विकास की दर ने सारी उम्मीदों को चौंका दिया है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों की विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए पुनर्संरचना की गई है। इसके साथ-साथ, हैदराबाद तथा बंगलौर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे निर्माणाधीन हैं और वर्ष 2008 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है। कोलकाता तथा चेन्नई हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण तथा विकास भी आरंभ होने को है। आगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 35 गैर-महानगरीय हवाईअड्डों का विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप स्तरोन्नयन करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को सार्वजनिक निजी सेक्टर की भागीदारी से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण करने के लिए सुविधा दी जा रही है।

(ग) और (घ) अवसंरचना संबंधी समिति ने हवाईअड्डों के विकास के लिए एक वित्तीय योजना तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल गठित किया था। कार्य बल ने मोटे तौर पर सिफारिश की थी कि हवाईअड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल का अनुसरण करके विकसित किया जाना चाहिए। गैर-महानगरीय हवाईअड्डों के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एयर साइड तथा टर्मिनल भवन के विकास का कार्य सौंपा जाना चाहिए जबकि सिटी साइड का विकास कार्य पीपीपी आधार पर अवार्ड किया जा सकता है।

(ङ) और (च) अवसंरचना समिति ने कार्य बल की सिफारिशों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया:-

(1) हवाईअड्डों को बारी-बारी से चरणबद्ध तरीके से लेने की बजाय, सभी गैर-महानगरीय हवाईअड्डों का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के अधीन हाथ में दिया जाना चाहिए।

(2) चुने हुए हवाईअड्डों, विशेषकर अपेक्षाकृत बड़े हवाईअड्डों पर, संबंधित हवाईअड्डों के विकास तथा प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां सृजित की जाएं।

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाईअड्डों का विकास कार्य वरीयता आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिया जाना चाहिए।

इन अधिकांश हवाईअड्डों, जहां हवाई यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तुरन्त क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है, के लिए टर्मिनल भवनों तथा एयर साइड से संबंधित कार्य प्रदान किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस संबंधी खोज

***243. श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश के कई हिस्सों में तेल और गैस के नये भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में तेल और गैस संसाधनों में काफी निवेश किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों 2003-06 में ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने 61 हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा राज्यों और देश के पूर्वी और पश्चिमी अपतट क्षेत्रों में 729 मिलियन टन के नए तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), गेल इंडिया लिमिटेड जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), वीडियोकान और एस्सार जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने विदेश में तेल और गैस परियोजनाओं में प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है। विदेश में अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा 2006 के अंत में 20 देशों में किया गया निवेश लगभग 20,000 करोड़ रुपए था।

सूडान में ओवीएल की ग्रेटर नील तेल परियोजना (जीएनओपी), रूस में सखालिन-1 परियोजना, वियतनाम परियोजना (ब्लाक 06.1), सीरिया में ब्लाक 24 और कोलंबिया में मानसरोवर परियोजना, इन सभी में ओवीएल का प्रतिभागिता हित है और इनमें 6 बिलियन टन प्रति वर्ष तेल और गैस उत्पादन होता है। अन्य परिसंपत्तियां अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू किये गए महत्वपूर्ण उपायों के साथ-साथ शामिल हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति के माध्यम से अन्वेषण प्रयास बढ़ाना और विशेष रूप से नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे पानी और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों और पहले से उत्पादनरत क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों में अन्वेषण करना,

(2) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं का कार्यान्वयन करके मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटकों में सुधार करना,

(3) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ना,

(4) देश के लिए हाईड्रोकार्बन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विदेश में तेल और गैस परिसंपत्तियों का अर्जन।

(5) एलएनजी के आयात के लिए दीर्घकालिक करार,

(6) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनें,

(7) संभावित वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना,

(8) पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण,

(9) कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना।

पारस्परिक पर्यटन

***244. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन दोनों देशों के बीच पारस्परिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों में पारस्परिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने का विचार है;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय पर्यटकों को चीन का भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सम्भाव्य पर्यटकों को आसानी से वीजा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में छूट देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के कौन-कौन से गन्तव्य सबसे अधिक लोकप्रिय हैं;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश-वार कितने पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया; और

(झ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान कितने भारतीय पर्यटकों ने चीन का और चीनी पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारत और चीन ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग हेतु 14 जनवरी, 2002 को पहले ही एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के लिए चीनी नागरिकों के आउटबाउंड ट्रेवल ग्रुपों को आयोजित करने के लिए, चीनी ट्रेवल एजेंसियों को समर्थ बनाने के लिए, भारत को, ''अनुमोदित गंतव्य दर्जा'' प्रदान किया है। दोनों देशों के मध्य दो तरफ पर्यटन के संवर्धन के लिए वर्ष 2007 को ''पर्यटन के माध्यम से भारत-चीन मैत्री का वर्ष'' के रूप में भी घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) ''पर्यटन के माध्यम से भारत-चीन मैत्री का वर्ष'' के भाग के रूप में, अनेक पर्यटन संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

(ङ) और (च) भारत और चीन के मध्य पहले से मौजूद समझौता ज्ञापन में, संभाव्य पर्यटकों के लिए वीजा सुगमीकरण प्रक्रियाओं का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने 18 देशों के नागरिकों, बहु-प्रवेश सुविधाओं के साथ, पांच वर्ष की अवधि का दीर्घावधि पर्यटक वीजा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(छ) विदेशी और भारतीय दोनों पर्यटक, देश भर के विधिक पर्यटक आकर्षणों की यात्रा करते हैं।

(ज) पिछले तीन वर्षों के लिए देशवार पर्यटक आगमनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(झ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 में भारत और चीन के मध्य पर्यटक आगमनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:

चीन की यात्रा करने वाले भारतीय			भारत की यात्रा करने वाले चीनी		
2004	2005	2006	2004	2005	2006
3,09,411	3,56,460	4,05,091	34,100	44,897	47,000

विवरण

जनवरी-दिसम्बर, 2003, 2004 और 2005 के दौरान राष्ट्रिकता के देश द्वारा भारत में पर्यटक आगमन

राष्ट्रिकता	2003	2004	2005
1	2	3	4
उत्तरी अमरीका			
कनाडा	107671	135884	157643
यू एस ए	410803	526120	611165
कुल	518474	662004	768808
सेंट्रल एवं दक्षिण अमरीका			
ब्राजील	4528	7397	7005
मैक्सिको	3563	4570	5398
अन्य	13563	16198	23183
कुल	21654	28165	35586
पश्चिमी यूरोप			
आस्ट्रेलिया	16903	21093	27187
बेल्जियम	17309	24007	25596
डेनमार्क	11327	15805	20170
फिनलैण्ड	8001	12525	16258
फ्रांस	97654	131824	152258
जर्मनी	76868	116679	120243
ग्रीस	3455	4468	4793
आयरलैण्ड	7083	8996	10052

1	2	3	4
इटली	46908	65561	67642
नीदरलैण्ड	40565	51211	52755
नार्वे	8400	10631	11194
पुर्तगाल	8158	10648	11457
स्पेन	30551	42895	45247
स्वीडन	18098	26154	28799
स्विटजरलैण्ड	24463	28260	34311
यू के	430917	555907	651083
अन्य	1306	1633	3074
कुल	847966	1128297	1282119
पूर्वी यूरोप			
चेकोस्लोवाकिया	3466	4114	4783
पालैण्ड	6336	8445	1093
सी आई एस	38526	61187	75242
अन्य	6924	8680	10437
कुल	55252	82426	101445
अफ्रीका			
मिस्र	3382	3781	4048
किनिया	16563	17538	19816
मारीशस	16308	19823	19760
नाईजेरिया	5713	6659	10049
दक्षिण अफ्रीका	23873	32148	39229
तंजानियाँ	8515	9953	11193
अन्य	18999	25591	30706
कुल	93353	115493	134801
पश्चिमी एशिया			
बहरीन	4182	4414	4923

1	2	3	4
इजरायल	32157	39083	42866
ओमान	12352	14927	14979
सऊदी अरब	9961	11929	12444
तुर्की	5528	7008	7906
यू ए ई	21374	22668	24560
यमन अरब गणराज्य	7717	8826	9423
अन्य	10325	13953	16720
कुल	103596	122808	133821
दक्षिणी एशिया			
अफगानिस्तान	10079	12705	14025
ईरान	17539	24733	28691
मालदीव	18345	21099	33915
नेपाल	42771	51534	77024
पाकिस्तान	10364	67416	88609
बंगलादेश	454611	477446	456371
श्रीलंका	109098	128711	136400
भूटान	4082	7054	6934
कुल	666889	790698	841969
दक्षिण पूर्व एशिया			
इंडोनेशिया	9078	11408	12640
मलेशिया	70750	84390	96276
म्यांमार	3609	4932	5652
फिलीपींस	8091	10492	11422
सिंगापुर	48368	60710	68666
थाईलैण्ड	25754	33442	41978
अन्य	3276	3736	4774
कुल	168926	209110	241408

1	2	3	4
पूर्व एशिया			
चीन (मेन)	21152	34100	44897
चीन (ताईवान)	12685	18179	18894
जापान	77996	96851	103082
कोरिया (दक्षिण)	35584	47835	49895
अन्य	3089	4662	6799
कुल	150506	201627	223567
आस्ट्रेलिया			
आस्ट्रेलिया	58730	81608	96258
न्यूजीलैण्ड	13283	16762	20463
अन्य	1836	2574	3057
कुल	73849	100944	119778
अन्य	10233	14471	21818
स्टेटलेस	15516	1434	13490
कुल जोड़	2726214	3457477	3918610

विकलांग व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता

***245. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री सूरज सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने विकलांग व्यक्ति हैं;

(ख) क्या सरकार निशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विकलांग व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय संस्थाओं और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संस्थानों और राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं का लाभ निशक्त व्यक्तियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जनगणना 2001 के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) निधियां राज्य-वार आबंटित अथवा जारी नहीं की जाती है। विकलांग व्यक्ति सहायता योजना (एडिप) और दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद करने, विशेष स्कूल, व्यावसायिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों को जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

संस्थान का नाम	जारी की गई राशि		
	2003-04	2004-05	2005-06
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश	368.40	500.00	70.00
राष्ट्रीय अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई	300.00	405.00	300.00
राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा	165.00	365.00	0.00
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तरांचल	361.77	235.93	.0.00
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	150.00	158.91	225.00
शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	500.00	225.00	337.00

(घ) सरकार ने योजनाओं का लाभ विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम राज्य विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार और आय-सर्जक कार्यकलापों के लिए चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है।

(2) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र: पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 199 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों को संस्वीकृति प्रदान की गई।

(3) राष्ट्रीय आटिज्म, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु-विकलांगता न्यास की स्थापना, विकलांग व्यक्तियों के परिवार को संकट के समय आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करने और इन व्यक्तियों के माता-पिता या संरक्षकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में देखभाल और संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है।

(4) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मैट्रिकोत्तर/माध्यमिकोत्तर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष छात्र और छात्राओं को 500 छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

विवरण

जनगणना, 2001 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यवार जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	302670
2.	हिमाचल प्रदेश	155950
3.	पंजाब	424523
4.	चंडीगढ़	15538
5.	उत्तरांचल	194769
6.	हरियाणा	455040
7.	दिल्ली	235886
8.	राजस्थान	1411979
9.	उत्तर प्रदेश	3453369
10.	बिहार	1887611
11.	सिक्किम	20367
12.	अरुणाचल प्रदेश	33315
13.	नागालैंड	26499

1	2	3
14.	मणिपुर	28376
15.	मिजोरम	16011
16.	त्रिपुरा	58940
17.	मेघालय	28803
18.	असम	530300
19.	पश्चिम बंगाल	1847174
20.	झारखंड	448377
21.	उड़ीसा	1021335
22.	छत्तीसगढ़	419887
23.	मध्य प्रदेश	1408528
24.	गुजरात	1045465
25.	दमन व दीव	3171
26.	दादर और नगर हवेली	4048
27.	महाराष्ट्र	1569582
28.	आंध्र प्रदेश	1364981
29.	कर्नाटक	940643
30.	गोवा	15749
31.	लक्षद्वीप	1678
32.	केरल	860794
33.	तमिलनाडु	1642497
34.	पांडिचेरी	25857
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7057
	कुल	21906769

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर

***246. प्रो. एम. रामदासः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर कितनी रही;

(ख) क्या तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार इस वर्ष के अंत तक खाद्य और पेय पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर निम्नलिखितानुसार है:-

वर्ष	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (उत्पादन मूल्य करोड़ रुपये में)
2003-04	46387
2004-05	47244
2005-06	49164

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा हाल में आयोजित एक अध्ययन के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने पेश आ रही प्रमुख कठिनाइयां अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण तथा परीक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की कमी, अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, उपज की प्रसंस्करणयोग्य किस्मों की कमी, कच्चे माल का मौसमी स्वरूप, उच्च इन्वेन्टरी वहन लागत, बैंकों द्वारा आसान और रियायती साख/ऋण की कमी, पैकेजिंग की अधिक लागत, सामर्थ्य योग्यता की कमी, ताजे खाद्य को प्राथमिकता देने की संस्कृति आदि है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए लगातार विभिन्न उपाय कर रहा है। इसमें 11वीं योजना के दौरान बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम को पुनः तैयार करना, देशों में आपूर्ति श्रृंखला और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, गुणवत्ता परिरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उनका सुदृढ़ीकरण, राजकोषीय और कर प्रोत्साहन, बैंक ऋण के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र मानना और अन्य उपाय शामिल हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य और पेय पदार्थों संबंधी मानकों का उल्लेख वर्तमान में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का निर्माण अगस्त, 2006 में किया गया है। इस अधिनियम के तहत मानक

तैयार करने वाले खाद्य प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2007-08 के दौरान होने की संभावना है।

प्रवासी अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों को जाति प्रमाणपत्र

***247. श्रीमती अर्चना नायक:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उन व्यक्तियों को आसानी से जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो अपने राज्यों से आकर अन्य राज्यों, विशेषकर दिल्ली में आ बसे हैं ताकि उन्हें अथवा उनके अभिभावकों को उनके गृह राज्य में जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही शैक्षिक और रोजगार संबंधी सुविधाएं मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई अलग दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित अपने पत्र सं. बीसी 16014/1/82-एससी व बीसीडी-1, दिनांक 18.11.1982 में यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के निर्धारित प्राधिकारी किसी अन्य राज्य से प्रवासी होने वाले व्यक्ति को उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करें सिवाय जहां निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि यह प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच-पड़ताल जरूरी है। यह प्रमाणपत्र इस बात का ध्यान रखे बगैर जारी किया जाएगा कि विचाराधीन जाति/जनजाति उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित है या नहीं, जिसमें वह प्रवासी हुआ है। इस सुविधा से एक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र से दूसरे राज्य के संबंध में व्यक्ति की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.2.1985 के अपने उत्तरवर्ती पत्र सं. बीसी 16014/1/82-एसी व बीसीडी-1 में यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा रोजगार आदि के उद्देश्य के लिए अपने मूल राज्य से किसी दूसरे राज्य में प्रवासी हुआ अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति अपने मूल राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति का समझा जाएगा और अपने मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा न कि प्रवासी होने वाले राज्य से।

इसके अतिरिक्त, सभी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के जन्म-स्थान के बगैर केन्द्र सरकार के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों और रोजगार एवं आरक्षण की पात्र हैं।

कल्याण मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव को संबोधित अपने पत्र सं. 12011/11/94-बीसीसी (सी) दिनांक 8.4.2000 में यह स्पष्ट किया था कि यह निर्णय लिया गया है कि राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के निर्धारित प्राधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.11.93 के पत्र सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) के अनुसरण में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी होने वाले व्यक्ति को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, उसके पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता को जारी उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी कर सकते हैं, सिवाय जहां निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि यह प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच-पड़ताल जरूरी है। यह प्रमाणपत्र इस बात का ध्यान रखे बगैर जारी किया जाएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र जहां वह व्यक्ति प्रवासी हुआ है, से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है या नहीं। इस सुविधा से एक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र से दूसरे राज्य के संबंध में व्यक्ति की अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति वैसी ही बनी रहती है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र से किसी दूसरे राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में प्रवासी होने वाला किसी अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, जहां उसकी जाति अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, अपने मूल राज्य/संघ सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों को ग्राह्य रियायत/लाभ का हकदार है न कि उस राज्य से जहां वह प्रवासी हुआ है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन

***248. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त अनुरोधों/आरंभ की गई योजनाओं के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल) को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन जारी किए हैं। ऐसे मामलों में उपकरण के लिए सिक्योरिटी की राशि संबंधित राज्य सरकारों ने वहन की है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा बीपीएल परिवारों को 1.3.2007 की स्थिति के अनुसार जारी एलपीजी कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीपीएल परिवारों को जारी एलपीजी कनेक्शनों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	3163532
2.	असम	120188
3.	छत्तीसगढ़	31133
4.	झारखंड	47409
5.	मिजोरम	11192
6.	तमिलनाडु	70340
7.	पुडुचेरी	6912

[अनुवाद]

रेलवे में रिक्त पद

***249. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल पर रिक्त पदों की समूहवार संख्या लगभग इस प्रकार है:

समूह 'क' एवं 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
1908	1,27,400	43,781

(ग) और (घ) रिक्तियों को भरने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों को भरने का कार्य मुख्यतः खुले बाजार से भर्ती के माध्यम से किया जाता है जो रेल भर्ती बोर्ड या स्वयं क्षेत्रीय रेलें करती हैं। बहरहाल, पदोन्नति ग्रेड में अन्य रिक्तियां विभागीय पदोन्नतियों के माध्यम से भरी जाती हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

***250. श्री शिशुपाल एन. पटले:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल लाइनों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए विदेशों से प्रौद्योगिकी तथा उपकरण खरीदने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना में सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो जाने के बाद द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ये योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। विद्युतीकरण पश्चात भी मौजूदा रेलपथों पर उच्च गति गाड़ियों की शुरूआत व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अलग से समर्पित अवसंरचना की आवश्यकता है। बहरहाल, भारतीय रेलें की योजना है कि कुछ चुनिंदा सेक्शनों पर गति को उत्तरोत्तर बढ़ा कर 160 कि.मी. प्रति घंटा कर दिया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की आवश्यकता

*251. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजनावार कुल कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर राजस्थान में, इन गैस-ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कम मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में उसकी आवश्यकता के अनुसार इन विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 12 अक्तूबर, 1992 को यह दिशानिर्देश जारी किए थे कि गैस की संभावित कमी को देखते हुए, गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के संबंध में हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंध में उनकी ईंधन आवश्यकताओं के लिए दोहरी ईंधन क्षमताओं के निर्माण को अनिवार्य करने का प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए। तदनुसार देश में अधिकांश गैस आधारित विद्युत संयंत्र गैस के अलावा नाफ्था, एचएसडी इत्यादि वैकल्पिक ईंधन से चलने को भी सक्षम हैं।

विद्युत मंत्रालय के अनुसार 90% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) और संलग्न विवरण में वर्णित अन्य अवधारणाओं के आधार पर देश में गैस आधार विद्युत परियोजनाओं में गैस की कुल आवश्यकता 54.15 एमएमएससीएमडी है। परियोजनावार ब्यौरा संलग्न है। अप्रैल से दिसंबर, 2006 की अवधि के लिए इन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को आपूर्त गैस की औसत मात्रा 35.24 एमएमएससीएमडी थी। राजस्थान स्थित गैस संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति उनकी आवश्यकता से कम है। राजस्थान में विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति उनकी 3.16 एमएमएससीएमडी की आवश्यकता के मुकाबले 2.13 एमएमएससीएमडी है। यह अंता विद्युत संयंत्र के लिए 9000 के.केल/एससीएम के सकल केलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) और रामगढ़ गैस थर्मल विद्युत परियोजना (आरजीटीपीपी) के लिए 4150 के.केल./एससीएम के जीसीवी पर है। गैस की आपूर्ति विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता पर प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) दर पर की जाती है। तथापि, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति में कमी है, यह देश में गैस की समग्र कम उपलब्धता की वजह से है।

(घ) और (ङ) जी हां, जैसलमेर में क्रमशः डाण्डेवाला और गमनवाला में ओआईएल और ओएनजीसीएल के उत्पादन क्षेत्रों से इस समय मिलने वाली सारी गैस आरजीटीपीपी को आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। इसे गेल के पाइपलाइन नेटवर्क से भेजा जाता है। ओआईएल 2007-08 तक 0.2 एमएमएससीएमडी की अतिरिक्त गैस उपलब्धता की आशा कर रहा है। अतिरिक्त गैस के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाओं हेतु बातचीत चल रही है। यह एक अलग-थलग क्षेत्र है और इस समय अन्य किसी स्रोत से गैस उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरजीटीपीपी, जिसके पास दोहरी ईंधन क्षमता है, जब तक गैस उपलब्ध नहीं होती, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधन की उपयोग कर सकता है।

अन्ता स्थित एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र को गेल के एचवीजे नेटवर्क से गैस प्राप्त हो रही है।

विवरण

31.12.2006 की स्थिति के अनुसार 90% पीएलएफ पर स्टेशनवार गैस आवश्यकता और अप्रैल-दिसंबर, 2006 के लिए औसत गैस खपत

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	स्थापित क्षमता मेगावाट में	राज्य में स्थित	गैस आवश्यकता (31.12.2006 की स्थिति के अनुसार एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (अप्रैल-दिसंबर 2007 एमएमएससीएमडी)
1	2	3	4	5	6
	मध्य क्षेत्र				
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	430.00	हरियाणा	2.06	1.52
2.	अंता सीसीजीटी	413.00	राजस्थान	1.98	1.52
3.	औरैय्या सीसीजीटी	652.00	उत्तर प्रदेश	3.13	2.43
4.	दादरी सीसीजीटी	817.00	उत्तर प्रदेश	3.92	2.62
5.	कवास सीसीजीटी	644.00	गुजरात	3.09	1.52
6.	गंधार सीसीजीटी	648.00	गुजरात	3.11	2.48
7.	कथलगुरी सीसीजीटी (एजीबीपीपी)	291.00	असम	1.40	1.45
8.	अगरताला जीटी	84.00	त्रिपुरा	0.58	0.72
	उप योग (सीएस)	3979.00		19.28	14.25
	राज्य क्षेत्र				
1.	आईपी सीसीजीटी	282.00	दिल्ली	1.35	1.16
2.	प्रगति सीसीजीटी	330.40	दिल्ली	1.59	1.35
3.	रामगढ़ सीसीजीटी	113.80	राजस्थान	1.18	0.61**
4.	उतरान सीसीजीटी	144.00	गुजरात	0.69	0.62
5.	हजीरा सीसीपीपी-(जीएसईजी)	156.10	गुजरात	0.75	0.64
6.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.62	गुजरात	0.51	0.18
7.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईएल)	72.00	गुजरात	0.50	0.12
8.	उरण सीसीजीटी	912.00	महाराष्ट्र	4.38	2.63
9.	विजीस्वरम सीसीजीटी	272.00	आंध्र प्रदेश	1.31	0.53
10.	काराईकल सीसीजीटी	32.50	पांडिचेरी	0.16	0.19

1	2	3	4	5	6
11.	नारीमनम जीटी	10.00	तमिलनाडु	प्रचालन में नहीं	
12.	कावलीकलपल (थिरूमकोटाई)	107.00	तमिलनाडु	0.51	0.36
13.	वलुथूर सीसीजीटी	94.00	तमिलनाडु	0.44	0.42
14.	कुट्टालम सीसीजीटी	100.00	तमिलनाडु	0.48	0.32
15.	नामरूप सीसीजीटी	133.50	असम	0.64	0.36
16.	लकवा जीटी	120.00	असम	0.84	0.58
17.	मोबाइल गैस टी-जी	21.00	असम	प्रचालन में नहीं	
18.	बारामुरा जीटी	37.50	त्रिपुरा	0.26	0.20
19.	रोखिआ जीटी	90.00	त्रिपुरा	0.63	0.46
	उप-योग (एसएस)	3134.42		16.22	10.73
	निजी क्षेत्र				
1.	वत्वा सीसीजीटी (एईसी)	100.00	गुजरात	0.48	0.37
2.	ट्राम्बे सीसीजीटी	180.00	महाराष्ट्र	0.86	0.69
	उप-योग (पीएस)	280.00		1.34	1.06
	निजी उपयोगिताएं				
1.	जीपीईसी पुगुथन सीसीजीटी	655.00	गुजरात	3.14	2.26
2.	जीआईपीसीएल स्टेज 1 सीसीजीटी	145.00	गुजरात	0.70	0.67
3.	जीआईपीसीएल स्टेज 2 सीसीजीटी	160.00	गुजरात	0.77	0.67
4.	एस्सार आईएमपी सीसीजीटी	515.00	गुजरात	2.47	1.92
5.	गोदावरी सीसीजीटी (स्पेक्ट्रम)	208.00	आंध्र प्रदेश	1.00	0.57
6.	कोडापल्ली सीसीजीटी	350.00	आंध्र प्रदेश	1.68	0.87
7.	जेगुरूपादु सीसीजीटी (जीवीके)	235.40	आंध्र प्रदेश	1.13	0.67
8.	जेगुरूपादु सीसीजीटी (जीवीके) विस्तार	220.00	आंध्र प्रदेश	1.06	0.00
9.	सामीकोट सीसीपीपी/पेडापुरम	220.00	आंध्र प्रदेश	1.06	0.57
10.	वेमागिरी सीसीपीपी	370.00	आंध्र प्रदेश	10.78	0.18
11.	पी. नाल्लुर सीसीजीटी	330.50	तमिलनाडु	1.59	0.00
12.	कारूपरु सीसीजीटी	119.80	तमिलनाडु	0.58	0.47

1	2	3	4	5	6
13.	वालानथरावई सीसीपीपी	52.80	तमिलनाडु	0.25	0.23
14.	डीएलएफ प्रा. सीसीजीटी	24.50	असम	0.12	0.11
	उप-योग (आईपीपी का)	3606.00		17.31	9.20
	योग	10999.42		54.15	35.24

*गैस के जीसीवी को लेते हुए मानकीय गैस आवश्यकता - 9000 के. केल/एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जीसीवी 4150 केएल/एससीएम है), स्टेशन तापदर खुले चक्र के लिए 2900 केएल/केडब्ल्यूएच और बंद चक्र के लिए 2000 के केल/केडब्ल्यूएच

**इसमें नवंबर और दिसंबर 06 के महीनों के लिए गैस की खपत सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह रामगढ़ सीसीजीटी से प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

'ट्रांसजेंडर' जनसंख्या

***252. श्री के. सुब्बारायण:**
श्री पी. मोहन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समाज के "ट्रांसजेंडर" वर्ग द्वारा महसूस किए जा रहे सामाजिक अलगाव की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी जैविक स्थिति के फलस्वरूप उनकी शिक्षा, रोजगार आदि के संबंध में पैदा होने वाली जटिलताओं के ब्यौरे की जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके समक्ष आ रही समस्या से निपटने के लिए क्या तंत्र विकसित किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ग) उनकी जैविक स्थिति के फलस्वरूप जटिलताओं के ब्यौरे की जांच करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

***253. श्री हरिभाई राठौड़:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय व्यापार घरानों द्वारा अलग-अलग कितने खाद्य प्रसंस्करणों की स्थापना की गई;

(घ) कितने उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और कितनी औद्योगिक परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों में रोजगार के लगभग कितने अवसर सृजित किए गए है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष 2004-06 की अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहां तक बड़े और मझौले उद्योगों का संबंध है, उक्त अवधि के दौरान 8474 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले कुल 758 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव है जिनसे 78360 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। पंजीकृत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा जारी किए गए आशयपत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	यूनिटों की संख्या (औ.उ.ज्ञा./आशयपत्र)	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)	प्रस्तावित रोजगार
2004	241	2047	21286
2005	247	3072	25409
2006	270	3355	31665
कुल	758	8474	78360

अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2006 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तहत 40,258 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पूंजी निवेश वाले 3417 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पंजीकृत किए गए हैं तथा 2299 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 89 आशयपत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

जहां तक संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र में लघु, छोटे और छोटे उद्यमियों जिन्हें काम शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है, का संबंध है, लघु उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 2004 और मार्च, 2006 को खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या निम्नलिखित है:-

निम्नलिखित को	पंजीकृत यूनिटें	अपंजीकृत यूनिटें	कुल
मार्च, 2004	2,45,690	14,03,717	16,49,407
मार्च, 2006	2,70,853	15,15,739	17,86,592

अनुमान है कि लघु उद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 36 लाख से अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

जनवरी, 2000 से मार्च, 2006 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 30 अग्रणी विदेशी कंपनियों ने 1711.22 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह की धनराशि वर्ष 2004-05 में 174 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 183 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-07 (दिसम्बर तक) 222 करोड़ रुपये है। लाइसेंस/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जारी पावतियों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

उत्पादन शुरू कर चुके उद्यमों की संख्या तथा निर्माणाधीन औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण पार्क

***254. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण पार्क योजना (फूड प्रोसेसिंग पार्क स्कीम) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इससे किसानों और बेरोजगार व्यक्तियों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ख) देश में अभी तक राज्यवार कितने खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) प्रसंस्करण यूनिटों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य पार्कों में बिजली की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, शीतागार, भाण्डागार सुविधाओं, बहिस्राव उपचार संयंत्र, खाद्य जांच और विश्लेषण प्रयोगशालाओं, सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है, की वित्तीय सहायता देता है। इस स्कीम के उद्देश्यों में लघु और मझौले उद्योग और किसानों द्वारा प्रयोग करने हेतु सामान्य बुनियादी सुविधाओं, सामान्य प्रसंस्करण/पैकेजिंग सुविधाओं, विपणन आसूचना आदि हेतु प्रावधान शामिल है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के जरिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और किसानों की उपज को प्रसंस्करण उद्योग के साथ जोड़ने से किसान लाभान्वित होंगे। मूल्यवर्धन और बैकवर्ड लिंकेज के साथ किसानों तक लाने से खाद्य पार्क आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं और कृषि उपज की अधिक कीमतें मिलती हैं। व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों जिनमें राज्य सरकार के उपक्रम, सहकारिताएं, निजी व्यक्ति शामिल है, को यह सहायता उपलब्ध है। मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत अब तक देशभर में वित्तीय सहायता हेतु 54 खाद्य पार्कों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित खाद्य पार्कों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता देने के लिए अनुमोदित खाद्य पार्कों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	खाद्य पार्कों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	छत्तीसगढ़	1

1	2	3
5.	हरियाणा	2
6.	जम्मू-कश्मीर	3
7.	कर्नाटक	3
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	6
11.	मणिपुर	2
12.	मिजोरम	1
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	1
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	3
17.	तमिलनाडु	2
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	5
20.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	54

[हिन्दी]

होटलों के लिए एकसमान प्रशुल्क ढांचा

***255. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि व्यस्ततम समय के दौरान होटलों के कमरों के किराए बहुत अधिक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटक स्थलों पर स्थित होटलों के लिए एकमान प्रशुल्क ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम बजट वाले होटल उपलब्ध कराने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां। पर्यटन में अचानक वृद्धि के कारण होटल कमरों के प्रशुल्क में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों तथा भारतीय रेलवे सहित, अन्य भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों को, विशेषतया बजट श्रेणी के होटलों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए कहा है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे होटल परियोजनाओं के संवर्धन के लिए, वार्षिक किरायों/राजस्व शेयरिंग आधार पर स्थल आवंटित करने, होटलों आदि में अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देते हुए, होटलों हेतु अतिरिक्त एफ एस आई/एफ ए आर प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो एप्रोच जैसी निवेशक मैत्रीय भू-नीतियों का अनुपालन करें, ताकि होटल कमरों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो सके। पर्यटन मंत्रालय के पास "आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन" नामक एक योजना है, जिसके अंतर्गत एक सितारा होटलों के लिए 25 लाख रुपए; दो सितारा होटलों के लिए 50.00 लाख रुपए और तीन सितारा होटलों के 75.00 लाख रुपए की अधिकतम सहायता की शर्त पर, एक से तीन सितारा श्रेणियों के मध्य होटलों को दिए गए मूल ऋण के 10% की इमदाद दी जाती है। पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर, वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्रस्ताव में, दिल्ली शहर और एन सी आर के कुछेक सटे जिलों में 1.4.2007 से 31.3.2010 के बीच बनने वाले बजट श्रेणी के नए होटलों के लिए 5 वर्षों की आय कर छूट से संबंधित प्रोत्साहन सम्मिलित है। देश में वर्गीकृत आवास की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से, पर्यटन मंत्रालय की अतिथि गृहों/इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिटों/टाईमशेयर स्थापनाओं के पंजीकरण हेतु भी योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति में विलंब

***256. श्री मोहन सिंह:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति में किए जा रहे विलंब के संबंध में विभिन्न पक्षों से शिकायतें प्राप्त होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और गैस एजेंसियों के कदाचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) सरकार सुनिश्चित कर रही है कि देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही हैं। चालू वर्ष (अप्रैल-जनवरी) में ओएमसीज द्वारा कुल 46.76 लाख नए एलपीजी कनेक्शन और 9.97 लाख डबल बाटल कनेक्शन (डीबीसी) जारी किए गए हैं। घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 1.4.2004 को 7.72 करोड़ से बढ़कर 1.1.2007 को 9.25 करोड़ हो गई है। तथापि कई बार प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण कभी-कभी बैकलाग उत्पन्न हो जाते हैं। ओएमसीज ने भारी वर्षा के कारण आपूर्तियों में व्यवधान, केरल में भरण संयंत्रों को बंद करा देने वाले श्रमिक आंदोलन और होली पर्व के कारण मांग में वृद्धि की वजह से तीन राज्यों में दो से चार दिन के बैकलाग की सूचना भेजी है। सरकार ने ओएमसीज को इन राज्यों में भरण संयंत्रों को छुट्टी के दिनों और बढ़ाए गए कार्य घंटों में चलाकर बैकलाग को समाप्त करने की सलाह दी है।

जबकि ओएमसीज एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है, उन्होंने वर्ष 2006-07 (1.4.2006 से 28.2.2007 तक) के दौरान अपने एलपीजी वितरकों द्वारा एलपीजी रीफिल सिलेंडरों की आपूर्ति में विलंब के 59 प्रमाणित मामलों की सूचना दी है। दोषी वितरकों के विरुद्ध एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

एमडीजी के तहत ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति संपन्न हैं। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी निषिध है। राज्य सरकारें इस आदेश के प्रावधानों के तहत दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिसंपन्न हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर सचेत किया जाता है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विपथन/कालाबाजारी न हो पाए ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और बीच रास्ते में औचक निरीक्षण करते हैं। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के किसी विपथन/कालाबाजारी के सिद्ध होने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:-

पहली बार अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना और विपथित की गई एलपीजी की वाणिज्यिक दर पर कीमत की वसूली।

दूसरी बार अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना, और विपथित की गई एलपीजी के वाणिज्यिक दर पर कीमत की वसूली।

तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(3) सरकार ने जनसाधारण को यह सचेत करते हुए विज्ञापन जारी किए हैं कि गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी का इस्तेमाल गैर कानूनी, खतरनाक और राष्ट्रहित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी अनियमितता/कदाचार की रिपोर्ट ओएमसीज को करने के लिए भी जनसामान्य का सहयोग मांगा गया है।

(4) सरकार ने ओएमसीज को घरेलू और गैर घरेलू सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंग का इस्तेमाल आरंभ करने की सलाह दी है। इससे अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी के विपथन को नियंत्रित करने में मदद मिलने की आशा है।

रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों में बदलना

***257. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों में बदलने का विचार है;

(ख) इन स्टेशनों पर मुहैया कराए जाने हेतु प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च आएगा; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं तथा अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) उन्नीस स्टेशनों अर्थात् पुणे, करनाक बंदर (मुंबई), हवड़ा, लखनऊ, आनंद विहार (दिल्ली), बिजवासन (दिल्ली), अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पटना, भुवनेश्वर, मथुरा, बेंगलोर एवं भोपाल का विश्व-स्तरीय स्टेशनों में बदले जाने हेतु चयन किया गया है।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड ने चिन्हित स्टेशनों को विश्व-स्तरीय स्टेशनों में बदलने के लिए क्षेत्रीय रेलों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित विश्व-स्तरीय स्टेशनों पर मोटे तौर पर आधुनिकतम स्टेशन इमारत होगी जिसमें सभी आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे फूड प्लाजा, मुद्रा विनिमय काउंटर, होटल, खुदरा दुकानें, एटीएम सुविधाएं आदि। इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए आगमन और प्रस्थान के लिए दो अलग-अलग रास्ते होंगे जो परिवहन के अन्य साधनों के साथ उचित रूप से जुड़े होंगे; अच्छे रोशनीदार परिचलन क्षेत्र, पर्याप्त प्रदर्श व्यवस्था, एलीवेटर के जरिये प्लेटफार्मों के बीच आवाजाही, विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित पहुंच आदि व्यवस्थाएं होंगी। यह विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। योजना बनाने, वित्तीय ढांचा तैयार करने और रियायती करार, जिसके आधार पर विकास कार्य किया जाएगा, बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि विकास कार्य हेतु अपेक्षित धन चुने गए डेवलेपरों द्वारा उपलब्ध भूमि/वायु स्थान का उपयोग करके जुटाया जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन के लिए परामर्शदाताओं की प्रि-क्वालीफिकेशन संबंधी कार्रवाई की जा चुकी है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक/स्थल

*258. **श्री रघुनाथ झा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के कितने स्मारक/स्थल हैं;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के काफी संख्या में स्मारक/स्थल उपेक्षित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ स्मारक अतिक्रमण के शिकार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) देश में सांस्कृतिक पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पर्यटक सुविधाओं सहित सभी स्मारकों/स्थलों के समयकित अवसंरचनात्मक विकास और संरक्षण/परिरक्षण करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3667 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक उपचार, उद्यान लगाकर और दिन-प्रति दिन के रखरखाव के जरिए उनका नियमित संरक्षण और परिरक्षण करता है।

कुछेक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं और इनकी विस्तृत सूची (राज्यवार) संलग्न विवरण में दी गई है।

अतिक्रमणों को रोकने और उन्हें हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 के अधीन मण्डलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविदों को अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए सम्पदा अधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी उन्हें प्राधिकृत किया जाता है, इसके पश्चात इस अधिनियम की धारा 19(2) तथा इस नियमावली के नियम 38(2) के अंतर्गत इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को निदेश दिया जाता है। अतिक्रमणों को रोकने और हटाने में संबंधित राज्य सरकार/पुलिस बल से भी सहायता मांगी जाती है और जहां कहीं सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं वहां न्यायालय में मामला दर्ज करके अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

नियमित निगरानी और पहरा स्टाफ के अलावा, चुनिंदा स्मारकों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कार्मिक, राज्य पुलिस गार्ड और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी मुहैया किए गए हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के इर्द-गिर्द चरणबद्ध तरीके से बाड़ लगाने के भी प्रयास किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक अधिसूचना भी जारी की है जिसमें केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्र को निषिध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जहां सभी प्रकार के निर्माण और खनन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इससे आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है जहां निर्माण/खनन गतिविधियां केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अनुज्ञेय है।

संरक्षित स्मारकों के आस-पास सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विभिन्न स्मारकों में पेयजल, प्रसाधन ब्लाक, पहुंच सड़क (एप्रोच रोड), रास्ते, सूचना पट्ट, प्रकाशन काउंटर आदि जैसी पर्यटकों से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, चुनिंदा स्मारकों में राष्ट्रीय संस्कृति निधि के जरिए सरकारी-निजी भागीदारी के अधीन भी ऐसी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विश्व विरासत स्थलों के लिए एकीकृत स्थल प्रबन्धन योजनाएं भी तैयार कर रहा है।

विवरण

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची (राज्य-वार) जिनमें अतिक्रमण हुआ है

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश : हैदराबाद मंडल
1.	ध्वस्त किला, धरनीकोटा, गुन्टूर जिला
2.	शैलकृत गुफाएं, मोगलराजापुरम, विजयवाड़ा, कृष्ण जिला
3.	बौद्ध स्थल, नीलाबती, विजयानगरम जिला
4.	श्री भीमेश्वर स्वामी मंदिर, दक्षरामा, पूर्व गोदावरी जिला
5.	बौद्ध अवशेष, कोट्टरू गांव-ऐलामनचिली मंडलम, विशाखापट्टनम जिला
6.	सालिहुन्डम स्थित बौद्ध अवशेष, सालिहून्डम गांव, गाहरा मंडलम, श्रीकाकुलम जिला
7.	श्री मुक्तेश्वर स्वामी एवं विष्णु मंदिर, पेड्डामुडियम, कडपा जिला
8.	श्री सौम्यनाथा स्वामी मंदिर, नन्दालुर, कडपा जिला
9.	श्री कोडन्डरामा स्वामी मंदिर, वोन्टीमिट्टा, कडपा जिला
10.	पुराना किला का गेटवे तथा बुर्ज, कुरनूल जिला
11.	श्री उमा माहेश्वर स्वामी मंदिर, यागन्ती, कुरनुल जिला
12.	मंदिर जिसमें सुब्रमण्य, नन्दावरम की मूर्तियां हैं, कुरनुल जिला
13.	श्री वेंकटेश्वर विष्णु मंदिर, श्रीनिवासामंगापुरम
14.	श्री बुग्गारामेश्वर स्वामी मंदिर, ताडीपत्री, अनन्तपुर जिला
	असम : गुवाहाटी मंडल
1.	श्री सूर्यपहाड़ खंडहर, जिला गोलपाड़ा, असम
2.	कचारी खंडहर, खासपुर, जिला कचार, असम
3.	शैलकृत गुफाएं, जिला बोंगईगांव (असम)
	बिहार : पटना मंडल
1.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, जिला रोहतास
2.	केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप, ताजपुर देउर, जिला पूर्व चम्पारन
	छत्तीसगढ़ : रायपुर मंडल
1.	दंतेश्वरी मंदिर, दन्तेवाड़ा, जिला दन्तेवाड़ा
2.	चैतुरगढ़ किला, लेफा, जिला कोरबा
3.	कोटमी किला, कोटमी, जिला बिलासपुर
4.	रामचन्द्र मंदिर, राजीम, जिला रायपुर
5.	सीता बैंगरा कुफाएं, रामगढ़ पहाड़ी, उदयापुर, जिला सरगुजा
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली : दिल्ली मंडल
1.	कुदुसिया उद्यान के अन्दर कुदुसिया मस्जिद, दिल्ली

1	2
2.	तुगलकाबाद
3.	लुधियन रोड कब्रिस्तान
4.	कश्मीरी गेट स्थित नगर दीवार का भाग
5.	रजिया सुल्तान का मकबरा
6.	पुराना किला
7.	सराय शाहजी
8.	बेगमपुरी मस्जिद
9.	सुनहरी मस्जिद, लाल किला के निकट
10.	नीली मस्जिद, हौजखास
11.	लाल गुम्बद, चिराग दिल्ली
12.	रायपुर मुटिनी कब्रिस्तान, पुराना रायपुर कैन्टूमेन्ट, उत्तर जिला
13.	प्राचीन मस्जिद, पालम
14.	डी एरेमाओ कब्रिस्तान, किशनगंज
	गुजरात : बड़ोदरा मंडल
1.	मलिक आलम की मस्जिद, अहमदाबाद
2.	सैय्यद उस्मान मस्जिद
3.	लघु प्रस्तर मस्जिद, पालदी, अहमदाबाद
4.	दरियाखान मकबरा, अहमदाबाद
5.	अच्युत बीबी की मस्जिद, अहमदाबाद
6.	पहाड़ी शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर एवं जैन मंदिर, पावागढ़, जिला गोधरा
7.	नबाब सरदार खान रोजा एवं इसकी अहाता दीवार, अहमदाबाद
8.	मीर अबु तुरब का मकबरा, अहमदाबाद
9.	भद्रा मीनार, अहमदाबाद
10.	बड़ी मस्जिद, सरखेज, जिला अहमदाबाद
11.	बहलोल खान की मस्जिद, ढोलका

1	2
12.	प्राचीन स्थल गोहिल्वाड़ टिम्बो, अमरेली जिला
13.	अहमद शाह की रानी की मकबरा, अहमदाबाद
	हरियाणा : चण्डीगढ़ मंडल
1.	गुगल सराय का गेटवे, धरौंदा, जिला करनाल
2.	प्राचीन स्थल, थेह पोलर, सिवान, जिला कैथल
3.	प्राचीन स्थल, खोकरा कोट, जिला रोहतक
4.	थेर टीला, सिरसा, जिला सिरसा
5.	जरासन्ध का किला नामक प्राचीन स्थल, असंध, जिला करनाल
	हिमाचल प्रदेश : शिमला मंडल
1.	गौरी शंकर मंदिर, नगर कुल्लू
2.	नरबदेश्वर मंदिर, सुजानपुर
	जम्मू एवं कश्मीर : श्रीनगर मंडल
1.	राज सुचेत सिंह की रानी का प्राचीन किला एवं समाधि, रामनगर, जिला ऊधमपुर
2.	प्राचीन महल, रामनगर, ऊधमपुर
3.	पाथर मस्जिद, श्रीनगर
4.	किला की परकोटा दीवार में द्वार (क) काठी दरवाजा (ख) संगीन दरवाजा, श्रीनगर
5.	बौद्ध मठ, अलची
	कर्नाटक : धारवाड़ मंडल
1.	अली शहीद पीर मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
2.	शहर का गेट और दीवार तथा दुर्ग, बीजापुर, जिला बीजापुर
3.	अम्बर खाना, बीजापुर, जिला बीजापुर
4.	बथुल्ला खान की मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
5.	गोल गुम्बज एवं अन्य संरचनाएं, बीजापुर, जिला बीजापुर
6.	हाजी हसन शेख का मकबरा, बीजापुर, जिला बीजापुर
7.	मुबारक खान महल, बीजापुर, जिला बीजापुर

1	2
8.	मुस्तफा खान मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
9.	नव गुम्बज
10.	वाटर टावर सं. 114, 115, 142, 147, 286, बीजापुर, जिला बीजापुर
11.	सांडा बुर्ज
12.	गन फिरंगी शहरी बुर्ज
13.	सरवद दीदी मस्जिद
14.	अरकिला खाई (मोट), बीजापुर, जिला बीजापुर
15.	चिन्च दीदी मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
16.	अण्डा मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
17.	इब्राहीम की प्राचीन जामी मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
18.	गुम्मट बवाड़ी, बीजापुर, जिला बीजापुर
19.	सिकन्दर शाह के मकबरे, बीजापुर, जिला बीजापुर
20.	याकूब दाबुली की मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
21.	इखलास खान की मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
22.	शाह नवाज खान का मकबरा, बीजापुर, जिला बीजापुर
23.	मोती दरगाह, बीजापुर, जिला बीजापुर
24.	हैदर खान का मकबरा, बीजापुर, जिला बीजापुर
25.	नित्य नावरा मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
26.	छोटा मकबरा सं. 47, बीजापुर, जिला बीजापुर
27.	सोनारी मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
28.	मकबरा सं. 22, चांद बवाड़ी के निकट, बीजापुर, जिला बीजापुर
29.	मस्जिद, कटिजापुर, बीजापुर, जिला बीजापुर
30.	तोरवी गांव के दक्षिण पश्चिम की भाट बवाड़ी से ताज बवाड़ी को जाने वाला एक्वेडक्ट, बीजापुर, जिला बीजापुर
31.	चांद बवाड़ी, बीजापुर, जिला बीजापुर
32.	मुल्ला मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
33.	जन्जरी जहान बेगम की मस्जिद, बीजापुर, जिला बीजापुर
34.	किला गुलबर्गा, बीजापुर, जिला बीजापुर
35.	खान बरीद के मकबरे, बीजापुर, जिला बीजापुर
36.	बीदर किला (भीतरी और बाहरी), बीजापुर, जिला बीजापुर
	बंगलौर मंडल
37.	गौरीश्वर मंदिर, येलन्दुर, जिला चमराजनगर
38.	नारायणस्वामी मंदिर, मेलकोट, जिला मांडया
39.	सोमेश्वर मंदिर, कोलार, जिला कोलार
	महाराष्ट्र : औरंगाबाद मंडल
1.	बारह इमामों को कोटला, अहमदनगर
2.	मक्का मस्जिद, अहमदनगर
3.	त्रिम्बकेश्वर मंदिर, त्रिंगलबाडी, जिला नासिक
4.	बीबी का मकबरा, अहमदनगर
5.	पैठन का प्राचीन स्थल, जिला औरंगाबाद
6.	एलोपा गुफाएं, एलोरा, जिला औरंगाबाद
7.	गृश्नेश्वर मंदिर, एलोरा, जिला औरंगाबाद
8.	देवी मंदिर, पटना, जिला जलगांव
9.	चंगदेव मंदिर, चंगदेव, जिला जलगांव
10.	बेलापुर किला, बेलापुर, जिला अकोला
11.	अचलेश्वर मंदिर, चंद्रपुर
12.	महाकाली मंदिर, चंद्रपुर
13.	किला दीवार तथा महल एवं गेटवे के खण्डहर, बलारशा, जिला चन्द्रपुर
14.	तपोनेश्वर मंदिर, तपोना, जिला येओतमाल
	मुम्बई मंडल
15.	सोलापुर किला, सोलापुर
16.	अर्द्धनारी नटेश्वर मंदिर, वेलापुर, जिला सोलापुर

1	2
17.	यामाईदेवी मंदिर, महालंग, जिला सोलापुर
18.	दिलावर खान का मकबरा, राजगुरुनगर, जिला पुणे
19.	भूलेश्वर मंदिर, मलसिरास, जिला पुणे
20.	रायगढ़ किला, जिला रायगढ़
21.	कोलाबा किला, अलीबाग, रायगढ़
22.	सोनार भाट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला, नालासोपार (गास), जिला ठाणे
23.	हेमातपंती मंदिर, महालंग, जिला सोलापुर
24.	रेवडेन्डा किला, अगरकोट, जिला रायगढ़
25.	हीराकोट प्राचीन कीला, अलीबाग, जिला रायगढ़
26.	कोपेश्वर महादेव मंदिर, खिद्रपुर, जिला कोल्हापुर
27.	जोगेश्वरी गुफाएं, मुम्बई
28.	बसाइन् फोर्ट, बसाइन, जिला ठाणे
29.	ओल्ड पुर्तगीज चर्च, वाच टावर एण्ड केव, मंडापेश्वर, जिला मुम्बई उपनगरीय
	मध्य प्रदेश : भोपाल मण्डल
1.	सतखण्डा के नाम से प्रसिद्ध गौंड किला तथा शाहबुर्ज के नाम से प्रसिद्ध राजघाट पर टावर तथा उसके भीतर मंदिर, मण्डला, जिला मण्डला
2.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबैटका, जिला रायसेन
3.	किला, गौरजामर, जिला सागर
	उड़ीसा : भुवनेश्वर मण्डल
1.	खंडगिरि तथा उदयगिरि गुफाएं, भुवनेश्वर
2.	बाराबटी किला, कटक, जिला कटक
3.	प्राचीन अवशेष, शिशपुलागढ़, भुवनेश्वर, जिला पुरी
4.	परमगुरु मंदिर, भुवनेश्वर, जिला पुरी
5.	प्राचीन स्थल, चौदवार, जिला कटक
6.	मकरेश्वर मंदिर और इसकी मीमार, भुवनेश्वर, पुरी

1	2
	राजस्थान : जयपुर मण्डल
1.	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़
	त्रिपुरा : गुवाहाटी मण्डल
1.	चतुरदास देवता मंदिर, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश : लखनऊ मण्डल
1.	बारा का छोटा ऊंचा टीला, जिला इलाहाबाद
2.	झूंसी स्थित समुद्रगुप्त एवं हर्षगुप्त का ध्वस्त किला, जिला इलाहाबाद
3.	शिवपुर स्थित हाटगौहा डीह नामक विस्तृत टीला, जिला इलाहाबाद
4.	बिकरी पड़ी ईंटों वाला विशाल खेड़ा जो प्रत्यक्ष रूप से एक बौद्ध नगर के खण्डहर हैं, चारडाह या चन्द्रा, जिला बहराइच
5.	सालार सैफुद्दीन का मकबरा, जिला बहराइच
6.	रजब सालार अलियास हटीला सालार का मकबरा, जिला बहराइच
7.	जामा मस्जिद, जिला बांदा
8.	जनरल व्हाइट लौक्स फोर्स की याद में स्मारक, जिला बांदा
9.	बिखरी पड़ी ईंटों वाला विस्तृत टीला, असोटा, जिला फतेहपुर
10.	खुजुहा स्थित बाग बादशाही, जिला फतेहपुर
11.	हथगांव स्थित हाथीखाना मस्जिद या जयचन्द मस्जिद, जिला फतेहपुर
12.	चौरस टीला, जो खैराई स्थित एक मंदिर स्थल है, जिला फतेहपुर
13.	गढ़ी नामक विस्तृत टीला, जिला फतेहपुर
14.	टिकसरिया विस्तृत टीला एवं हिन्दू मूर्ति समूह, जिला फतेहपुर
15.	कुरारी चार मंदिर, जिला फतेहपुर

1	2
16.	चौकी नामक अफुई टीला, जिला फतेहपुर
17.	वर्गाकार बलुई प्रस्तर स्तम्भ जिस पर सम्वत 974 के महिपाल देवा का एक अभिलेख उत्कीर्ण है जो टाउन हाल से लगे नगर उद्यान में है, जिला फतेहपुर
18.	बहु बेगम का मकबरा, जिला फैजाबाद
19.	सुजाउद्दौला (गुलाब बारी) का मकबरा, जिला फैजाबाद
20.	हाजी इकबाल का मकबरा, जिला फैजाबाद
21.	पिहानी स्थित नवाब सदर जहान का मकबरा, जिला हरदोई
22.	खसौरा स्थित स्मारकीय मकबरा, जिला हरदोई
23.	गढ़वा, बांकरगढ़ के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध ईंट टीला, जिला हरदोई
24.	सुमेरपुर स्थित जैन मंदिर टीले, जिला हमीरपुर
25.	रानी लक्ष्मीबाई महल, झांसी
26.	बिठुर स्थित टीला, जिला कानपुर नगर
27.	स्मारकीय कुआ गार्डन, जिला कानपुर नगर
28.	सवादा कोठी, जिला कानपुर नगर
29.	सूबेदार का तालाब, जिला कानपुर नगर
30.	एक मंदिर के अहाते में तीन मूर्तियां तथा एक गुप्त स्तम्भ, बेहटा, घाटमपुर, जिला कानपुर देहात
31.	जयचन्द को समर्पित कर्रा किला, जिला कौसाम्बी
32.	ब्रिटिश स्मारक, औरंगाबाद, जिला खीरी लखीमपुर
33.	बुन्देला मंदिर, बानपुर, जिला ललितपुर
34.	गणेश खेरा, बानपुर, जिला ललितपुर
35.	जैन मंदिर, बानपुर, जिला ललितपुर
36.	पाली खेरा, बानपुर, जिला ललितपुर
37.	पंच मारहिया मदनपुर के सामने विशाल मंदिर, जिला ललितपुर
38.	सिरोन खुर्द स्थित जैन मंदिर तथा एक तोरण या गेटवे, जिला ललितपुर

1	2
39.	केसरबाग बस स्टेण्ड के पास केसर पसन्द के पास कब्रिस्तान, जिला लखनऊ
40.	कलन की लाट अमीनाबाद, जिला लखनऊ
41.	ब्रिटिश कब्रिस्तान, चिड़िया झील, सप्रू मार्ग, जिला लखनऊ
42.	दो कब्रिस्तान, लखनऊ फैजाबाद मार्ग, 4.5 मील, जिला लखनऊ
43.	जनाब-ए-आलिया का मकबरा, जिला लखनऊ
44.	बड़ा इमामबाड़ा/आसफ-उद-दौला का इमामबाड़ा, जिला लखनऊ
45.	आसफी मस्जिद, जिला लखनऊ
46.	मकबरा, शाहनजफ या गाजी-उद-दीन हैदर का मकबरा, जिला लखनऊ
47.	रौजा-ए-काजमे/काजमे भवन, जिला लखनऊ
48.	पिक्चर गैलरी, जिला लखनऊ
49.	जामा मस्जिद, हुसैनाबाद, जिला लखनऊ
50.	छोटा इमामबाड़ा/मौहम्मद अली शाह का मकबरा, जिला लखनऊ
51.	तहसीन अली मस्जिद, जिला लखनऊ
52.	अहजद अली शाह का मकबरा, जिला लखनऊ
53.	शेर दरवाजा/नील गेट, जिला लखनऊ
54.	कैसरबाग गेट, जिला लखनऊ
55.	जनरल वाली कोठी, जिला लखनऊ
56.	करबला तालकटोरा, जिला लखनऊ
57.	दरगाह हजरत अब्बास, जिला लखनऊ
58.	दियानत-दौला करबला, जिला लखनऊ
59.	मलका जहां करबला, जिला लखनऊ
60.	नसीर-उद-दीन हैदर का करबला, डैलगंज, जिला लखनऊ
61.	नागराम टीला, जिला लखनऊ

1	2
62.	पहाड़नागा टिकुरिया टीला, जिला लखनऊ
63.	सीखचें वाली कोठी, जिला लखनऊ
64.	जामा मस्जिद, जिला महोबा
65.	कीरत सागर की झील, जिला महोबा
66.	मदन सागर की झील, जिला महोबा
67.	विजय सागर की झील, जिला महोबा
68.	एक समतल छत वाला मन्दिर, उरवारा, जिला महोबा
69.	पठारी कादिन स्थित विशाल टैंक, जिला महोबा
70.	इजौली मस्जिद, जिला सुल्तानपुर
71.	मझनगांव के नाम से प्रसिद्ध विशाल डीह जिसके चारों किनारों पर ईंट के टावर हैं, जिला सुल्तानपुर
72.	कुटी शत्रुहनदास के नाम से प्रसिद्ध टीला, जिला श्रावस्ती नगर
73.	लघु गोलाकार टीला, तंडवा, जिला श्रावस्ती नगर
74.	कुर्बान मौहम्मद का मकबरा, बांगर मऊ, जिला उन्नाव
75.	प्राचीन नवाबी मस्जिद, जिला अम्बेडकर नगर
	आगरा मण्डल
76.	बुढ़िया का ताल, इतिमादपुर, आगरा
77.	जामा मस्जिद, आगरा
78.	कंकाली टीला, मथुरा, जिला मथुरा
79.	कोटा टीला, मथुरा, जिला मथुरा
80.	गेटवे तथा सराय, एकदिल, इटावा, जिला इटावा
81.	जामा मस्जिद, इतिमादपुर, आगरा
	पटना मण्डल
82.	धराहरा मस्जिद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
83.	मान महल, वाराणसी, जिला वाराणसी
84.	चौखंडी स्तूप, वाराणसी, सारनाथ, उत्तर प्रदेश
85.	अभिमान का मकबरा, मेहनगर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

1	2
	उत्तरांचल : देहरादून मण्डल
1.	गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर, चमोली जिला
2.	पाण्डुकेश्वर मंदिर, जिला चमोली
3.	महाषु मंदिर, हनोल, चकराता, देहरादून
4.	गंगोलीहाट स्थित मंदिर, जिला पिथौरागढ़
5.	आदिबद्री मंदिर समूह, आदिबद्री, जिला चमोली

निजी एयरलाइनों को विदेशों में उड़ान की अनुमति

***259. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों को विदेशों में उड़ान भरने की अनुमति देने हेतु वर्तमान दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति

***260. श्री रशीद मसूद:**
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय वृद्ध व्यक्तियों की राज्यवार/संघ-राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या देश में निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निराश्रित लोगों की संख्या में वृद्धि के उपर्युक्त रुझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा जांच के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ग) जनगणना 2001 के अनुसार देश में वृद्ध व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल आबादी संलग्न विवरण में दी गई है। वृद्ध व्यक्तियों में निराश्रित के स्तरों पर कोई प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथा सचल चिकित्सकीय देखरेख इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए 'वृद्ध व्यक्ति समन्वित कार्यक्रम' नामक योजना के माध्यम से सरकार गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दे रही है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 200/- रुपए प्रतिमाह का अंशदान दे रही है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इस मिशन में वृद्धजनों सहित समाज के निर्धन, संवेदनशील और हाशिए में रखे गए वर्गों को समन्वित व्यापक और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख मुहैय्या करने के लिए 18 राज्यों पर विशिष्ट जोर देते हुए सम्पूर्ण देश शामिल है। इसके अतिरिक्त, सामान्य स्वास्थ्य देखरेख सेवा प्रणाली के साथ सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए चिकित्सा जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	60 वर्ष और उससे ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों की आबादी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5788078
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17366
3.	अरुणाचल प्रदेश	49916
4.	असम	1560366
5.	बिहार	5501274
6.	छत्तीसगढ़	1504383
7.	दमन व दीव	8042
8.	दादर और नगर हवेली	8814
9.	दिल्ली	719650
10.	गोवा	112273
11.	गुजरात	3499063
12.	हरियाणा	1584089
13.	हिमाचल प्रदेश	547564
14.	जम्मू-कश्मीर	675324
15.	झारखंड	1578662
16.	कर्नाटक	4062022
17.	केरल	3335675
18.	लक्षद्वीप	3729
19.	मध्य प्रदेश	4280924
20.	महाराष्ट्र	8454660
21.	मणिपुर	145470
22.	मेघालय	105726
23.	मिजोरम	49023
24.	नागालैंड	90323
25.	उड़ीसा	3039100
26.	पांडिचेरी	81016
27.	पंजाब	2191693
28.	राजस्थान	3810272
29.	सिक्किम	29040
30.	तमिलनाडु	5507400
31.	त्रिपुरा	232549
32.	उत्तर प्रदेश	11649468

1	2	3
33.	उत्तरांचल	654356
34.	पश्चिम बंगाल	5700099
35.	चंडीगढ़	44912
	कुल	76622321

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2280. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बलों से प्रति वर्ष लगभग कितने व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं;

(ख) क्या सरकार सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान भी रोजगार खोजने में उनकी मदद करने के लिए आगे आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) प्रति वर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सेना कार्मिक सेवानिवृत्त होते है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय इन कार्मिकों के लिए इनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व बहुत-से पाठ्यक्रम आयोजित करता है। इन पाठ्यक्रमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता तथा इंदौर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वे सेवा-योजन में भी इन अधिकारियों की मदद करते हैं।

विवरण

वर्ष 2007-2008-पाठ्यक्रमों की सूची (अफसर)

1. शैक्षणिक संस्थान प्रशासन
2. एयर लाईन ग्राउण्ड आपरेशंस
3. कंप्यूटर में एप्लीकेशन पाठ्यक्रम
4. आटोमोबाईल वर्क्सशाप प्रबंधन
5. सीएडी-सीएएम
6. सी-डेक
7. व्यवसाय प्रबंधन में प्रमाण-पत्र
8. प्रमाणित प्रशिक्षक
9. क्लब प्रबंधन कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम
10. सीपीएल/एटीपीएल के लिए कोचिंग
11. सीएसडी कैंटीन प्रशासन
12. कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा
13. प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा
14. आपदा प्रबंध
15. निर्यात प्रबंधन में उद्यमी विकास कार्यक्रम
16. सुरक्षा एजेंसी में उद्यमी विकास कार्यक्रम
17. ठेकेदारी तथा लघु व्यवसाय प्रबंधन
18. इवेंट प्रबंधन
19. सुविधा प्रबंधन
20. वित्तीय प्रबंधन
21. खाद्य तथा बिवरेज सेवा
22. खाद्य उत्पादन प्रोसीजर
23. फ्रंट आफिस प्रोसीजर
24. होटल सुरक्षा तथा हानि रोकथाम कार्यकारी
25. अस्पताल प्रशासन
26. होस्पिटेलिटी प्रबंधन
27. होटल प्रबंधन
28. औद्योगिक सहकारी प्रबंधन
29. औद्योगिक सुरक्षा, रक्षा तथा अग्निशमन प्रबंधन
30. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वित्त
31. श्रम कानून औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन विकास

32. श्रम कानून और कर कानून
33. लीड आडिटर आईएसओ सर्टीफिकेशन
34. सामग्री प्रबंधन
35. एमएस आफिस तथा नेटवर्किंग
36. एमएस आफिस तथा प्रोग्रामिंग
37. बहुदक्षता पुनर्वास पाठ्यक्रम
38. खुदरा प्रबंधन में व्यवसायिक कार्यक्रम
39. सीफेरिंग
40. सेकेण्ड कैरियर ट्रांजिशन कोर्स
41. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा संभारिकी
42. टेली फाईनेंशियल एकाउंटिंग प्रोग्राम
43. पर्यटन एवं ट्रेवल एजेंसी प्रबंधन

वर्ष 2007-08 के लिए पाठ्यक्रमों की सूची (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक)

1. एसी तथा रेफ्रिजरेशन
2. माल, एस्टेट तथा रिसॉर्ट में प्रशासन प्रबंधन
3. शैक्षिक संस्थानों का प्रशासन, वित्त तथा सुरक्षा
4. एडवांस कुलीनरी स्किल्स
5. एडवांस वेल्डिंग पाठ्यक्रम
6. एयरलाईन कार्गो
7. एयरलाईन सुरक्षा पाठ्यक्रम
8. एयरलाईन टिकटिंग तथा रिजर्वेशन
9. एयरलाईन टिकटिंग तथा रिजर्वेशन तथा एयर कार्गो
10. कंप्यूटर में एप्लीकेशन पाठ्यक्रम
11. सोलर एमरजेंसी लैंपों की असेम्बली और अनुरक्षण
12. सहायक सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम
13. बेकरी
14. बेकरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
15. बारबर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
16. बुनियादी वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरी
17. बुनियादी इंजीनियरी दक्षता
18. बुनियादी प्रिंटिंग पाठ्यक्रम
19. बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी यूजिंग टेली
20. कार ड्राईविंग
21. जीविका परामर्शदाता पाठ्यक्रम
22. सेंट्रल कूलिंग तथा एयरकंडीशनिंग
23. विदेशी भाषा (फ्रेंच, जर्मन, रूसी) में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
24. सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण-पत्र
25. कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण तथा मरम्मत
26. कुक्स प्रशिक्षण
27. डेंटल लैब मैकेनिक्स
28. डेंटल टेक्नीशियन एवं सहायक
29. डेस्क टाप पब्लिशिंग
30. डेस्क टाप पब्लिशिंग तथा प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी
31. डीजीसीएएमई लाइसेंस जांच पेपर-1
32. डीजल जेनरेटर आपरेशन तथा अनुरक्षण
33. एयरलाईन सेवा में डिप्लोमा
34. सहायक प्रबंधक सीएडी कैंटीन में डिप्लोमा
35. वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा
36. ग्राफिक डिजाईन में डिप्लोमा
37. बीमा प्रबंधन में डिप्लोमा
38. माल प्रबंधन में डिप्लोमा
39. मार्केटिंग तथा सेल्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा
40. सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा
41. व्यक्तिगत प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध में डिप्लोमा
42. फिजियाथेरेपी में डिप्लोमा
43. डीओईएसीओ 'ओ' लेवल

44. कार ड्राईविंग तथा अनुरक्षण, सड़क तथा ड्राईविंग शिष्टाचार
45. इलेक्ट्रिकल होम एप्लायंस में उद्यमी विकास कार्यक्रम
46. इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन
47. इलेक्ट्रानिक इन्सटालेशन
48. इलेक्ट्रानिक टेक्नीशियन
49. इलेक्ट्रानिक्स तथा पीसीबी फेबरिकेशन
50. कंप्यूटर हार्डवेयर में उद्यमी विकास कार्यक्रम
51. इलेक्ट्रानिक्स-इन्सट्रूमेंटेशन में उद्यमी विकास कार्यक्रम
52. निर्यात प्रबंधन में उद्यमी विकास कार्यक्रम
53. होम इलेक्ट्रानिक्स मनोरंजन सामानों में उद्यमी विकास कार्यक्रम
54. पावर इलेक्ट्रानिक्स में उद्यमी विकास कार्यक्रम
55. ठेकेदारी तथा लघु व्यवसाय प्रबंधन
56. खाद्य तथा बिवरेज सेवा
57. खाद्य उत्पादन सिद्धांत
58. फ्रंट आफिस प्रोसीजर
59. गारमेंट तथा हथकर्घा निर्यात प्रबंधन
60. हेल्थ सेनिट्री इंस्पेक्टर
61. भारी वाहन ड्राईविंग
62. होम एप्लायंस रिपेयर तथा हाऊस वायरिंग
63. होम स्टे प्रबंधन
64. होटल सुरक्षा तथा हानि रोकथाम सुपरवाईजर कार्यक्रम
65. हाऊसकीपिंग तथा हानि रोकथाम, किचन स्टीवार्डिंग तथा स्टोरकीपिंग
66. हाऊसकीपिंग सुपरवाईजर
67. औद्योगिक सहकारी प्रबंधन
68. बीमा तथा जोखिम प्रबंधन
69. पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान नेटवर्क
70. पर्यटन संबंधी उद्यम प्रबंधन
71. मार्किटिंग प्रबंधन
72. यांत्रिक कार्यशाला प्रशिक्षण
73. मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नीशियन
74. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन
75. आधुनिक सचिवालय प्रणाली
76. सीफेरिंग में माड्यूलर पाठ्यक्रम
77. मोटर ड्राईविंग तथा वाहनों का अनुरक्षण
78. मोटर वाहन इंजीनियरी
79. बहुप्रयोजन स्वास्थ्य कर्मकार
80. मशरूम फार्मिंग तथा फ्लोरिकल्चर
81. नेटवर्किंग
82. एनजीओ प्रबंधन
83. ओटी सहायक
84. कार्यालय प्रबंधन तथा कार्यकारी सचिवालय, प्रणाली
85. सेवाकालीन प्रशिक्षण, हाऊसकीपिंग, हानि रोकथाम, रसोई, स्टीवार्डिंग, स्टोर
86. आरगेनिक फार्मिंग
87. प्लंबिंग
88. प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
89. पावर इलेक्ट्रानिक्स
90. व्यावसायिक कारपेंट्री, वेल्डिंग तथा पेंटिंग
91. व्यावसायिक कुकरी
92. खुदरा प्रबंधन में व्यावसायिक कार्यक्रम
93. इलेक्ट्रिकल होम एप्लायंस की मरम्मत तथा अनुरक्षण
94. इलेक्ट्रिकल होम एप्लायंस तथा हाऊस वायरिंग की मरम्मत तथा अनुरक्षण
95. रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, रंगीन टीवी, सीडी तथा वीसीडी प्लेयर की मरम्मत तथा अनुरक्षण
96. इलेक्ट्रिकल मोटर तथा हाऊस वायरिंग की रिवाइंडिंग

97. सचिवालय प्रणाली, टाईपिंग तथा आशुलेखन तथा कार्यालय प्रबंधन

98. आटोमोबाईल की सर्विस तथा मरम्मत

99. स्टीवार्ड प्रशिक्षण

100. स्टोर्स तथा वेयरहाऊस प्रबंधन

101. उप-अग्नि तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी

102. उप-अग्नि अधिकारी

103. टेलरिंग और कटिंग

104. टेक्सटाईल डिजाईन

105. टूर गाईड तथा एस्कोर्टिंग

106. पर्यटन तथा ट्रेवल एजेंसी प्रबंधन

107. हथकर्घा उत्पाद तथा ग्रामोद्योग ट्रेडिंग

108. वेल्डिंग तथा फेबरिकेशन

109. वेल्डिंग-पाईप फर्नीचर मेकिंग

110. एक्स-रे तथा ईसीजी टेक्नीशियन

[हिन्दी]

बनासकांठा तथा पाटन स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी

2281. **श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात स्थित बनासकांठा तथा पाटन रेलवे स्टेशन काफी गंदे हैं और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें स्वच्छ रखने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पाई ड्रोंस को शामिल किया जाना

2282. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं ने निकट भविष्य में स्पाई ड्रोंस को बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने की एक और योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से स्पाई ड्रोंस अधिग्रहित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सेना जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र दोनों में आतंकवादियों और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए स्पाई ड्रोंस का इस्तेमाल करती आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित एरोनाटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा आई.ए.आई. के सहयोग से मानव रहित विमानों (यूएवी) को विकसित करने संबंधी परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है; और

(च) यदि हां, तो लाभ, गुणवत्ता और विशेषकर अधिक व्यापक चौकसी के लिए युद्धपोत से उनका प्रचालन करने में हमारे विमान चालकों द्वारा सुगमतापूर्वक संचालन किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं में स्पाई ड्रोंस शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सेना स्पाई ड्रोंस नहीं रखती। तथापि, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयों को रोकने के लिए सेना द्वारा भू-आधारित और हवाई निगरानी कार्रवाइयां की जाती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एफआईसीएनईआर के लिए ढुलाई सब्सिडी

2283. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारतीय उद्योग एवं वाणिज्यक परिसंघ ने विनिर्माण स्थान से तैयार माल को सिलीगुड़ी तक ले जाने के लिए ढुलाई सब्सिडी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) ऐसा कोई अनुरोध रेलवे के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लंबित रेलवे परियोजना

2284. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी रेलवे परियोजनाएं लंबित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित तथा जारी की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश में अंशतः/पूर्णतः स्थित चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं, टिप्पणियों सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान उपगत व्यय और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित हो, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत	के दौरान उपगत व्यय			टिप्पणियां तथा लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित हो
		2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइन					
1.	इटावा-मैनपुरी (60 किमी)	129.7	16.47	5.02	9.11	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
2.	आगरा-इटावा बरास्ता फतेहाबाद और बाह (114.1 किमी)	214.9	12.06	9.83	11.02	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
3.	गुना-इटावा (344 किमी)	432.46	24.19	17.42	19.11	समूचा खंड पूरा हो गया है और भिंड-इटावा (36 किमी) को छोड़कर खोल दिया गया है जिसे 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि राज्य सरकार मार्च, 2007 तक वन भूमि सौंप दे।
4.	ललितपुर-सतना एवं रीवा-सिंगरौली एवं महोबा-खजुराहो (541 किमी)	925	18.00	25.33	38.04	महोबा से खजुराहो (65 किमी) खंड 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम रोड ऊपरी पुल (0 किमी)	18.05	0.01	0.01	0.01	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
6.	हथुआ-भटनी (79.64 किमी)	230.03	0.00	0.00	12.25	हथुआ-बथुआ बाजार (22 किमी) के 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7
	आमान परिवर्तन					
1.	मथुरा-अचनेरा (35 किमी)	33.67	0.00	0.00	0	प्रारंभिक कार्य निर्माण परिचालन पट्टा अंतरण योजना के तहत शुरू किया गया था और अब इसे सामान्य बजट सहायता के माध्यम से शुरू किया गया है।
2.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ-चरण 1 (60 किमी)	73.42	0.50	0.12	2.39	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
3.	आनंद नगर नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप (260 किमी)	381.17	15.48	27.12	8.55	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
4.	औंणिहार-जौनपुर (50.6 किमी)	85.92	0.01	0.01	0.57	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
5.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा (233.5 किमी)	320.1	10.01	15.00	47.9	थावे से सिवान (28.43 किमी) पहले ही पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। कप्तानगंज-थावे 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	बरेली से लालकुआं तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली (545 किमी)	661.72	42.12	49.47	78.99	कानपुर-फरूक्काबाद पूरा हो गया है और खोल दिया है। फरूक्काबाद-कासगंज मार्च, 2007 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य है।
	दोहरीकरण					
1.	टूंडला-यमुना ब्रिज (21 किमी)	27.06	0.00	-1.36	18.58	टूंडला फ्लाईओवर के बिना टूंडला-इतमादपुर के बीच जुड़वां इकहरी लाइन का चरण 1 कार्य पूरा हो गया है।
2.	इलाहाबाद-सूबेदारगंज तीसरी लाइन (3.69 किमी)	3.29	0.00	0.00	0	पूरा हो गया है।
3.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन (9 किमी)	65.7	3.31	2.40	2.11	2007-08 में कार्य पूरा होने की संभावना है।
4.	पनकी-भऊपुर के बीच तीसरी लाइन (11.38 किमी)	23.69	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
5.	भीमसेन-जूही (13.82 किमी)	17.94	0.00	0.00	0	2007-08 में कार्य पूरा होने की संभावना है।
6.	छियौंकी-लोहगारा (26.88 किमी)	51.58	0.44	3.87	33.25	मार्च 2007 के अंत तक कार्य पूरा होने की संभावना है।
7.	लोहगारा-कटियाडांडि (32.3 किमी)	65.03	0.00	3.54	4.11	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन (106.15 किमी)	230.73	0.00	0.00	0.38	2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
9.	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन (81 किमी)	214.68	0.00	0.00	0.65	2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
10.	भटनी-बेतालपुर (28 किमी)	71.59	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	मुंडेरवा-बभवान (45.25 किमी)	102.1	0.00	0.00	6	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
12.	गोरखपुर-बेतालपुर (37.93 किमी)	89.18	0.00	0.00	6	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
13.	घाघराघाट-चौकाघाट (5.63 किमी)	91.56	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
14.	भटनी-जौरादेई (38.11 किमी)	100.27	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
15.	बभनान-मानकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण (30.15 किमी)	62.8	0.00	0.00	6	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
16.	सहजनवा-मुंडरेवा कहीं-कहीं दोहरीकरण (32.19 किमी)	80.89	0.00	0.00	0.49	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
17.	गोरखपुर-मनकापुर (28.17 किमी)	69.8	6.94	5.00	14.14	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
18.	गोंडा-मनकापुर (28.17 किमी)	52.01	0.00	1.00	9.99	28.02.07 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
19.	सहिबाबाद-आनंद विहार-तीसरी एवं चौथी लाइन (4 किमी)	49.57	0.02	0.00	0	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
20.	अमरोहा-कानकाठेर (31 किमी)	56.98	6.15	7.22	2.86	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
21.	जाफराबाद-उत्रेतिया चरण-II (जाफराबाद-श्रीकृष्णनगर) (34 किमी)	70.28	9.99	10.78	26.85	जाफराबाद-सराय हरकू (26 किमी) पूरा हो गया है और शेष हिस्सा 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
22.	उत्रेतिया-चंदरौली और सुल्तानपुर-बंधुआ कलां (37 किमी)	65.83	5.44	4.25	40.43	सुल्तानपुर-बंधुआ कलां पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। उत्रेतिया-अनूपगंज पूरा हो गया है। अनूपगंज-चंदरौली (14 किमी) 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
23.	उत्रेतिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद का शेष खंड (148 किमी)	301.18	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
24.	हापुड़-कानकाठेर (42.71 किमी)	106.64	0.14	6.86	25.35	हापुड़-सिम्भौली (23 किमी) मार्च 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
	रेलवे विद्युतीकरण (60 किमी)					
1.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर (207 किमी)	89.21	0.00	0.00	0	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
2.	अंबाला-मुरादाबाद (274 किमी)	246.46	23.42	36.70	32.6	मार्च 2007 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	उत्रेतिया-सुल्तानपुर-मुगलसराय (288 किमी)	234.18	0.00	0.00	0	2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	मुरादाबाद-लखनऊ-उत्रेतिया (338 किमी)	209.2	0.00	0.00	0	2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

परियोजनाएं, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण के जरिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। निधियों का आवंटन आंतरिक संसाधन सृजन द्वारा किया गया है।

रेलवे लाइन के स्तर को ऊंचा उठाना

2285. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा फ्रेट कारिडोर परियोजना के अंतर्गत पुरानी रेल लाइनों के स्तर को ऊंचा किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ रेलवे द्वारा कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मौजूदा रेलवे लाइन जो कि समर्पित मालभाड़ा गलियारे का फीडर मार्ग है, का भारी रेलगाड़ियों के संचलन के लिए उन्नयन किया जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी गलियारे के लगभग 4000 किमी मार्गों की उन्नयन हेतु पहचान की गई है।

(ग) और (घ) लगभग 400 करोड़ रु. के कार्यों को चिन्हित किया गया है और उपर्युक्त उन्नयन को 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस तरह के कार्यों को पूरा करने में 3-4 वर्ष लगते हैं।

[अनुवाद]

डीआरडीओ प्रणालियों में संचालनात्मक समस्याएं

2286. श्री नवीन जिन्दल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) के बजट का कितना प्रतिशत मौलिक अनुसंधान पर व्यय किया गया;

(ख) क्या डीआरडीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रणालियों में संचालनात्मक समस्याओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं/सामने आई हैं;

(ग) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं;

(घ) क्या डीआरडीओ की परियोजनाओं के परिणामस्वरूप आयातों पर रक्षा व्यय में कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान मौलिक अनुसंधान पर अपने वार्षिक बजट का लगभग 8-10% खर्च किया है।

(ख) और (ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक विकास एजेंसी है जिसके उत्पाद, उत्पादन एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने के बाद प्रयोक्ताओं के सुपुर्द किए जाते हैं। किसी उत्पाद को उपयोग में लाने से पहले कई चरणों के कठोर उत्पाद प्रणालियों से गुजरना पड़ता है। संक्रियात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित मामलों को आवश्यकताअनुसार विकास एजेंसी को भेजा जाता है। जहां कहीं आवश्यक हुआ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) रक्षा उत्पादन और विकास संगठन द्वारा विकसित उत्पादों की धनराशि का संचयी मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इस धनराशि को आयात पर रक्षा व्यय में कटौती माना जा सकता है।

फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां स्थापित करना

2287. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से राज्य में फल आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार की बारामूला तथा कुपवाड़ा जिलों में छोटे बागान मालिकों के लिए विशेष प्रोत्साहनों सहित पैकेज देने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ड) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-4 के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए बढ़े हुए स्तर (क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड) पर सहायता उपलब्ध है। यह संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की दर पर दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा नई इकाइयों की स्थापना हेतु 4.00 करोड़ रुपये और वर्तमान इकाइयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु 1.00 करोड़ रुपये है। संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त पूर्ण और व्यावहारिक परियोजना प्रस्तावों पर विचार सहायता देने हेतु किया जाता है। मंत्रालय स्वयं परियोजनाओं की स्थापना नहीं करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में 10.31 करोड़ रुपये की सहायता वाली 23 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इस अवधि के दौरान फल और सब्जी प्रसंस्करण पर आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए 2.85 करोड़ रुपये की कुल सहायता वाली 7 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर को वित्तीय सहायता देने संबंधी प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पांच परियोजना प्रोफाइल्स के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 19.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है और परियोजनाओं के संबंध में आशय-पत्र सिद्धांततः अनुमोदन सम्प्रेषित कर दिया गया है ताकि राज्य सरकार मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार करने के लिए अपेक्षित भूमि की व्यवस्था, वित्त के टाइडअप स्रोत, बैंक/वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट आदि की व्यवस्था कर सकें।

सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम यानी समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन का विस्तार 845.00 करोड़ रुपये के कुल आबंटन समेत दसवीं योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक किया गया है जिसमें से मिशन मोड दृष्टिकोण में बागवानी के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबोधन के लिए 100.00 करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त मिशन के अंतर्गत; किसानों/उद्यमियों को रोपण सामग्री के उत्पादन, उत्पादन और उत्पादकता सुधार, बागवानी उपज के फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन और प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एनसीएचएमसीटी को विश्वविद्यालय का दर्जा

2288. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल काउंसिल आफ होटल मैनेजमेंट एंड-कैटरिंग टेक्नोलाजी (एनसीएचएमसीटी) को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) होटल प्रबंधन क्षेत्र में सांविधिक शैक्षणिक संस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) 'विश्वविद्यालय मानने' का दर्जा प्रदान करने के लिए एनसीएचएमसीटी के आवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(घ) विशेष रूप से होटल प्रबंधन क्षेत्र में सांविधिक शैक्षणिक संस्था बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।

अपस्ट्रीम अवसंरचना में हिस्सेदारी के लिए पूल

2289. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "डीप सी ड्रिलिंग रिगों" की भारी कमी के कारण हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने तेल की खोज करने वाली कंपनियों के बीच अपस्ट्रीम अवसंरचना के परस्पर उपयोग के लिए एक साझा पूल गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी के पास 29 रिगों का सबसे बड़ा बेड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी के पास दूसरी कंपनी को देने के लिए अतिरिक्त रिग क्षमता है;

(घ) क्या डीसी रिगों का किराया बढ़कर आफशोर 2,25,000 अमरीकी डालर प्रतिदिन से भी अधिक हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से भारतीय आफशोर पर वर्तमान में चल रहे डीप सी तेल खोज कार्य के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 1.3.2007 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी पच्चीस (25) अपतट वेधन रिगों का प्रचालन कर रही है, जिसमें नौ (9) उनके स्वामित्व में है। इसके अलावा ओएनजीसी के स्वामित्व वाले 70 वेधन रिग तटवर्ती क्षेत्रों में भी लगाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) दरें बाजार निर्धारित हैं और रिग का प्रकार, क्षमता आदि के आधार पर अलग-अलग होती हैं।

बजट आबंटन का कम उपयोग

2290. श्री राम कृपाल यादव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट आबंटन का मात्र 30% उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा पूरे बजटीय आबंटन का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में आबंटित बजट का, फरवरी, 2007 तक 89.82% उपयोग किया है। योजना परिव्यय के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों में आबंटित 150 करोड़ रुपये की तुलना में, मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2007 तक 134.73 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष के लिए 181.70 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आबंटन करने का भी अनुरोध किया है।

विमान पार्किंग का स्थान

2291. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो शहरों में विमानपत्तन विमानों की पार्किंग के लिए स्थान की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद विमानपत्तनों पर कितने विमानों को खड़ा किया जा सकता है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास कितने आवेदन लंबित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) हवाईअड्डों पर उपलब्ध विमान पार्किंग स्टैंड का ब्यौरा इस प्रकार हैं:- दिल्ली में 87 (+12 सामान्य विमानन के लिए), मुंबई-87, चेन्नई-46, हैदराबाद-17 तथा बंगलौर-18।

(ग) लंबित आवेदनों की संख्या हवाईअड्डा-वार हैं:- चेन्नई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)-शून्य, हैदराबाद (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)-9, बंगलौर (एचएएल)-5, दिल्ली (डीआईएएल)-17 तथा मुम्बई (एमआईएएल)-शून्य।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों की खस्ता हालत

2292. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक ऐतिहासिक स्मारक खस्ता हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय महत्व के अधिसूचित प्राचीन स्मारकों का अनुरक्षण तथा संरक्षण प्रत्येक स्मारक की जरूरतों के अनुसार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संसाधनों की आवश्यकताओं और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए संरक्षित स्मारकों की संरचनात्मक मरम्मत, संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास करता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजना

2293. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान उड़ीसा में चल रही प्रत्येक रेल परियोजना के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि निधियों की कमी के कारण कई परियोजनाएं विलंबित हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो पर्याप्त निधियां प्रदान करने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजट सहायता के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रेलवे ने अनेक उपाय किए हैं। उड़ीसा में चल रही अनेक नई लाइन तथा दोहरीकरण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनका कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) को सौंपा गया है।

विवरण

उड़ीसा में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली विभिन्न चालू/स्वीकृत नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए बजट 2006-07 में उपलब्ध परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	नई लाइनें	
1.	दैतारी-बांसपानी (155 किमी)	155.85
2.	लंजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 किमी)	19.00
3.	खुर्दा रोड-बोलनगीर (289 किमी)	23.00
4.	हरिदासपुर-पारादीप (82 किमी)	44.00
5.	अंगुल-सुकिंदा रोड (98.7 किमी)	20.00
6.	तलचेर-बिमलागढ़ (154 किमी)	10.00
	आमान परिवर्तन	
1.	नौपाड़ा-गुनुपुर (90 किमी)	34.00
2.	रूपसा-बांगरीपोसी (89 किमी)	15.89
	दोहरीकरण	
1.	महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल (3 किमी)	39.90
2.	लंजीगढ़-टिटलागढ़ (47 किमी)	15.00
3.	रजतगढ़-बैरंग (20 किमी)	72.70

4.	खुर्दा रोड-पुरी (चरण-I) (15.3 किमी)	10.00
5.	संबलपुर-रेंगली (22.7 किमी)	20.00
6.	झारसुगुड़ा-रेंगली (25.6 किमी)	10.00
7.	कटक-बैरंग (12 किमी)	40.15
8.	खुर्दा रोड-बैरंगी तीसरी लाइन (35 किमी)	46.60
9.	जारसुगुड़ा बाई पास लाइन (8.73 किमी)	13.62
10.	विजयनगरम-कोट्टावलासा तीसरी लाइन (34.7 किमी)	5.00
11.	संबलपुर-टिटलागढ़ (182 किमी)	5.00
12.	कोट्टावलासा-सिंहाचलम चौथी लाइन (16.9 किमी)	0.01

असम में रेल कोच फैक्ट्री

2294. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

2295. श्री गिरिधारी यादव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है और इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त श्रेणी के छात्रों के लिए स्वीकृत लेकिन अभी तक निर्मित नहीं किए गए छात्रावासों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त छात्रावासों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के बाद अनुसूचित जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए हास्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अनुदान

2296. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कुल कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केंद्रीय वक्फ काउंसिल द्वारा अभी तक कितनी संपत्तियां विकसित की गयी हैं;

(ग) क्या सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देश में वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाये जा रहे हैं कि देश में वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पर्याप्त निधि प्रदान की जाए?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केंद्रीय वक्फ परिषद (सी.डब्ल्यू.सी.) को भारत सरकार द्वारा जारी की गई सहायता अनुदान नीचे दी गई है-

2003-2004	-	158.00 लाख रुपये
2004-2005	-	137.00 लाख रुपये
2005-2006	-	143.25 लाख रुपये
2006-2007	-	73.00 लाख रुपये

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सी.डब्ल्यू.सी. ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की:-

2003-2004	-	11 परियोजनाएं
2004-2005	-	08 परियोजनाएं
2005-2006	-	07 परियोजनाएं
2006-2007	-	04 परियोजनाएं

(ग) और (घ) सी.डब्ल्यू.सी. को सहायता अनुदान हेतु 2007-2008 के लिए बढ़े हुए प्रावधान प्रस्तावित किए गये है।

पश्चिम बंगाल में सैनिक कल्याण बोर्ड

2297. श्री जोवाकिम बखला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के किन जिलों में जिला सैनिक कल्याण बोर्डों की स्थापना की गई है;

(ख) इनकी स्थापना किए जाने की तिथियां एवं वर्ष क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके माध्यम से कितने भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार तथा सेवाओं में नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को क्या सहायता प्रदान की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख)

बर्दवान	जनवरी 1949
बेलुरघाट (दक्षिण दिनाजपुर)	जनवरी 1995
बरामपुर (मुर्शिदाबाद)	मार्च 2006
दार्जिलिंग	नवम्बर 1944
हावड़ा	अप्रैल 1949
जलपाइगुड़ी	अप्रैल 1979
कोलकाता	सितंबर 1945
कृष्णानगर	नवंबर 1986
मिदनापुर	सितंबर 1955
24 परगना (उत्तर)	जनवरी 2000
24 परगना (दक्षिण)	मार्च 1966

(ग) 1733 भूतपूर्व सैनिक।

(घ) निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:-

(1) भूतपूर्व सैनिकों के स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों को 360/- रु. प्रतिमाह वजीफा/पुस्तक अनुदान।

(2) भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के विवाह पर 4000/- रुपए का विवाह अनुदान।

(3) क्यू एम टी आई, पुणे में प्रशिक्षणाधीन नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 900/- रुपए प्रतिमाह का निर्वाह अनुदान।

(4) स्वरोजगार योजना के तहत विधवाओं सहित नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए बिक्री ट्रालियां।

(5) पश्चिम बंगाल धर्मार्थ राहत कोष के अंतर्गत निस्सहाय विधवाओं के लिए 4000/- रुपए (एक बार) की वित्तीय सहायता।

(6) सैनिक शिशु कल्याण सदन के अंतर्गत बाल गृह/ अनाथालय।

(7) इंजीनियरी में भूतपूर्व सैनिकों/उनके बच्चों के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं।

(8) दूसरे विश्व युद्ध के सेनानियों के लिए 500/- रुपए प्रतिमाह और दूसरे विश्वयुद्ध की विधवाओं के लिए 300/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता।

रेलवे का छोटे पत्तनों तक विस्तार

2298. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के छोटे पत्तनों तक ब्राडगेज रेलवे लिंकेज के लिए तथा उन्हें मुंबई-दिल्ली को जोड़ने वाले डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कारिडोर से जोड़ने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) गुजरात में पत्तनों से रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अनुरोध एवं उनपर प्रस्ताव की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पत्तन का नाम	प्रस्ताव की स्थिति
1.	दहेज पत्तन (भरूच-समनी-दहेज आमान परिवर्तन)	इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है और इसे रेल विकास निगम लि. द्वारा निष्पादित किया जाना है। आर वी एन एल ने एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन योजना (एस पी वी) अर्थात् भरूच दहेज रेलवे कंपनी लि. का सृजन किया है जो इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करेगी। शेयरधारकों के करार पर 12.1.07 को हस्ताक्षर हो गए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 165.77 करोड़ रु. है। इस परियोजना के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 10 करोड़ रु. की लागत मुहैया करा दी गई है।
2.	हजीरा पत्तन (सूरत-हजीरा नई लाइन)	सूरत-हजीरा रेलवे लाइन को रेल विकास निगम लि. द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विशेष प्रयोजन योजना का सृजन किया जा रहा है।
3.	धोलेरा पत्तन	रेल विकास निगम लि. इस पत्तन से रेल संपर्क के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग-सह-सहायता सर्वेक्षण (पी ई टी एस) शुरू कर रहा है।
4.	बेदी और न्यू बेदी पत्तन संपर्क	मैसर्स राइट्स द्वारा किये गए अध्ययन का इस मंत्रालय में मूल्यांकन किया जा रहा है।
5.	ओखा पत्तन, वेरावल पत्तन, सिमर/छारा पत्तन (तलाला-देलवाड़ा के बीच आमान परिवर्तन सहित), सिक्का पत्तन, मुलद्वारका पत्तन, जाफराबाद पत्तन, मिथिविर्दी पत्तन, वंर्शी वार्सी पत्तन, पोरबंदर पत्तन और मरोली पत्तन से संपर्क के लिए नई लाइन	इन प्रत्येक पत्तनों की रेल लाइन की लंबाई 10 किमी. से कम है। लाइनों की लंबाई और आने वाले कम यातायात पर विचार करते हुए ये परियोजनाएं वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं तथा राज्य सरकार अपनी निधियों से रेल संपर्क का विकास कर सकती है।

रामपुर में कोसी जंक्शन पर रेल उपरि पुल

2299. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रामपुर में कोसी जंक्शन के समीप समपार पर बार-बार होने वाले भारी ट्रैफिक जाम की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समपार पर रेल उपरि पुल बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रेलवे भाग के कार्य सहित संपूर्ण कार्य को करना शुरू कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

2300. **श्री नरहरि महतो:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नि:शक्त व्यक्तियों को रेलवे प्लेटफार्म पर प्रवेश करने से लेकर यात्रा समाप्त करने तक रेलवे द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(ख) क्या नि:शक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित डिब्बों तथा उनके स्थानों के बारे में सूचना देने के लिए कोई प्रबंध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलगाड़ियों में नि:शक्त यात्रियों को नीचे की बर्थ आवंटित करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 का अनुसरण करते हुए रेलवे की निम्नलिखित सात अल्प-कालिक सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है:-

1. अवरोध रहित प्रवेश के लिए मानक रैंप
2. विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग लाट को चिह्नित करना।
3. पैदल चलने के लिए फिसलनरहित रास्ता
4. सुस्पष्ट संकेत
5. प्रसाधन
6. विकलांग व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप पानी के नलके
7. "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" बूथ की व्यवस्था

इसके अलावा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है।

प्रथम चरण में 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर ये सभी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। अब रेलों का निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान 'बी' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर ये सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है।

अंतर रेल प्लेटफार्म संपर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मों के अंतिम छोर पर ट्राली पथ की व्यवस्था की गई है जिससे होकर विकलांग व्यक्तियों को सहयोगी द्वारा व्हील चेयर में ले जाने की अनुमति है।

भारतीय रेल कुछ ऐसी सवारी डिब्बों का विनिर्माण कर रही है जिमसें व्हील चेयर का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रकार के डिजाइन का एक अलग कम्पार्टमेंट होता है, इन कम्पार्टमेंटों में चौड़े प्रवेश द्वार, व्हील चेयर की आसानी से आवाजाही के लिए गलियारा और नी स्पेस, चौड़ी शायिकाएं इस प्रकार के यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसाधन, यात्रा के दौरान व्हील चेयर की सुरक्षा आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था है, विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल इस प्रकार के कुछ सवारी डिब्बे पहले से ही सेवारत हैं। अगले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में इस प्रकार का एक सवारी डिब्बा मुहैया कराने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाए गए सवारी डिब्बों में सुस्पष्ट संकेत दिए होते हैं और सवारी डिब्बा के बाहर इसे दर्शाया जाता है।

(घ) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली द्वारा स्वत: विकलांग रियायती टिकट के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को उनकी यात्रा के अनुसार नीचे की शायिका आबंटित हो जाती है और विकलांग व्यक्ति के मार्गरक्षक के रूप में चलने वाले व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति की शायिका ने नजदीक बीच/ऊपर वाली शायिका आबंटित की जाती है बशर्ते कि बुकिंग के समय इस प्रकार की शायिकाएं उपलब्ध हों।

गाड़ी के प्रस्थान के बाद, यदि गाड़ी में नीचे की शायिकाएं खाली होती है और विकलांग रियायती टिकट पर यात्रा कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, जिसे ऊपर/बीच वाली शायिका आबंटित की गयी हो, के द्वारा नीचे की खाली शायिका को आबंटित करने का अनुरोध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंडक्टर/गाड़ी टिकट परीक्षक (टीटीई) को प्राधिकृत किया गया है वह चार्ट में आवश्यक प्रविष्टी करके नीचे की खाली सीट उसे आबंटित कर दें।

[हिन्दी]

जुबली रिटेल आउटलेटों का ठेका

2301. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संचालित की जाने वाली जुबली रिटेल आउटलेटों में श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति, कार्यकरण तथा बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और आईबीपी कं. लिमिटेड (आईबीपी) ने रिपोर्ट भेजी है कि पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों में कार्यरत श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति तथा बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में बाद्दी में इनलैंड कंटेनर डिपो

2302. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानकोर द्वारा हिमाचल प्रदेश के बाद्दी स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो पर कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट पर रेलवे द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यावहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार से इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए संपर्क साधा गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए भूमि का चयन कर लिया है और बाद्दी में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से भारतीय कंटेनर निगम लि. की बातचीत अंतिम दौर में चल रही है।

[हिन्दी]

रेल परियोजना हेतु सर्वेक्षण

2303. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में रेलवे द्वारा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उन परियोज्नाओं को पूरा करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है अथवा किया जा रहा है जिनके संबंध में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान कुल 213 सर्वेक्षण किए गए थे जिनमें 148 नई लाइनों के लिए, 26 आमान परिवर्तन और 39 दोहरी लाइन बिछाने के लिए थे। इनमें से 27 स्वीकृत हैं और 61 को ताक पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में धरोहर इमारतें

2304. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी स्मारक को धरोहर इमारत घोषित करने संबंधी दिशानिर्देश क्या है; और

(ख) कर्नाटक में ग्रेड-I सूची में सूचीबद्ध धरोहर इमारतों की संख्या कितनी है जिनका समुचित संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार किसी भी प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित कर सकती है। कोई संरचना, स्मारक, स्तूप, गुफा, शैल मूर्ति, अभिलेख आदि, जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का हो और जो 100 वर्षों से कम का न हो वह प्राचीन स्मारक होगा।

(ख) कर्नाटक में दो विश्व विरासत स्थल अर्थात् हम्पी स्थित स्मारक समूह तथा पट्टडकल स्थिर मंदिर समूह ग्रुप 'ए' स्मारकों के रूप में वर्गीकृत हैं।

ओएनजीसी एवं गेल में आईओसी का हिस्सा

2305. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड में अपने हिस्से को बेचने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के अनुरोध पर आईओसी द्वारा आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) में अपने हिस्से की प्रतिधारिता बेचने के लिए इस मंत्रालय ने 2.12.2005 को अनुमोदन दे दिया था। आगे, 24.1.2006 के पत्र के द्वारा इस मंत्रालय ने आईओसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीके में, ओएनजीसी में आईओसी की 20% तक तथा गेल में 50% तक की अंशधारिता को वापस लेने का अनुमोदन दिया है।

रेलवे की घाटे में चल रही रेलगाड़ियां

2306. श्री रनेन बर्मन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी आय अर्जित की गई है;

(ख) रेलवे द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई यात्री सुविधाओं में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रेल द्वारा संचालित घाटे में चल रही रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रेलगाड़ियों के घाटे में चलने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे का सकल अर्जन निम्नानुसार है:-

2003-2004	:	42842.16 करोड़ रु.
2004-2005	:	47038.25 करोड़ रु.
2005-2006	:	54404.56 करोड़ रु.

(ख) निधि की उपलब्धता के अनुसार और स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर के आधार पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना/संवर्द्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न स्टेशनों पर बहुत सी यात्री सुविधाएं अर्थात् प्लेटफार्मों की व्यवस्था, उनका विस्तार, उनकी सतह में सुधार, जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार, शौचालयों/मूत्रालयों की व्यवस्था, उपरि पैदल पार पुलों (एफ ओ बी) की व्यवस्था, सुर्कलेटिंग क्षेत्र में सुधार, प्रकाश व्यवस्था में सुधार, जन उद्घोषण प्रणाली की व्यवस्था और इंट्राएक्टिव वायस रैस्पांस सिस्टम (आई वी आर एस) आदि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) रेलों द्वारा गाड़ी-वार हुई हानि का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में प्रशिक्षण सुविधाएं

2307. श्री सुब्रत बोस: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए), रायबरेली में पायलटों के प्रशिक्षण हेतु आधुनिक एवं अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमान उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या विदेशी पायलट भी प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। इसके अतिरिक्त आगे स्तरोन्नयन चल रहा है।

(ख) यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारण के अनुसार होता है तथा इसमें ग्राउंड प्रशिक्षण और उड़ान प्रशिक्षण सम्मिलित होते हैं। उड़ान प्रशिक्षण में 200 घंटों की उड़ान सम्मिलित होती है। निर्धारित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की सफलतापूर्वक समाप्ति पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पाने के लिए प्रशिक्षु को डीजीसीए द्वारा संभावित परीक्षा पास करनी होती है। इस प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है। अब तक इस अकादमी द्वारा कुल 490 पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में यहां 168 प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) अतीत में अकादमी द्वारा विदेशी पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है। तथापि इस अकादमी से वर्तमान में यहां कोई भी विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से अशक्त यात्रियों के अनुकूल रेल डिब्बे

2308. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) ने एक गैर-सरकारी संगठन के सुझाव पर शारीरिक रूप से आशक्त यात्रियों की सुविधा हेतु रेल डिब्बों के डिजाइन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिवर्तन से रेल डिब्बों में यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कोई अंतर आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और संकेतों का इष्टतम उपयोग करके यात्रा को आरामदायक बनाना एक प्रमुख क्षेत्र है। भारतीय रेल 2001-02 से विकलांग अनुकूल सवारी डिब्बों का विनिर्माण कर रही है। अ.अ.मा.सं. भी विकलांग व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सुविधाओं और सवारी डिब्बे में स्थान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन-सामर्थ्य-विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की भी सलाह ले रहा है।

(ग) और (घ) हालांकि अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराते समय, सवारी डिब्बों की वहन क्षमता में कमी न आए, इसका प्रयास किया जाता है।

स्टेशनों पर पेयजल सुविधा

2309. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा नहीं है और कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति है कि वहां नल तो है परंतु उनमें पानी नहीं आता और कुछ स्थानों पर नल भी गायब है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गाड़ी संख्या 2412, 2122 और मसूरी एक्सप्रेस के डिब्बे विशेष रूप से शयनयान गंदी एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उन रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है जिनके डिब्बे जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और शौचालय गंदे हैं तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल पर 8000 से अधिक स्टेशन हैं। रेलवे का प्रयास सभी स्टेशनों पर यात्रियों को पीने का पानी मुहैया कराना है। कुछ छोटे स्टेशनों पर या तो नगरपालिका से पानी की आपूर्ति नहीं होने या खारे पानी की उपलब्धता, हैंड पम्प से निकलने वाले भूजल की अपर्याप्तता के कारण पानी नहीं होता है। इसके अलावा, कुछ ऐसे स्टेशनों पर जहां पाइप वाली/हैंड पम्प वाली आपूर्ति होती है, ग्रीष्म ऋतु में नगरपालिका द्वारा पानी की कम आपूर्ति होने, भूजल का तल नीचे हो जाने इत्यादि तथा पानी की मांग बढ़ने के कारण पानी की कमी हो जाती है। ऐसे मामलों में निजी पानी टैंकरों से पानी की व्यवस्था करके स्टेशनों पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। पानी की अत्यधिक कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में पानी विशेष गाड़ी भी चलाई जाती है। यात्रियों के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता के लिए जल शीतकों, चल पानी ट्रालियों, मटकों की व्यवस्था की जाती है। बहुत-से गैर-सरकारी संगठन भी यात्रियों के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, पैकेटबंद पीने का पानी/प्राकृतिक मिनरल वाटर स्थैतिक और चल खानपान/विक्रेता इकाइयों के माध्यम से बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, पनशालाओं की आवश्यक मरम्मत भी की जाती है। इसके अलावा, आवधिक निरीक्षण और जहां कहीं नल खराब हो गए होते हैं उसको ठीक करके पानी के नल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। 2412-गोंडवाना एक्सप्रेस, 2122-मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और 4042 मसूरी एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों के कोचिंग रेक अनुरक्षण के लिए भारतीय रेल के विभिन्न कोचिंग डिपुओं में भेजे जाते हैं। नामित अनुरक्षण लाइनों में रेकों की गहन जांच की जाती है और साफ-सफाई (बाहरी और आंतरिक), शौचालयों की सफाई और यात्री सुविधा मदों की देख-रेख की जाती है।

टर्मिनल स्टेशनों पर कोच के शौचालयों की सफाई के अलावा, अनुरक्षण अनुसूचि के दौरान गाड़ी के गतिमान रहने अथवा शरारती तत्वों द्वारा शीशों को तोड़ने/खराब किए जाने पर भी ठीक किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन

2310. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस में पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि करने हेतु दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता ज्ञापन फ्रांस से पर्यटकों को भारत के प्रति आकर्षित करने में कितना सहायक होगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और फ्रांस के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दिनांक 20.02.06 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन भाग लेने वाले देशों के बीच पर्यटन मार्केटिंग तथा संवर्धन के लिए एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। यह आपसी लाभ के लिए संवर्धनात्मक तथा मार्केटिंग कार्यकलापों, ट्रेवल ट्रेड प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, जानकारी के आदान-प्रदान, निवेशों को सुलभ बनाने, मानव संसाधन विकास तथा विशेष संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन को सुलभ बनाएगा।

[हिन्दी]

पिस्तौल/रिवाल्वरों की गुणवत्ता

2311. श्री अशोक अर्गल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा निर्मित अनुमेय रिवाल्वरों/पिस्तौलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन लाइसेंस धारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त हथियार उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या पिस्तौलों/रिवाल्वरों की गुणवत्ता में तकनीकी सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कब तक सुधार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् लाइसेंस धारकों को रिवाल्वर/पिस्तौल जारी करने में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा कितना समय लिया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) आयुध निर्माणियों द्वारा सिविलियन इस्तेमाल के लिए चालू वर्ष में अब तक उत्पादित अनुमत्य/अप्रतिषिद्ध नाल वाले शस्त्रों के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

शस्त्र	अब तक उत्पादित
.32 रिवाल्वर	17679
.32 पिस्तौल	4235
.22 रिवाल्वर	580

(ख) लाइसेंस धारकों, जिन्हें उक्त शस्त्र उपलब्ध करवाए गए हैं, का राज्यवार ब्यौरा:-

राज्य	.32 रिवाल्वर	.32 पिस्तौल	.22 रिवाल्वर
1	2	3	4
असम	-	132	-
अरुणाचल प्रदेश	-	8	-
आंध्र प्रदेश	25	59	10
बिहार	269	312	-
छत्तीसगढ़	50	43	1
दिल्ली	212	31	83
गोवा	5	12	-
गुजरात	416	45	20
हरियाणा	1554	1029	101
हिमाचल प्रदेश	88	33	-
जम्मू-कश्मीर	132	76	-
झारखंड	46	58	-
कर्नाटक	171	31	43
केरल	-	-	-
मध्य प्रदेश	350	79	42
महाराष्ट्र	623	58	1
मणिपुर	-	-	-
मेघालय	1	18	-
उड़ीसा	17	67	1
पंजाब	2029	209	83
राजस्थान	307	78	21
सिक्किम	1	-	-
तमिलनाडु	10	43	2
उत्तराखंड	263	112	1
उत्तर प्रदेश	11006	1583	125
पश्चिम बंगाल	24	58	16
संघ राज्य क्षेत्र	11	0	31

(ग) और (घ) उत्पाद का तकनीकी सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वर्ष अर्थात् 2006-07 में, .32 रिवाल्वर के फायरिंग मैकेनिज्म में सुधार किया गया ताकि अविस्फोटन की संभावना को और कम किया जा सके तथा ट्रिगर दबाने के प्रयासों में कमी लाने के लिए कार्य चल रहा है जिसे 2007-08 में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। इसी प्रकार .32 ''पिस्तौल के फायरिंग मैकेनिज्म में डिजाइन संबंधी कुछ परिवर्तनों द्वारा सेल्फ अनलाकिंग की समस्या का 2006-07 में समाधान किया गया। पिस्तौल के बाह्य ढांचे (बोडी) की सतह के और अधिक संरक्षण एवं उसके बेहतर दिखाई देने के लिए उस पर रंगीन टेफ्लोन मुलम्मा चढ़ाने के लिए इस समय परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसे 2007-08 में कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

(ङ) चूंकि आयुध निर्माणियां मूलत: रक्षा सेनाओं के लिए शस्त्रों और गोलाबारूद का उत्पादन कर रही हैं अत: रक्षा मदों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। रक्षा सेनाओं के कार्यभार के आधार पर, सिविलियन लाइसेंस धारकों के लिए रिवाल्वरों/पिस्तौलों के उत्पादन और निर्गम में एक से चार माह का समय लगता है।

महाराष्ट्र में नासिक से कल्याण, पनवेल से करजात तक नयी रेल लाइनें

2312. श्री देविदास पिंगले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र में नासिक से कल्याण, पनवेल से करजात पुणे तक नई रेल लाइनों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेल मार्ग पर निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है और निर्माण कार्य को कब तक स्वीकृत प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नासिक रोड-कल्याण और पनवेल-करजत-पुणे के बीच रेल लाइन पहले से ही मौजूद है।

हैंगर संबंधी नीति

2313. श्री राकेश सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की हैंगर भूमि जैसी परिसंपत्तियों को राजकीय प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को प्रदान करने संबंधी केन्द्र सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिसंपत्तियों का किराया निर्धारित करने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-कारोबारी प्रयोजनार्थ इस परिसंपत्तियों के निःशुल्क उपयोग की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार से ऐसी परिसंपत्तियों जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है का किराया माफ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) की नीति के रूप में स्थान की उपलब्धता के मद्देनजर उनके विमानों की पार्किंग के लिए हवाईअड्डों पर हैंगरों का लाइसेंस राज्य सरकार को प्राप्त है। यदि राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रयोग के लिए हैंगर का निर्माण किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए, सामान्यतः जहां राज्य सरकार विस्तार/विकास के उद्देश्यों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क आधार पर हवाईअड्डों पर भूमि हस्तांतरित/प्रदान करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष 1/- रुपए प्रति वर्ग मीटर के नाममात्र लाइसेंस शुल्क पर भूमि का आवंटन किया जाता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भूमि के लागत, भवन के निर्माण तथा अन्य संरक्षण प्रभारों की व्यवहारिक वापसी को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डों पर हैंगर स्थलों के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण तथा समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश फ्लाइंग स्कूल, भोपाल द्वारा भूमि के आवंटन तथा हैंगर/बैरेक/अधिग्रहित भूमि के प्रति प्रभारों से छूट के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रतिवर्ष 1/- रु. प्रति वर्ग मीटर के भुगतान पर 5.87 एकड़ भूमि के आवंटन तथा 2 करोड़ रु. के बकाया प्रभारों को समाप्त करने का अनुमोदन किया गया है। यह अनुमोदन, विस्तार/विकास उद्देश्यों के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न हवाईअड्डों पर निःशुल्क आधार पर राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने सहित विभिन्न शर्तों के मद्देनजर किया गया है।

[अनुवाद]

गैर-अर्थक्षम पेट्रोल पंप

2314. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सरकारी क्षेत्र के चार तेल उपक्रमों के साठ प्रतिशत से अधिक पेट्रोल पंपों की अर्थक्षमता का स्तर कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी तेल कंपनियां सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की अर्थक्षमता कम होने का लाभ उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या आईआईएम, अहमदाबाद की रिपोर्ट में कम बिक्री करने वाले ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों सहित पेट्रोल पंप डीलरों के लिए अधिक कमीशन की सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पेट्रोल पंप (खुदरा बिक्री केन्द्र) स्थान पर बिक्री संभाव्यता का विधिवत आकलन करने के पश्चात् और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के आर्थिक व्यवहार्यता मानकों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। ओएमसीज द्वारा संचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों का वित्तीय निष्पादन संतोषजनक और विद्यमान बाजार स्थितियों, जो प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समाप्त होने के बाद खुदरा बिक्री केन्द्रों की तेजी से वृद्धि के कारण कुछ हद तक प्रभावित हुई हैं, के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुदरा बिक्री केन्द्र संभाव्यता के अनुसार कार्य कर रही हैं, तेल विपणन कंपनियां डीलरशिप नेटवर्क की नियमित रूप से सलाह देती रहती है और जरूरत के अनुरूप सुविधाओं के उन्नयन पर निवेश करती रहती हैं।

(ग) से (ङ) आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा किये गये अध्ययन में सेवा केन्द्र लाइसेंस फीस की समूह आधारित वसूली की अनुशंसा की गई है। तथापि, 1.3.2007 से देश में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलर कमीशन को ओएमसीज द्वारा संशोधित किया गया है और कमीशन की नई दरें निम्न प्रकार हैं-

पेट्रोल: 848 रु. प्रति कि.ली. से 894 रु. प्रति कि.ली.

डीजल: 509 रु. प्रति कि.ली. से 529 रु. प्रति कि.ली.

सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंध

2315. श्री जुएल ओराम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उपरोक्त प्रयोजनार्थ आदान-प्रदान कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय ने भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को बढ़ावा देने उद्देश्य से जून, 2005 में हमारे मिशन के माध्यम से सऊदी अरब को मसौदा सांस्कृतिक करार अग्रेषित किया है। इस मसौदा सांस्कृतिक करार में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच संस्कृति, युवा एवं खेल मामलों तथा जन-संचार के क्षेत्रों में परस्पर मेलजोल/आदान-प्रदानों की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

2316. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007 के दौरान अधिक संख्या में ऐसे केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, मास्को (रूस), काहिरा (मिस्र), पोर्टलुईस (मारिशस), जार्जटाउन (गुयाना), पारामारिबो (सुरीनाम), जकार्ता (इंडोनेशिया), पोर्ट आफ स्पेन (त्रिनिडाड एवं टोबैगो), लंदन (यू.के.), बर्लिन (जर्मनी), अल्माती (कजाकिस्तान), ताशकंत (उजबेकिस्तान), जोहानसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), डर्बन (दक्षिण अफ्रीका), कोलंबो (श्रीलंका) दुशानबे (तजाकिस्तान, कुवालालाम्पुर (मलेशिया), सूवा (फिजी), टोकियो (जापान) में 18 सांस्कृतिक केंद्र तथा बाली (इंडोनेशिया) और लोतोको (फिजी) में 2 उपकेंद्र चला रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान अनेक राजधानी शहरों जैसे काठमांडू, ढाका, काबुल, बीजिंग, वाशिंगटन और तेहरान में नये सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव है। इन नये केंद्रों की स्थापना बजटीय संसाधनों की उपलब्धता, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार और उपयुक्त परिसरों की उपलब्धता आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाय-मोड्यूलर चार्ज सिस्टम का उत्पादन

2317. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **रक्षा मंत्री** 17 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवंबर, 2007 से बाय-मोड्यूलर चार्ज सिस्टम का उत्पादन आरंभ किया जाएगा जैसाकि पहले बताया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और उत्पादन आरंभ करने हेतु क्या नई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बीच सेना की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) यद्यपि सदन को पिछली बार मार्च, 2005 में सूचित किया गया था कि बी एम सी एस का उत्पादन नवंबर, 2007 से शुरू हो जाएगा तथापि, परियोजना में अधिक समय और लागत लगने के कारण ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने परियोजना की समग्र समीक्षा के लिए मई, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। समिति के प्रतिवेदन और भविष्य में 155 मि.मी. गोलाबारूद की आवश्यकता पर विचार करने के बाद परियोजना का कार्य पुन: शुरू करने का निर्णय लिया गया था। यह संभावना है कि परियोजना की लागत में वृद्धि करने के लिए सरकार की संशोधित मंजूरी जारी होने के बाद बीएमसीएस का वाणिज्यिक उत्पादन लगभग 30 महीने में शुरू हो सकता है।

(ग) इस समय गोलाबारूद के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयां

2318. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपक्रमवार कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) घाटे में चल रही इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का राज्य में और अधिक संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने का विचार है क्योंकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य का हिस्सा काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) दिनांक 31.3.2006 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में स्थित थे। इन उद्यमों के लाभ एवं घाटे का उद्यम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को विचारार्थ सौंपे जाते हैं ताकि सरकार को इस बारे में उपयुक्त अनुशंसाएं की जा सके। बोर्ड ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पुनरुद्धार की अनुशंसा कर दी है।

(ग) और (घ) इस प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित उद्यमों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 94 अन्य उद्यम तमिलनाडु राज्य में हैं जिनका ब्यौरा दिनांक 19.12.2006 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2005-06), जो एक सरकारी दस्तावेज है, के खण्ड-I के विवरण संख्या 10 में दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों की सकल परिसम्पत्ति 40423 करोड़ रुपए की है तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 111993 है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम की स्थापना का निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जिनके पंजीकृत कार्यालय 31.3.2006 तक तमिलनाडु में स्थित थे

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान लाभ/घाटा (-) (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	48096
2.	इन्नौर पोर्ट लि.	907

1	2	3
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	(-)56090
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(-)13174
5.	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि.	70235
6.	एनटीसी (तमिलनाडु एण्ड पाण्डिचेरी) लि.	758
7.	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	174
8.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	56 (वर्ष 2004-05 के दौरान)
9.	सेतुसमुन्द्रम कारपोरेशन लि.	निर्माणाधीन
10.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	निर्माणाधीन

मिलिटरी नर्सों की भर्ती

2319. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेज के लिए कितनी मिलिटरी नर्सों की भर्ती की गई है;

(ख) वर्तमान समय में मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेज में मिलिटरी नर्सों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क)

वर्ष	पिछले तीन वर्षों में भर्ती किए गए मिलिटरी नर्सिंग सेवा अफसरों की संख्या इस प्रकार है:
2004	108
2005	112
2006	107

(ख) और (ग) 8 मार्च, 2007 को मिलिटरी नर्सिंग के 132 पद खाली थे। इस कमी को इस वर्ष के दौरान बी एस सी (नर्सिंग) के कैडेटों और जनरल नर्सिंग एवं दाई विद्या पाठ्यक्रम की परिवीक्षाधीन नर्सों से पूरा किया जाएगा।

सेवाग्राम-यवतमाल-नांदेड़ रेल संपर्क

2320. श्री मिलिंद देवरा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार सेवाग्राम-यवतमाल-नांदेड़ रेल संपर्क परियोजना की कुल लागत का 40% वहन करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से पिछड़ रही है और इसमें विलंब के क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे ने इस परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(च) परियोजना की कुल लंबाई कितनी है और क्या परियोजना का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (छ) वर्धा-यावतमल-नांदेड़ हेतु सर्वेक्षण पूरा हो चुका है जिसके अनुसार, 270 किमी लंबाई लाइन के निर्माण की लागत, प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 581 करोड़ रु. आंकी गई है। राज्य सरकार से परियोजना की 50% लागत वहन करने के लिए अनुरोध किया

गया था। मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के साथ हुई एक बैठक में रेलमंत्री जी ने सहमति जताई थी कि विदर्भ क्षेत्र में कृषक समुदाय की मुश्किल स्थिति से दृष्टिगत एक विशेष मामले के रूप में इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई तभी की जाएगी, जब राज्य सरकार कम से कम 40% लागत में भागेदारी की स्वीकृति प्रदान करें। राज्य सरकार ने भू-तटबंध, साइड ड्रेन्स, मेटल ब्रेकिंग और स्प्रैडिंग आदि की 35-35% तक लागत में भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और राज्य रोजगार गारंटी योजना (ई जी एस) के तहत शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि वह परियोजना की लागत में कम से कम 40% भागेदारी करने के लिए, इसे एन आर ई पी और ई जी एस से जोड़े बिना अपनी सहमति दे।

बेल 407 एवं यूरोकाप्टर हेलिकाप्टर की परीक्षण रिपोर्ट

2321. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले बेल 407 एवं यूरोकाप्टर ए एस 350 बी 3 हेलिकाप्टर की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय सेना विमानन में लड़ाकू हेलिकाप्टर शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप देने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। परीक्षण पूरे हो गए हैं तथा भारतीय थलसेना द्वारा अनुमोदित परीक्षण रिपोर्ट के जनरल स्टाफ मूल्यांकन को रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) सेना की आवश्यकताओं का हिसाब विस्तृत आकलनों और खतरे की संभावनाओं के आधार पर लगाया जाता है। उपस्कर को शामिल करना एक सतत् अभ्यास है और इसे रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधान के अंतर्गत सेनाओं की दीर्घावधि, मध्यम अवधि और वार्षिक सहवर्धी योजना के अनुमानों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

राजस्व भूमि पर मकानों का निर्माण

2322. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वीपसमूह का विकास करने हेतु वर्ष 1969 में मुख्य भूमि से द्वीपसमूह आए जी आर ई एफ के मजदूरों ने रक्षा विभाग को आबंटित राजस्व भूमि पर बड़ी संख्या में अपने घर बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जी आर ई एफ के मजदूरों को राजस्व भूमि पर मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, कैम्पबेल खाड़ी स्थित कथित भूमि पर भूतपूर्व सैनिकों सहित 39 मजदूर हैं।

(ग) इन मजदूरों को मकानों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्णय अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा लिया जाना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण

2323. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कयातसंद्रा/सिद्धगंगा-मठ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त पुलों के कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव न तो कर्नाटक राज्य सरकार से और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियों को रियायत

2324. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार कर रही निजी कंपनियों को छूट और रियायतें प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रावधान करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त रियायतों के फलस्वरूप राजकोष पर बोझ में कितनी वृद्धि होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं। इसके अतिरिक्त निजी कंपनियां सरकार द्वारा मूल्यनिर्धारण प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस पर राजसहायता

2325. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस पर राजसहायता जारी रखने का फैसला अंतिम रूप से ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजकोष पर रसोई गैस पर दी जाने वाली राजसहायता के वार्षिक बोझ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रसोई गैस के उत्पादन और विक्रय मूल्य में अंतर को सरकार का किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना 2002 का प्रशासन कर रही है जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को वर्तमान में केन्द्रीय बजट से एक समान दर पर 2002-03 के 1/3 स्तर पर राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है। सरकार से राजसहायता वर्तमान स्तर पर स्थिर की गई है और इसे 2006-07 में चरणों में समाप्त किया जाना है। योजना को आगे जारी रकने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान घरेलू एलपीजी दर 1604.77 करोड़ रुपए की राजसहायता दी है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने 5.11.2004 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन नहीं किया है। इसके कारण ओएमसीज ने इस उत्पाद के विपणन पर अल्प वसूलियां उपगत की हैं। 2005-06 के दौरान घरेलू एलपीजी पर सरकार और ओएमसीज द्वारा दी गई राजसहायता नीचे दी गई है:

एलपीजी (घरेलू)

	प्रति इकाई राजसहायता (रु./सिलेंडर)		
	सरकारी बजट से	तेल कंपनियों द्वारा	योग
2005-06 (अनन्तिम)	22.58	152.46	175.04

इसके अलावा सरकार ने घरेलू एलपीजी और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल पर ओएमसीज द्वारा वहन की गई अल्प वसूलियों के बतौर 2005-06 के दौरान 11,500 करोड़ रुपए मूल्य के बांड भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

कोयले से प्राकृतिक गैस

2326. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवणकर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में कोयले से प्राकृतिक गैस के उत्पादन संबंधी प्रस्ताव पर किसी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे कोयला ब्लाकों की पहचान कर रही है जहां पर गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध है और जिससे गैस का उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है/पहचान की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इससे ईंधन और गैस की कितनी मांग का उत्पादन होने का अनुमान है; और

(च) कोयले से गैस बनाने की योजना का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। कोल बेड मिथेन (सीबीएम) कोयले की दरारों से उत्पादिक प्राकृतिक गैस है जिसे मांग और आपूर्ति के अंतराल को पाटने के लिए गैस का मुख्य स्रोत माना जाता है। देश में सीबीएम के स्रोतों को विकसित करने के उद्देश्य भारत सरकार ने वर्ष 1997 में सीबीएम नीति तैयार की थी। अभी तक देश में सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सरकार ने 26 सीबीएम ब्लाक प्रदान किए हैं। ये ब्लाक पश्चिम बंगाल (4), झारखंड (6), छत्तीसगढ़, (3), मध्य प्रदेश (5), आंध्र प्रदेश (2), राजस्थान (4), गुजरात (1) और महाराष्ट्र (1) राज्यों में स्थित हैं।

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय के साथ परामर्श में चौथे दौर में देने के लिए, भावी सीबीएम ब्लाकों को चिह्नित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इन क्षेत्रों में सीबीएम से संबंधित आंकड़े तैयार किए जाएंगे ताकि प्रस्तावित किए जाने से पहले इन ब्लाकों के सीबीएम स्रोतों का मूल्यांकन किया जा सके।

(ङ) और (च) अभी तक 26 प्रदत्त ब्लाकों की उत्पादन संभावना उनके सर्वोच्च उत्पादन अवधि के दौरान 38 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है सीबीएम का वाणिज्यिक उत्पादन 2007-08 के अंत तक शुरू हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

हम्पी के लिए समेकित प्रबंधन योजना

2327. श्री के. विरूपाक्षप्पा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हम्पी के लिए मसौदा समेकित प्रबंधन योजना के संबंध में यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) जी, हां। युनेस्को विश्व विरासत केन्द्र ने हम्पी विश्व विरासत सांस्कृतिक भू-दृश्य के लिए मसौदा समेकित प्रबंधन योजना के संबंध में अपनी टिप्पणियां भेजी थीं। अपने पत्राचार में उन्होंने उस दल, जिसने योजना का मसौदा तैयार किया था, द्वारा किए गए भरसक प्रयासों और कार्य गुणता की सराहना की है। उन्होंने उत्कृष्ट सार्वभौम महत्व के स्थल को पुनर्परिभाषित करने, सम्भव पुनर्नामांकन करने/विजयनगर राज्य की सम्पदा का सांस्कृतिक भू-दृश्य के रूप में विस्तार करने, प्रबंधन योजना का संचालन करने, प्रबंधन प्रणाली लागू करने और योजना प्रक्रिया में प्रबंधन प्राधिकरण में सीधे शामिल होने का भी सुझाव दिया है।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने परामर्शकों से अनुरोध किया है वे विश्व विरासत केन्द्र द्वारा की गई सिफारिशों की दृष्टि में मसौदा प्रबंधन योजना को पुन: तैयार करें।

[हिन्दी]

ब्लाकों में आबंटन में अनियमितताएं

2328. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु ब्लाकों के आबंटन में अनियमितताओं के कारण बहुत सी बिना साख वाली कंपनियों को ब्लाकों का आबंटन किया गया है जहां पर अनुमत्य समय बीत जाने के बावजूद अभी तक तेल अन्वेषण का काम शुरू नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण के कार्य में कितनी कंपनियां लगी हुई हैं;

(घ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ब्लाक दिए गए थे लेकिन वे कंपनियां अन्वेषण का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई;

(ङ) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और रिलायंस ने कोई रिंग शेयरिंग पालिसी तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में तेल और गैस के अन्वेषण में कुल 30 भारतीय कंपनियां (सार्वजनिक/निजी) तथा 26 विदेशी कंपनियां संलग्न हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) नामक दो कंपनियों ने उत्पादन हिस्सेदार संविदा (पीएससी) के अनुसार, उन्हें सौंपे गए ब्लाकों में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) पूरा नहीं किया। पीएससी प्रावधानों के अनुसार ये ब्लाक त्याग दिए गए।

(ङ) और (च) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा ईएनआई इंडिया लिमिटेड ने उपलब्ध स्रोतों के इष्टतम उपयोग हेतु अपने रिगों में भागीदारी के लिए एक परिसंघ का गठन किया है।

विवरण

जहां तक भारत में ब्लाकों तथा खोजे गए स्थलों के अन्वेषण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा का संबंध है, निम्नलिखित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत में कार्यरत हैं।

1. निजी कंपनी (भारत)

1. पेट्रोकोन इंडिया लिमिटेड (पूर्व में विडियोकान पेट्रोलियम लि.)
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी
4. सेलम एक्सप्लोरेशन टैक्नोलाजिस
5. असम कंपनी लि.
6. टाटा पेट्रोडाइन लि.
7. एस्सार आयल लि.
8. एस्सार एनर्जी होल्डिंग्स लि.
9. इंटर लिंक पेट्रोलियम
10. ज्यूबिलेंट एन्प्रो प्रा.लि.
11. एनप्रो फाइनैन्स लि.
12. प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.
13. शिव वाणी आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लि. (एसएचआईवी)
14. रिलायंस एनर्जी लि. (आरईएल)
15. रिलायंस नेचुरल रिसोर्सिज लि. (आरएनआरएल)
16. फोकस एनर्जी लि.
17. अदानी एन्टरप्राइसिज लि.
18. अदानी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
19. जेसी प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
20. जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.
21. निति फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लि.
22. एचईआरएएमएसी लि.

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:

1. आयल इंडिया लि. (ओआईएल)
2. आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी)
3. गेल (इंडिया) लि. (गेल)
4. इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी)
5. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (जीएसपीसी) (गुजरात राज्य उपक्रम)
6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल)

7. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल)

8. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. (एनटीपीसी)

3. विदेशी कंपनियां

1. ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजी एनर्जी होल्डिंग लि., यू.के. की सहायक कंपनी)

2. कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि.

3. कनोरो रिसोर्सिज लि., कनाडा

4. ज्यो-ग्लोबल रिसोर्सिज इंक, कनाडा

5. ज्यो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक, फ्रांस

6. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (हार्डी आयल एंड गैस लि., यू.के. की सहायक कंपनी)

7. हेरामेक लि. (हेरिटेज आयल कार्पोरेशन यू.के. की सहायक कंपनी)

8. जोशी टैक्नोलाजिज इंक, सं.रा.अ.

9. निको रिसोर्सिज लि., कनाडा

10. ओएओ गाजप्रोम, रूस

11. आकलैंड इंटरनेशनल एलडीसी, सं.रा.अ.

12. पालिश आयल एंड गैस कंपनी, पोलैंड

13. राव्वा आयल (सिंगापुर) प्रा.लि. (मारूबेनी कार्पोरेशन, जापान की एक सहायक कंपनी)

14. टुल्लो इंडिया कार्पोरेशन लि. (टुल्लो आयल पब्लिक आयरलैंड की एक सहायक कंपनी)

15. प्रीमियर आयल नार्थ ईस्ट इंडिया (प्रीमियर आयल, यू.के. की एक सहायक कंपनी)

16. ईएनआई (इंडिया) लि.

17. बर्कबैक इंवेस्टमैंट लि., मारीशस

18. सैंटोस इंटरनैशनल आपरेशन्स लि., मारीशस

19. न्यूबरी होल्डिंग टू. लि.

20. पेट्रोगैस ईएंडपी, एलएलसी, ओमान

21. सनतेरा रिसोर्सिज लि.

22. नेफ्टो गाज इंडिया प्रा.लि.

23. हालवर्दी शिपिंग लि. दक्षिण अफ्रीका

24. सिल्वर वेव्ज़ एनर्जी प्रा.लि.

25. एनसर्च पेट्रोलियम प्रा.लि.

26. वैलस्पन नेचुरल रिसोर्सिज प्रा.लि.

[अनुवाद]

अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति

2329. श्री तरित बरण तोपदार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति करने हेतु लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए पैनल को सतर्कता/भ्रष्टाचार के कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से कितनी बार रद्द किया गया है;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन आयल कार्पोरेशन, एचपीसीएल और बीपीसीएल के लिए अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशकों के चयन हेतु छानबीन करने वाली समितियों का गठन किया गया है;

(ग) क्या फरवरी, 2007 से पूर्व इन सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों के चयन हेतु देश की अतिमहत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा पर भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) से सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के चयन हेतु सरकार द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा हेतु तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) के अति महत्व के प्रति संवेदनशील है।

[हिन्दी]

मुंबई हाई में कच्चे तेल का उत्पादन

2330. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई हाई में कच्चे तेल के उत्पादन का कार्य कब शुरू किया गया;

(ख) क्या मुंबई हाई में प्राचीन तेल कुएं होने के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिशतता के संदर्भ में इसके उत्पादन में कितनी कमी आई है; और

(घ) मुंबई हाई में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) मुंबई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन मई, 1976 में शुरू हुआ।

(ख) जी हां, पूर्व में मुंबई हाई क्षेत्रों में कच्चे तेल की उत्पादन कम हुआ था क्योंकि तेल के कुंए पुराने हो गए हैं और कुओं से उत्पादकता कम हो गई है।

(ग) 1989-90 में क्षेत्रों से शीर्ष उत्पादन 20.085 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) दर्ज हुआ। अपनी चरम सीमा पार करने के बाद 1993-94 में उत्पादन धीरे-धीरे घटकर 10.966 एमएमटी रह गया। जो किसी उत्पादन शील क्षेत्र के जीवन-काल में एक स्वाभाविक बात है।

पुन: विकास कार्यक्रम शुरू करने से पहले 1995-2000 के दौरान औसत तेल उत्पादन कमी दर लगभग 6-8% थी और उसके बाद उत्पादन में सुधार पाया गया।

(घ) मुंबई हाई से सतत/उत्पादन बढ़ाने के लिए एक रोलिंग पुन: विकास प्लान बनाई गई है, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना, भू-वैज्ञानिकता और इंजीनियरिंग अध्ययन पर आधारित इनफिल वेधन, क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों को किराये पर लेना, भूतल सुविधाओं का इष्टतमीकरण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

रक्षा सामान आपूर्तिकर्त्ता

2331. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सशस्त्र बलों को मांस, अंडों और दूध की आपूर्ति करने वाले अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): मांस और अंडों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

(क) वर्ग "क" ठेकेदार: इन ठेकेदारों की ठेका लेने की क्षमता 7.20 करोड़ रु. से अधिक होगी।

(ख) वर्ग "ख" ठेकेदार: इन ठेकेदारों की ठेका लेने की क्षमता 2.40 करोड़ रु. से, अधिक तथा 7.20 करोड़ रु. तक होगी।

(ग) वर्ग "ग" ठेकेदार: इन ठेकेदारों की ठेका लेने की क्षमता 2.40 करोड़ रु. तक होगी।

मौजूदा अनुमोदित ठेकेदारों के कमानवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

कमान	वर्गीकरण		
	वर्ग "क"	वर्ग "ख"	वर्ग "ग"
दक्षिणी कमान	12	57	58
पूर्वी कमान	10	68	100
पश्चिमी कमान	33	67	57
मध्य कमान	13	52	84
उत्तरी कमान	34	120	69
दक्षिण-पश्चिमी कमान	05	31	27
कुल	107	395	395

सेना आपूर्ति कोर और मिलिटरी फार्म भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ तथा उसके सदस्य संघों/राज्य सहकारिताओं से तयशुदा संविदाओं के जरिए ताजा दूध खरीदती हैं। अठावन (58) राज्य संघ ताजे दूध की आपूर्ति के लिए बातचीत द्वारा तय संविदाओं में भागीदारी कर रहे हैं।

कूच बिहार विमानपत्तन

2332. श्री हितेन बर्मन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कूच बिहार विमानपत्तन के संचालन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 3700 फूट तक रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार कार्य, टर्मिनल भवन का जीर्णोद्धार तथा यथावत अवतरणपथ संकेतक (पी ए पी आई) के संस्थापन के कार्य को पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच पथ पर कुछ अवरोधों को हटाए जाने के मद्देनजर हवाईअड्डे को प्रचालनिक किया जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों की उपलब्धता

2333. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री रामदास आठवले:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अमिताभ नन्दी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री मोहन रावले:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल और गैस की उपलब्धता और संभावना की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) देश में इस समय तेल और गैस की कुल खपत कितनी है;

(ग) वर्तमान तेल और गैस भंडारों से देश की कुल आवश्यकता की कितने प्रतिशत पूर्ति की जाती है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त तेल और गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 2005-06 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 32.19 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 32.20 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था।

(ख) 2005-06 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 113.2 एमएमटी थी। पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति 2005-06 में 68.31 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन थी।

(ग) 2005-06 में घरेलू तेल स्रोत, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का 24.3% रहे।

(घ) पिछले तीन वर्ष में आयातित तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मात्रा निम्नवत् है:-

(आंकड़ें एमएमटी में)

	कच्चा तेल	पीओएल	एलएनजी
2003-04	90.434	8.001	0.062
2004-05	95.861	8.828	2.43
2005-06	99.409	13.441	4.81

(ङ) पिछले तीन वर्ष में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्नवत् है:-

	कच्चा तेल	पीओएल	एलएनजी
	(बिलियन अमरीकी डालर)		(करोड़ रुपये)
2003-04	18.3	2.1	36.00
2004-05	26.0	3.3	1696.05
2005-06	36.6	6.3	3253.48

[अनुवाद]

टूरिस्ट ट्रेन

2334. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने एक टूरिस्ट ट्रेन की संकल्पना विकसित की है जिससे पर्यटक गंतव्यों के लिए विशेष रेलगाड़ियों को विशेष प्रयोजनार्थ भाड़े पर चलाये जाने को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत के रास्ते सर्कुलर रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों को जोड़ने के लिए सर्कुलर ट्रेन चलाने हेतु क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रेल "भारत दर्शन" पर्यटन रेलगाड़ियां चलाती है, जोकि देशभर में फैले विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटन गंतव्य पर पर्यटकों को ले जाती है। इस तरह की रेलगाड़ियों को चलाने का उद्देश्य भारतीय आम नागरिकों को पर्यटन महत्व के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कराना और जनता में पर्यटन को लोकप्रिय बनाना है। फिलहाल पैंट्री कार सहित सात सवारी डिब्बों के दो रैक दक्षिण भारत से चल रहे हैं। यह रेलगाड़ी चेन्नई, मदुरै, वारंगल, बेंगलूरू, हैदराबाद एवं विजयवाड़ा जैसे स्थानों पर जाती है।

अल्पसंख्यकों के लिए प्राइवेट कोटा

2335. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री राकेश सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 12 फरवरी, 2007 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) जी, नहीं।

उद्योग संगठनों से निजी क्षेत्र में केवल इमर्जिंग नौकरियों के संबंध में सूचना मांगी गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का कार्यकरण

2336. **श्री रामदास आठवले:**
श्री समिक लाहिरी:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यकरण की जांच के लिए कोई कदम उठाया गया है/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है;

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्य की जांच के लिए और एन.एम.डी.एफ.सी. के कार्यनीति और प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार हेतु कार्य योजना का सुझाव देने के लिए बैंकरों

और वित्तीय विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) संवितरण का ब्यौरा और 2005-06 व 2006-07 (28.02.2007 तक) हेतु लाभार्थियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2005-06 व 2006-07 के लिए एन.एम.डी.एफ.सी. के लाभार्थियों और संवितरण का ब्यौरा

(राशि लाख रुपयों में)
(लाभार्थियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07 (28.02.2007 तक)	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	854	7448	745.45	4992
2.	असम	310	720	25	250
3.	बिहार	1	250	4.5	100
4.	चंडीगढ़	5	8	0	–
5.	छत्तीसगढ़	0	0	100	137
6.	दिल्ली	11	72	4.5	25
7.	गुजरात	0	0	220	540
8.	हिमाचल प्रदेश	150	144	115	127
9.	हरियाणा	350	700	415	960
10.	जम्मू-कश्मीर	300	565	370	740
11.	झारखंड	109	363	2.25	50
12.	केरल	2000	6195	660	1254
13.	कर्नाटक	550	1147	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	850	1166	450	834
19.	उड़ीसा	115	501	4.5	140
20.	पांडिचेरी	5	13	10	25
21.	पंजाब	500	963	450	900
22.	राजस्थान	105	246	154.72	335
23.	तमिलनाडु	655	4778	472.45	1396
24.	त्रिपुरा	5	50	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	1118	2156	0	0
26.	उत्तरांचल	309	470	265	292
27.	पश्चिम बंगाल	2510	6304	1618	5102
	कुल	10812	34259	6086.37	18199

[अनुवाद]

सैन्यकर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2337. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैन्यकर्मियों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य और आवास तथा उनके बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाओं सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सशस्त्र बलों में पदोन्नति के अवसर क्या होंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) रक्षा कार्मिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल सैन्य अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जबकि रक्षा पेंशनर और उनके आश्रित भूतपूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं। विवाहित आवास परियोजना सशस्त्र सेनाओं के लिए गृह निर्माण संबंधी योजना है। रक्षा कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना स्कूल स्थापित किए गए हैं। उनके लिए अन्य कल्याणकारी उपायों में सामूहिक बीमा और सी.एस.डी. सुविधा भी शामिल हैं।

(ग) सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नतियां संबंधित सेनाओं के लिए यथा निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर की जाती है।

पाइपलाइन परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा देना

2338. श्री कीतिवर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उद्योग ने अपनी पाइपलाइन परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा दर्ज दिये जाने के क्या लाभ होंगे और क्या-क्या बाधाएं आएंगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाइपलाइन परियोजना को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने के फलस्वरूप कोई कंपनी आयकर अधिनियम की धारा 80 आईबी के अंतर्गत कर राहत प्राप्त करेगी। पाइपलाइन परियोजना को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने के लिए मांग को

वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

मलेशिया में रेललाइन बिछाने के लिए ठेका

2339. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकान) ने मलेशिया में रेललाइन बिछाने का ठेका लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इससे इरकान को कितनी आय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन

2340. श्री समिक लाहिरी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को योजनावार, गैर-सरकारी संगठनवार/स्थानीय निकायवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित/स्वीकृत वित्तीय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजनावार, गैर-सरकारी संगठनवार/स्थानीय निकायवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के पास अनुदान सहायता के बहुत से मामले लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन मामलों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है और यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप और पैसेज ग्रांट देना शुरू करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) *2006-2007 के दौरान, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने 38 एन.जी.ओ. को 6.07 करोड़ रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में मंजूर की है। इनका विवरण संलग्न है।*

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा मंजूर सहायता अनुदान दो किश्तों में जारी की जाती है। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 18 माह की अवधि दी जाती है। पहला उपयोग प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त जारी की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। वित्तीय और प्रशासनिक दोनों, संसाधनों की कमी के कारण।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान मंजूर किए गए/जारी किए गए सहायता अनुदान

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम व पता	उद्देश्य	सहायता अनुदान	
			मंजूर (रु.)	जारी (रु.)
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	द न्यू हाली फातिमा एजुकेशनल सोसायटी, 19-3-262/2/5/, मदिना कालोनी, जहन्नुमा, हैदराबाद	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000

1	2	3	4	5
2.	हैदराबाद एजुकेशन सोसायटी, मौघलपुरा, हैदराबाद	यही।	3000000	2100000
	बिहार			
3.	शताब्दी फाउन्डेशन, (शमाब्दी पब्लिक स्कूल), कटारी, हील रोड, गया	यही।	1500000	1050000
4.	आबेदा हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर	आई.टी.आई. भवन का निर्माण।	1500000	1050000
	गुजरात			
5.	बच्चों का गर, ग्राम व पोस्ट वागरा, जिला-भरूच	50 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1500000	1050000
6.	पोलान बाजार सार्वजनिक मायनॉट्री मुस्लिम युवक मण्डल, मदरसा नुरूल इस्लाम, शेख मजावारा रोड, गोधरा	विद्यालय भवन का विस्तार।	500000	350000
7.	आदर्श एजुकेशन ट्रस्ट, मेहतापुरा, हिम्मतनगर, जिला-साबरकांठा	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	700000
8.	मोदासा घांची एजुकेशन एण्ड सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, सबालिया स्टेट, संजार सोसायटडी, मोदासा, जिला-साबरकांठा	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000
9.	द गोधरा मुस्लिम मायनारीटी एजुकेशनल सोसायटी, मस्जिद मुस्लिम सोसायटी के सामने, ''ए'' वेजालपुर रोड गोधरा	विद्यालय भवन का निर्माण।	500000	350000
10.	जामिया अमीनुल कुरान, हिम्मतनगर, साबरकांठा	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	700000
	हरियाणा			
11.	ग्रामीण विकास शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, जिला-मेवात	विद्यालय भवन का विस्तार।	500000	350000
12.	नवाब शम्सुद्दीन मैमोरियल एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी, जिला-मेवात	यही।	500000	350000
13.	अंसरूल मुसलमीन, मौहल्ला हजरत घोस अली, पानीपत, हरियाणा	अधूरे विद्यालय भवन को पूरा करना।	700000	0
	जम्मू-कश्मीर			
14.	इमामीया मिशन (एजुकेशन एण्ड सोसल वेल्फेयर सोसायटी), चुचोट, पोस्ट नं. 32, एच.पी.ओ. लेह, लद्दाक	100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण।	3000000	2100000

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
15.	सल्सबील एजुकेशन ट्रस्ट, मुस्लिम-ए-उलुम, हसनैन कामप्लैक्स, एच. कालोनी, इन्द्रानगर, बैंगलोर	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	700000
16.	रीफाहुल मुसलमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, फारूकिया एजुकेशनल काम्पलेक्स, ईदीगाह, मैसूर	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000
17.	बीबी फातिमा एजुकेशनल ट्रस्ट, रिंग रोड, ईल्यासनगर, सरक्की, गेट, कनकपुरा, बैंगलोर	आई.टी.आई. भवन का निर्माण।	1500000	1050000
18.	न्यू मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी, बीजापुर	यही।	1500000	0
19.	सिटीजन एजुकेशनल सोसायटी, मुलबगाल, जिला-कोलार	50 बेड वाले छात्रावास भवन का निर्माण।	1500000	1050000
20.	अल-अमीन खालिद मैमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल ट्रस्ट, मलूर रोड, होसकोटे, बैंगलोर	50 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण।	1500000	1050000
	केरल			
21.	इरशादिया चैरिटेबल ट्रस्ट, पोस्ट कुवल्लुर, कोथामानगालम, जिला-इरनाकुलम	विद्यालय भवन का विस्तार।	1200000	840000
22.	इस्लामिक वेल्फेयर ट्रस्ट, पोस्ट ओमासैरी, कोडूवेली, जिला-कोजीकोड	50 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण।	1500000	1050000
	मध्य प्रदेश			
23.	सेंट जूड़ एजुकेशनल सोसायटी, 60, सैयद कालोनी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, करोंद, भोपाल	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000
24.	मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी, डोंगरिया, तहसील लालबुड़ी, जिला-बालाघाट	80 बेड वाले बाल छात्रावास भवन का निर्माण।	2500000	1750000
25.	न्यू होली होम एजुकेशन सोसायटी, 10, कोतवाली गली, बुद्धवारा, भोपाल	फर्नीचर की खरीद हेतु।	225000	0
	महाराष्ट्र			
26.	अंजुमन मुफीदूल याजमा, 11, सिद्दीकी लैन, मो. उमर रज्जब रोड, मंदनपुरा, मुंबई	प्रयोगशाला उपरकण एवं कम्प्यूटर की खरीद।	350000	0

1	2	3	4	5
27.	अंजुमन-ए-इस्लाम, मुम्बई, 92, डी.एन. रोड, बदरूद्दीन तैयब जी मार्ग, सी.एस.टी, मुंबई	सुबहानी छात्रावास भवन का निर्माण।	5000000	3500000
28.	फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट, ग्राम व पोस्ट वहुर, जिला-रायगढ़	100 बेड वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण।	3000000	2100000
29.	तालिमी-अदारा-ए-मुबारकिया, ओरावत, जिला-कोल्हापुर	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	1050000
30.	पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट, 992, रविवार पीठ, पूणे	100 बेड वाले छात्रावास का निर्माण।	6000000	4200000
31.	एकता कल्चरल एवं एजुकेशनल संस्था, सीडको, औरंगाबाद	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	700000
	राजस्थान			
32.	राजपुताना मोहम्मद अली मैमोरियल ट्रस्ट, बस स्टैंड के सामने, बिवार	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000
33.	दारूल उलुम फैजे घुसिया संस्थान, खर्ची, तहसील रामसार, जिला-बाड़मेर	विद्यालय भवन का निर्माण।	1500000	1050000
34.	द श्री डोंट्स चिल्ड्रेन एकेडिमी, चुरू बाई पास, झुनझुनु	100 बेड वाले बाल छात्रावास भवन का निर्माण।	3000000	2100000
	तमिलनाडु			
35.	क्रिसेन्ट एजुकेशन सोसायटी, बंगलौर रोड, कुरूबारापल्ली, तहसील कृष्णागीरी, जिला-धर्मापुरी	विद्यालय भवन का विस्तार।	1500000	1050000
36.	अल-अमीन इदारा-ए-आम्मा ट्रस्ट, तीरूपतुर	विद्यालय भवन का विस्तार।	1000000	700000
	उत्तर प्रदेश			
37.	कौमी रिफाही सोसायटी, द्वारा हीरा पब्लिक स्कूल, हंसवार, जिला-अम्बेडकर नगर	विद्यालय भवन का विस्तार।	1200000	840000
38.	इस्लामिया स्कूल समिति, मकबूलगंज, रायबरेली	विद्यालय भवन का निर्माण।	1000000	0
		कुल	60675000	40180000

निजी एयरलाइन्सों को नियमों में छूट देना

2341. **श्री अबु अयीश मंडल:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कितनी निजी एयरलाइन्स कंपनियों को नई विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने अनेक निजी एयरलाइन्स कंपनियों को विमानों को खरीदने/आयात करने की भी अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) इन निजी एयरलाइन्स कंपनियों द्वारा अपनी नई सेवाएं शुरू करने के लिए कितने विमान खरीदे/पट्टे पर दिए गए हैं अथवा पट्टे पर लिए गए हैं;

(ङ) क्या इन निजी एयरलाइन्स कंपनियों को प्रशिक्षित पायलटों की कमी से निपटने के लिए नियमों में भी छूट दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान 6 नई अनुसूचित एयरलाइनों को देश में नई हवाई सेवाएं आरम्भ करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य कंपनी को भी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों में अनुसूचित एयरलाइनों को 147 विमान आयात करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इन निजी एयरलाइनों ने 117 वायुयान खरीद लिए/लीज पर लिए हैं। विमानों को आयात करने की अनुमति संबंधित नागर विमानन अपेक्षा (सी ए आर) में यथा निहित भारतीय प्रचालकों द्वारा लीज पर लिए गए विमानों के प्रचालनिक नियंत्रण तथा उड़नयोग्यता अपेक्षाओं के अध्याधीन दी जाती है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

नये दक्षिण पश्चिम जोन का सृजन

2342. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दक्षिण पश्चिम जोन नाम से जाने वाले एक नये जोन का सृजन करने का है जिसमें त्रिवेन्द्रम, पालघाट सहित केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र आयेंगे जो आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका सृजन कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

2343. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए "प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत औसतन कितना वार्षिक व्यय प्रदान किया गया है; और

(घ) देश में इस योजना के किस तिथि से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन

2344. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वक्फ अधिनियम, 1995 कई मामलों में वक्फ संपदा संपत्ति की देखभाल में पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन के लिए क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ङ) वक्फ अधिनियम, 1955 के संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इटालियन रेलवे के साथ तेज रफ्तार वाली ट्रेनों का करार

2345. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में अनेक देशों के साथ विशेषकर इटालियन रेलवे के साथ सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए है। जैसा कि दिनांक 16 फरवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत और अन्य देशों के बीच रेलवे के विकास के लिए किए गए करारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तेज रफ्तार वाली ट्रेन चलाने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 3.7.2006 को भारतीय रेल और फैरोवाय डेलो स्टेलो (इतालवी रेलवे) ने दोनों देशों के बीच रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान जर्मन रेलवे, रूसी रेलवे, दक्षिण अफ्रीकी रेलवे और फ्रांसीसी रेलवे के साथ भी इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(घ) और (ङ) 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर उच्च गति वाली गाड़ियों के चालन के लिए रेलपथ, सिगनल प्रणाली और चल स्टाक सहित अलग अवसंरचना की आवश्यकता होती है और भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क पर उनका चालन नहीं किया जा सकता है। समर्पित उच्च गति गलियारों के निर्माण के लिए प्रति किलोमीटर 200 करोड़ के अलावा, लगभग 50 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर के उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। रेल मंत्रालय ने देश के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक मार्ग को शामिल करते हुए उच्च गलियारों के निर्माण हेतु पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन करने का विनिश्चय किया है।

[अनुवाद]

स्मारकों की टिकटों से अर्जित राजस्व

2346. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की टिकटों से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ख) क्या सरकार इस संरक्षित सूची में और अधिक स्मारकों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्रित किए गए राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

2003-04	4359.88 लाख रुपए
2004-05	5289.47 लाख रुपए
2005-06	5391.06 लाख रुपए

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित स्मारकों का संरक्षण करने के लिए फाइनल अधिसूचना जारी करने के लिए कार्रवाई कर रहा है:-

1. हनुमान मंदिर परिसर, कनाट प्लेस, दिल्ली
2. शेख अली की गुमटी, डिफेन्स कालोनी, दिल्ली
3. काला गुम्बद, प्रगति गांव, दिल्ली
4. शिकारगढ़, जौन्टी गांव, दिल्ली
5. नरसिंहगढ़ किला (मध्य प्रदेश)
6. स्थलासयानापेरूमल मंदिर, (तमिलनाडु)
7. लेह महल के पास गोमपास और ऐतिहासिक अवशेष, लेह, लद्दाख, (जम्मू और कश्मीर)
8. शिव मंदिर परिसर, पल्लीमनाह, त्रिसूर (केरल)

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता नहीं देता है।

प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा सामान की जांच

2347. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुरक्षा जांच हेतु सामान की जांच करने का काम पैसे कमाने का जरिया बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामान की जांच का काम निजी डेवलपरों को देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस कार्य को निजी डेवलपरों को सौंपने से पूर्व सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

2348. श्री अजीत जोगी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए विभिन्न विभागों से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्राप्त हुए कुल आवेदनों में से कितने व्यक्तियों की नियुक्ति हुई, कितने आवेदन रद्द हुए और कितने मामले लंबित हैं;

(ग) आवेदन रद्द करने और मामले लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नियुक्तियों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मौजूदा नीति के अनुसार, सीधी भर्ती कोटे के तहत सिविलियन समूह 'ग' और 'घ' में 5% रिक्तियां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामले लंबित हैं अथवा उन्हें अस्वीकृत किया जाना है।

(घ) और (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 5 मई, 2003 के का.ज्ञा. सं. 14014/19/2002-स्थापना (घ) में यथा निहित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने संबंधी मौजूदा नीति में 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके दौरान

समय-समय पर पुनरीक्षा किए जाने के अधीन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मामले को विचाराधीन रखा जा सकता है और इसके पश्चात भी यदि मामला समायोजित नहीं किया गया हो तब इसे बंद कर दिया जाए।

[अनुवाद]

ईंधन केन्द्र

2349. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल में उड़ान ईंधन केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया में बी.एच.ई.एल. का संयंत्र

2350. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एच.ई.एल. (भेल) का हल्दिया में ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल सह-उत्पादन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस संयंत्र का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा एक "फ्रेम-वी" गैस टरबाईन आधारित कोजेनरेशन पावर संयंत्र की स्थापना की जा रही है जिसके लिए भेल को ठेका दिया गया है। आईओसीएल द्वारा भेल दो दिये गये ठेका मूल्य 165 करोड़ रुपये है। ठेका के अनुसार, कोजेनरेशन पावर संयंत्र के पूरा होने की निर्धारित तिथि अक्तूबर, 2008 है।

रेलवे द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना

2351. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने भारत के पड़ोसी देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से विदेशी बाजारों का दोहन किया जायेगा तथा रेल के इंजन, डिब्बे और भारत में विनिर्मित अन्य मदों का ब्यौरा क्या है जिनकी निर्यात संभावना का दोहन किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड पड़ोसी देशों को चल स्टाक का निर्यात कर रहे हैं। भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पत्तन संपर्क मुहैया कराने हेतु अन्त: भागों के गलियारों को सुदृढ़ बना रहे हैं।

(ख) इरकान 1963 से मलेशिया में पट्टा एवं अनुरक्षण संविदा पर मीटर लाइन के डीजल/बिजली रेल इंजनों को चला रहा है। थाइलैंड स्टेट रेलवे (एस आर टी) ने पट्टा एवं अनुरक्षण संविदा की अवधारणा के संबंध में अपनी रुचि दिखाई है और थाइलैंड में इरकान रेल इंजनों को चलाए जाने के लिए मार्च, 2007 में एक परीक्षण किया जाना है।

पड़ोसी देशों में भारत द्वारा निर्मित रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और अन्य मदों के निर्यात की संभावना को कार्यरूप देने के लिए राइट्स के पास योजनाएं हैं। विवरण नीचे दिया गया है:-

* तटीय रेलवे लाइन के प्रस्तावित पुनर्निर्माण के लिए श्रीलंका को डीजल रेल इंजन, मालडिब्बे, चालक दल विश्राम यान और डीजल मल्टीपल यूनिट (डी एम यू) का निर्यात।

* बहु-पक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से बांग्लादेश को रेल इंजन और सवारी डिब्बे निर्यात करने के लिए शीघ्र निकाली जाने वाली विश्व निविदा में भाग लेना।

* म्यांमार को सेवारत डीजल रेल इंजन तथा सवारी डिब्बों की आपूर्ति करने के लिए प्रस्ताव पर राइट्स कार्रवाई कर रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

* राइट्स ने पाकिस्तान को डीजल रेल इंजन पट्टे पर देने के लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और डीजल रेल इंजन तथा सवारी डिब्बों की खरीद के लिए भी उनकी भावी निविदाओं में भाग लेने की योजना है।

कोंकण रेलवे निगम द्वारा पेटेंट कराए गए टक्कर-रोधी उपकरण का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर परीक्षण किया जा रहा है। इन परीक्षणों के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद, कोंकण रेलवे इस उपकरण के निर्यात के लिए विदेशी बाजार की तलाश करेगा।

[हिन्दी]

सीमावर्ती गांवों के लिए रेल संपर्क

2352. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट के गांवों को रेललाइन द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों को रेल सेवा से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, नेपाल, भूटान और बांगलादेश के साथ रेल संपर्क स्थापित करने की जांच करने के लिए कुछ सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों की बर्बादी

2353. श्री ए. साईं प्रताप: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ विदेशी बड़ी खुदरा कंपनियों ने भारत से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने ऐसी पेशकशों का फायदा उठाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (च) मैसर्स राबो इंडिया फाइनेंस प्रा. लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि खंडित जुताई, कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, शीतागार सुविधाओं, ढुलाई, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं आदि जैसी फसलोत्तर पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, फसल काटने के बाद उसकी उठाई-धराई के विभिन्न चरणों में लगभग 58 हजार करोड़ रुपये मूल्य की कृषि खाद्य उपज का नुकसान होता है। इस नुकसान से होने वाली हानि, विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फसलोत्तर बुनियादी ढांचा विकास के सुदृढ़ीकरण तथा आपूर्ति श्रृंखला के अंतरालों को भरकर कम की जा सकती है।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के जरिए, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सकारात्मक रूप से सक्रिय और सहायक की भूमिका अदा करती है ताकि उद्योग को ऐसे गुणवत्तायुक्त उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खरीददारों को स्वीकार्य हो। मांग प्रेरित फुटकर बिक्री की विशाल संभावना को देखते हुए विदेशी कंपनियों समेत बहुत से बड़े खुदरा विक्रेताओं ने भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में रुचि दिखाई है। सरकार अपनी योजना स्कीमों तथा नीतिगत समर्थन के जरिए किसानों को दीर्घावधि आर्थिक धारणीयता के लिए और ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प हेतु बाजार पहुंच को सुकर बना रही है।

अनुसूचित जाति के छात्रों को परेशान किया जाना

2354. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, बैंगलोर और एआईआईएमएस (एम्स), नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके संबंधित संस्थानों में परेशान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों में कथित रूप से किस तरह के उत्पीड़न किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) आईआईएम के किसी भी अनुसूचित जाति छात्र द्वारा उत्पीड़न के किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं दी गयी है।

आईआईएससी, बंगलौर ने ऐसे छात्रों के उत्पीड़न से संबंधित किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं दी है।

एम्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के कथित उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच के लिए 12 सितम्बर, 2006 को प्रो. एस.डी. थोरट, चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

आईआईटी के पी.एचडी छात्र से संबंधित शिकायत की सूचना सरकार को गई है, जो कि प्राथमिक जांच-पड़ताल पर आधारहीन पायी गई।

विमानों का रखरखाव

2355. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ान भरने योग्य विमानों की संख्या अपेक्षा से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विमानों के रख-रखाव, मरम्मत एवं ओवर हालिंग के लिए मूलभूत और अन्य सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया के बेड़े के सभी विमान उड़नयोग्य हैं तथा वाणिज्यिक अनुसूची को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, कुछ एयरबस ए-320 विमानों को अप्रचालनिक कर दिया गया है क्योंकि सर्विसेबल इंजनों की उपलब्धता नहीं थी और ये विमान प्रमुख अनुरक्षण से गुजर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। इंजन मरम्मत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राचीन खेलों का विकास

2356. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्राचीन संस्कृति और धर्म से जुड़े खेलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा सौदे और हथियारों की खरीद

2357. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौदों और हथियारों की खरीद में तेजी लाने के लिए कोई तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार ने मांगी गई क्षमताओं तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सशस्त्र सेनाओं की अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अर्जन प्रक्रिया, 2006 को 1 सितंबर, 2006 को प्रख्यापित किया।

2. रक्षा अर्जन में तेजी लाने के लिए रक्षा अर्जन प्रक्रिया 2006 में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) रक्षा अर्जन प्रक्रिया, 2006 में अर्जन संबंधी कार्यकलापों के लिए समय-सीमा को शामिल किया गया है तथा प्रमुख विचलनों की सर्वोच्च स्तर पर मानीटरी की जाएगी। अधिप्राप्ति में आंतरिक रूप से लगने वाले समय में कटौती करने के लिए रक्षा अर्जन

प्रक्रिया, 2006 में समय-सीमा निर्धारित की गई है क्योंकि इससे फाईल की बहु-स्तरीय जांच-पड़ताल से बचने के लिए जांच और संतुलन आता है और इससे सभी स्तरों पर सामूहिक कार्यप्रणाली का अनुसरण किया जाता है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रमुख निर्णय मामले की शुरूआत में ही सर्वोच्च स्तर पर समयबद्ध तरीके से लिए जाते हैं जिसका अधिप्राप्ति में लगने वाले कुल समय की कमी करना होता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) आवश्यकता की स्वीकृति

(ख) अधिप्राप्त की जाने वाली मदों की मात्रा

(ग) श्रेणीकरण अर्थात् 'खरीदो', 'बनाओ' अर्थात् 'खरीदो और बनाओ'

(घ) एकल विक्रेता अनुमति (यदि लागू हो)

(ङ) आफसेट प्रतिशतता (यदि लागू हो)

(च) परीक्षणों का विस्तृत क्षेत्र

(छ) जिन मामलों में प्रौद्योगिकी अंतरण निहित हो उनमें उत्पादन एजेंसी का नामांकन

(2) वाणिज्यिक वार्ताओं में लगने वाले समय में कटौती करने के प्रयोजन से तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश के अनुसार बहु-विक्रेता मामलों में एल-1 बोलीदाता के साथ कोई वार्ता नहीं की जाएगी।

3. सेनाओं को पूंजीगत अर्जन शक्तियां (10 करोड़ रुपए तक) प्रदत्त करने के साथ ही रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई हैं जिससे अर्जन प्रक्रिया में तेजी आएगी।

[हिन्दी]

खान-पान सेवाओं की दरें

2358. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे खान-पान सेवाओं की दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता

2359. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी उन्हें प्राप्त हुए आवेदनों पर कार्यवाही करने में अनावश्यक देरी करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 3.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत, दुर्गम और उच्च बागवानी उपज के प्रसंस्करण हेतु इससे भी बढ़ी हुई दरों पर यानी संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की दर से सहायता उपलब्ध है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) उक्त स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक यूनिटों को, आवेदन में निर्धारित अनुसार आवश्यक दस्तावेज और ब्यौरे प्रस्तुत करने होते हैं। अधूरी सूचना के मामले में अनुदान पर कार्रवाई करने के लिए, आवेदक यूनिटों द्वारा सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। लम्बित आवेदनों के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आंतरिक समीक्षा की जाती है। राज्य नोडल एजेंसियों जोकि राज्य सरकार के विभाग/निगम होते हैं, के साथ भी बैठकें की जाती हैं जो उद्यमियों के आवेदन भेजती है और आवेदनों के यथाशीघ्र निपटान हेतु अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों की त्वरित प्राप्ति के वास्ते मंत्रालय के साथ परस्पर पत्राचार करती है। आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रत्येक लम्बित आवेदन की स्थिति मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई है। 11वीं योजना में सरकार बैंकों के जरिए नए आवेदनपत्र मंगा कर इस स्कीम को विकेंद्रीकृत तरीके से कार्यान्वित करेगी।

बरेली-मथुरा-आगरा का आमान परिवर्तन

2360. श्री संतोष गंगवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने काठगोदाम-बरेली-मथुरा-आगरा रेलमार्ग के आमान परिवर्तन को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। काठगोदाम-बरेली-मथुरा-आगरा मार्ग पर लालकुआं-काठगोदाम खंड पर एक बड़ी आमान लाइन और आगरा-मथुरा खंड पर दोहरी आमान की बड़ी लाइन पहले ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त, कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली-लालकुआं (554.50 किमी) आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में मथुरा-बरेली-लालकुआं खंड के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है और अगले दो-तीन वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

रक्षा संबंधी मदों के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2361. श्री टेक लाल महतो: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा संबंधी मदों के उत्पादन के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान अनेक निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निजी कंपनियों के नाम और पूरे पते क्या हैं;

(ग) इससे भारतीय कंपनियों को आवंटित कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार की आफसेट नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों से रक्षा सामग्री खरीदने के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियों को क्या लाभ और सुविधाएं मिलेंगी; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय कंपनियों को आवंटित किये जाने वाले कार्य का अनुमानित लक्ष्य क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) लाइसेंस प्राप्त निजी कंपनियों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के भाग के रूप में अधिसूचित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी विक्रेताओं द्वारा सीधी खरीद अथवा भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विनिर्मित अथवा सेवा मुहैया कराए गए रक्षा उत्पादों तथा संघटकों के आयात आदेशों के निष्पादन के माध्यम से क्षतिपूर्ति वचनबद्धताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति नीति के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी कंपनियों से की जाने वाली रक्षा खरीदों के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियों को अच्छा-खासा लाभ होने की संभावना है। तथापि, उनको आवंटित किए जाने वाले कार्य के लक्ष्य का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	पता
1	2	3
1.	मैसर्स रामोस इंडिया	106, मोहता भवन, 4 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
2.	मैसर्स लारसन एण्ड टर्बो लिमिटेड	पोवाई वर्क्स साकी विहार रोड, पी.ओ. बाक्स 8901, मुंबई-400072, महाराष्ट्र
3.	मैसर्स महिंद्रा एण्ड मंहिन्द्रा लिमिटेड	जीवन दीप भवन, 8, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
4.	मैसर्स मैक्स एयरोस्पेस एण्ड एविएशन लिमिटेड	तृतीय तल, मलाक्नी चैम्बर, आफ नेहरू रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-400099, महाराष्ट्र
5.	मैसर्स अंजनी टेक्नो प्लास्ट लिमिटेड	ए-4, होजरी काम्पलेक्स फेज-2 एक्सटेंशन, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
6.	मैसर्स टी आई एल लिमिटेड	517, बी टी रोड, कोलकाता-700058 (पश्चिम बंगाल)
7.	मैसर्स सदर्न ग्रुप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	72, राजा अन्नामलाई, बिल्डिंग, मार्शल्स रोड, एग्मोर, चेन्नई-600008 (तमिलनाडु)

1	2	3
8.	मैसर्स आटोमोटिव कोचेज एण्ड कन्टोनमेंट लिमिटेड	सुदर्शन बिल्डिंग, 86 चैमियर्स रोड चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
9.	मैसर्स एच बी एल पावर सिस्टम्स लिमिटेड	8-2-601, रोड संख्या 10 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 (आंध्र प्रदेश)
10.	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड	बोम्बे हाऊस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-400001, महाराष्ट्र
11.	मैसर्स बी एफ यूटिलिटिज लिमिटेड	मुंदवा, पूणे-411036, महाराष्ट्र
12.	मैसर्स टी एस एल डिफेंस टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड	208-216, अरविंद प्लेस, हौजखास, नई दिल्ली-110016
13.	मैसर्स वेक्ट्रा इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड	ए-54, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048
14.	मैसर्स आर एम एक्स ब्रिडपोर्ट डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	जी-5, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
15.	मैसर्स आई एस टी लिमिटेड	ए-23 न्यू आफिस काम्पलेक्स डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024
16.	मैसर्स अल्फा आई टी एल इलैक्ट्रो आपिटक्स प्राइवेट लिमिटेड	24, सर्विस रोड, डोम्लर-II स्टेज एक्सटेंशन इंदिरा नगर, बंगलौर 560071 (कर्नाटक)
17.	मैसर्स अल्फा फैजोट्रोन रडार, इक्विपमेंट एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	24, सर्विस रोड, डोम्लर-II स्टेज एक्सटेंसन इंदिरा नगर, बंगलौर 560071 (कर्नाटक)
18.	मैसर्स वी एक्स एल टेक्नोलोजिज लिमिटेड	20/3 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121006 (हरियाणा)
19.	मैसर्स मेमरी इलैक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड	सी-1, उद्योग सदन, 3 एम आई डी सी, अंधेरी (ई) मुंबई-400093 (महाराष्ट्र)
20.	मैसर्स इंडटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	17-18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
21.	मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	बोम्बे हाऊस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-400001 महाराष्ट्र
22.	मैसर्स अल्फा डिजाइन टैक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड	09, सर्विस रोड, हाल-II स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर-560008

[अनुवाद]

चल स्टाक

2362. श्री मोहन रावले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल का दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजार के बड़े भाग पर कब्जा करने के लिए भारत को चल स्टाक और अन्य महत्वपूर्ण रेल उपस्करों का विनिर्माण केन्द्र बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितना निवेश किये जाने की संभावना है और इस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत कितने चल स्टाक का विनिर्माण किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहरहाल, हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आने के साथ भारतीय रेल की यातायात मांग में वृद्धि हुई है जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रहने की प्रत्याशा है।

चल स्टाक और पुर्जों की संवर्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय निम्नलिखित कारखाने लगा रहा है:

1. 1685 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक रेल डिब्बा कारखाना

2. 2052 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर डीजल रेलइंजन कारखाना

3. 1293.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक बिजली रेलइंजन कारखाना (जिसके अनुमोदन मांगा गया है)

4. 877.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पहिया निर्माण कारखाना

इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, संयुक्त उद्यम सहित सभी मार्ग तलाशे जाएंगे। विदेश में भारत के राजनैतिक हितों को बढ़ावा देने और विश्वव्यापी चल स्टाक बाजार में उपस्थित बनाए रखने के लिए मौजूदा उत्पादन कारखानों से चल स्टाक की एक छोटी मात्रा निर्यात की जा रही है। यह प्रत्याशा है कि इन कारखानों के खुलने के साथ निर्यात की मात्रा में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

गैर-व्यस्ततम समय में निजी उड़ानें

2363. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अनेक विमान पत्तनों पर विमानों की आवाजाही को कम करने के लिए निजी विमान कम्पनियों को केवल नान-पीक आवर्स के दौरान अपनी उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर विमान यातायात को कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गए/किये जाने वाले अन्य उपाय क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) आकाश में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर एयरलाइन कम्पनियों को गैर-व्यस्तता घंटों के दौरान अधिक उड़ाने प्रचालित करने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित किए जाने का प्रस्ताव है। भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कुछ अन्य उपायों का भी पता लगाया जा रहा है। बहरहाल, इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एवं मिट्टी तेल पर राजसहायता

2364. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री गणेश सिंह:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार/तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादवार राजसहायता दी जाती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने रसोई गैस एवं मिट्टी तेल पर दी जाने वाली राजसहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति का क्रियान्वयन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली घरेलू रसोई गैस एवं मिट्टी तेल पर राजसहायता दी गयी थी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिमशा पटेल): (क) चालू वर्ष अर्थात् 2006-07 (अप्रैल-दिसंबर, 2006) के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर दी गई राजसहायता नीचे दी गई है:

घरेलू एलपीजी

	प्रति इकाई राजसहायता (रु./सिलेंडर)		
	सरकारी बजट से	तेल कंपनियों द्वारा*	योग
2006-07 (अप्रैल-दिसंबर, 2006) (अनुमानित)	22.58	154.51	177.09

पीडीएस मिट्टी तेल

	प्रति इकाई राजसहायता (रु./लीटर)		
	सरकारी बजट से	तेल कंपनियों द्वारा	योग
2006-07 (अप्रैल-दिसंबर, 2006) (अनुमानित)	0.82	15.95	16.77

*रिफाइनरी छूट, तेल बाण्डों और अपस्ट्रीम घटाये बिना कुल कम-वसूलियां

(ख) से (छ) सरकार पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना 2002 का संचालन कर रही है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को इस समय केन्द्रीय बजट से 2002-03 के एक-तिहाई स्तल पर समान दर से राजसहायता का भुगताम किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदत्त राजसहायता चालू स्तर पर स्थिर कर दी गई है और इसे 2006-07 में समाप्त कर दिया जाना है। इस योजना को आगे जारी रखने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली-मुंबई के बीच फ्रेट कारिडोर

2365. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भरूच-दाहेज रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए आर.वी.एन.एल., गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, जी.आई.डी.सी., अदानी पोर्ट लि. और ओ.एन.जी.सी. ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में प्रत्येक हिस्सेदार की इक्विटी भागीदारी कितनी होगी;

(ग) क्या भारत सरकार का कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भी इस परियोजना के लिए इक्विटी में निवेश का इच्छुक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना की आयोजना और क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(च) क्या इस समर्पित कारिडोर को दिल्ली-मुंबई के बीच फ्रेट कारिडोर के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और गुजरात इंडस्ट्रीयल विकास निगम (जीआईडीसी) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) अभी तक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तावित स्वीकृत इक्विटी अंशदान (करोड़ रु. में) निम्न प्रकार से हैं:-

रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल)	-	25
दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) लि.	-	10
गुजरात मैरिटाइम बोर्ड	-	10
गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कंपनी लि.	-	10
अदनी पैट्रोनेट (दाहेज) पोर्ट प्राइवेट लि.	-	10

(ग) और (घ) आर वी एन एल द्वारा जारी एक्सप्रेशन आफ इनट्रस्ट पर इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) रियायत संबंधी करार हस्ताक्षरित होने के बाद ही एक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(च) और (छ) भरूच-दाहेज नई लाइन को पश्चिमी समर्पित फ्रेट कोरिडोर के साथ एकीकृत किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

पैसेंजर रेलगाड़ी पर नक्सलियों के हमले

2366. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नक्सलियों ने टाटा-खड़गपुर पैसेंजर गाड़ी का अपहरण कर रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) के जवानों के हथियार लूट लिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या सख्त कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 10.12.2006 को गाड़ी सं. 346 डाउन (टाटा-खड़गपुर पैसेंजर) को 10.17 बजे दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खड़गपुर-टाटानगर खंड में चकुलिया और कानी मोहाली के बीच यात्री हाल्ट पर अलार्म चेन खींचकर रोक दिया गया था। नक्सलवादियों का एक गैंग, जो कि गार्ड लोबी से लगे एस एल आर डिब्बे में यात्रियों के रूप में बैठा था, उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल की रोकड़ मार्गरक्षण पार्टी (कैश एस्कोर्ट पार्टी) पर हमला कर दिया और रेल सुरक्षा बल के दोनों कर्मचारियों से हथियार तथा गोला-बारूद छीन लिया। इस हमले में रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के शरीर पर चोटें आई तथा वे लहु-लुहान हो गए। नक्सलवादियों ने ड्राइवर तथा गार्ड से क्रमश: दो वाकी-टाकी सेट तथा सीटी भी छीन ली। बहरहाल, इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

इस संबंध में, राजकीय रेलवे पुलिस/टाटानगर ने 27 आयुध अधिनियम और 17 कानून संशोधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 के अंतर्गत दिनांक 10.12.2006 की सी आर सं. 100/2005 के तहत मामला दर्ज किया और एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया।

(ग) भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:-

1. उक्त प्रभावित खंड पर रेलवे सुरक्षा बल की नकदी एवं गाड़ी मार्गरक्षण पार्टी (कैश एवं ट्रेन एस्कार्टिंग पार्टी) की संख्या बढ़ा दी गई है।

2. घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों को विद्रोहियों का प्रतिकार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

3. उचित समय पर उपयुक्त निवारक उपाय करने के लिए राज्य तथा केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के निकट समन्वय से प्रभावित खंडों पर विद्रोही गुटों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसूचना एकत्रित की जा रही है।

4. आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए सिविल पुलिस, राजकीय पुलिस तथा अन्य केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

रेलवे जोनों की प्रासंगिकता

2367. श्री मनसुख भाई डी. वसावा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवों जोनों की स्थापना रेलवे के फायदे हेतु की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) छोटे प्रशासनिक रेलवे जोनों के सृजन से बेहतर पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग होने से रेलवे की कार्यप्रणाली में चौतरफा सुधार होना संभव हो पाया है। चूंकि रेलवे के निष्पादन में सभी जोन समग्र रूप से सहयोग करते हैं, अत: भारतीय रेल के समग्र निष्पादन में सुधार यह दर्शाता है कि इसमें नए जोनों का भी महत्वपूर्ण सहयोग है। निम्नलिखित आंकड़े भारतीय रेल के निष्पादन में हुए सुधार को दर्शाते हैं।

अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान प्रारंभिक माल लदान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 542.81 मिलियन टन की तुलना में 593.67 मिलियन टन था, जो कि 50.86 मिलियन टन तथा 9.37% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, शुद्ध टन किलो मीटर के संदर्भ में कुल परिवहन आउटपुट में 358770 मिलियन एन टी के एम से बढ़कर 389170 मिलियन एन टी के एम की वृद्धि हुई, जो कि 30400 मिलियन टन की वृद्धि तथा 8.47% की समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

2006-07 के दौरान फरवरी, 2007 तक भारतीय रेलवे पर, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान अर्जित 48473.64 करोड़ रु. की तुलना में, कुल 55644.30 करोड़ रु. का अर्जन हुआ अर्थात् 14.79% की वृद्धि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बारूदी सुरंग हटाने के दौरान दुर्घटनाएं

2368. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाक सीमा और नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों को हटाने के दौरान कितने सैनिक/नागरिक मारे गए;

(ख) बारूदी सुरंग हटाने के कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बारूदी सुरंग हटाने के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों की अनुपलब्धता की वजह से होती है; और

(घ) यदि हां, तो बारूदी सुरंगों को जल्दी व समय पर हटाने के लिए सरकार द्वारा सेना को अत्याधुनिक मशीनों व सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारत पाक सीमा और नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगें हटाए जाने की कार्रवाइयों के दौरान एक सैनिक और 61 सिविलियन हताहत हुए।

(ख) बारूदी सुरंगें हटाने की कार्रवाइयों में, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंगें हटाने के कार्य में सेना के विधिवत रूप से उन प्रशिक्षित कार्मिकों को लगाया जाता है जो सुरंगें बिछाते हैं और भू-भाग से परिचित होते हैं। यद्यपि सुरंग क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण किया जाता है तथापि, लंबे समय तक सुरंगें बिछी रहने के कारण कुछ सुरंगें धंस जाती हैं और भू-भाग और पर्यावरणीय स्थितियों के कारण उनका विचलन हो जाता है। कई बार कृंतक बारूदी सुरंगों को पकड़कर खींच ले जाते हैं जिसके कारण वे अपने स्थान से खिसक जाती हैं।

(ग) और (घ) बारूदी सुरंग हटाने की कार्रवाइयों में यांत्रिक बारूदी सुरंग हटाने वाले उपस्करों का गहन इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, आपरेशन पराक्रम के पश्चात् बारूदी सुरंग हटाने की कार्रवाइयों में कार्यरत सैनिकों को पर्याप्त रक्षात्मक साज-समान मुहैया कराया गया था। अपेक्षित होने पर बारूदी सुरंग खोजी कुत्तों का उपयोग किया गया था। प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

बेल्सा क्रासिंग पर उपरिपुल

2369. **चौ. मुनव्वर हसन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा आजमगढ़-सराय रानी रेलमार्ग पर बेल्सा क्रासिंग (समपार सं. 29ए) पर अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 50 लाख रु. जारी किए गए हैं;

(ख) आजमगढ़ के निकट बेल्सा क्रासिंग पर उपरिपुल के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है तथा अगले वर्ष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) निर्माण कार्यों को शुरू करने और समय पर उनको पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) संरेखण योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। संयुक्त सामान्य आरेखण व्यवस्था को पेस करने के लिए प्रोफाइल स्केच को राज्य सरकार के पास प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) कार्य की लागत रेलवे और राज्य सरकार प्रत्येक के लिए 602.79 लाख रु. आंकी गई है। 2007-08 के दौरान 15 लाख रु. का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

(ग) जी ए डी के समय पर अनुमोदन के पश्चात कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के प्रयत्न किए जाएंगे और विस्तृत (संयुक्त) आकलन स्वीकृत है।

प्राचीन मूर्तियों का अनुरक्षण

2370. **श्री धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस अथवा सी.बी.आई. के छापों के दौरान जब्त की गयी पुरातत्व महत्व की प्राचीन मूर्तियों का रख-रखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप इन मूर्तियों को नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी मूर्तियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार को इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 से संबंधित विभिन्न मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा

पुरातत्वीय महत्व की जब्त की गई प्राचीन मूर्तियां मालखाना में रखी जाती हैं जिसका केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पुरावशेष यूनिट द्वारा अच्छी तरह रख-रखाव किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी पुरावशेष वस्तुओं को स्वीकार करता है जिनके मुकदमे का निर्णय होने पर न्यायालयों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पक्ष में अधिहरण किया जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों के श्रेणीकरण संबंधी आयोग

2371. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग नियुक्त किए गए अध्यक्ष द्वारा पद धारण करने से मना करने की वजह से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा एक नए अध्यक्ष को नियुक्त करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित संकल्प पैरा 6 के अनुसरण में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को उप श्रेणीबद्ध करने के मुद्दे की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष है। अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गयी है।

[हिन्दी]

मानिकपुर से झांसी तक स्टेशनों का विकास

2372. श्री श्याणा चरण गुप्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानिकपुर से झांसी के बीच रेललाइनों के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण तथा स्टेशनों के संपूर्ण विकास हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं प्रस्तावित है;

(ख) इस संबंध में रेलवे द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर कब तक सकारात्मक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त जोन को रेलवे की विभिन्न योजनाओं से कब तक लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस जोन की सतत् उपेक्षा के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस समय, माणिकपुर से झांसी रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए कोई योजना/स्वीकृत कार्य नहीं है। बहरहाल, माणिकपुर से झांसी के बीच विभिन्न स्टेशनों पर निम्नलिखित विकास कार्य किए जाने की योजना है:-

1. माणिकपुर, महोबा, हरपालपुर, अट्टारा और चित्रकुटधाम करवी स्टेशनों पर 23/24 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को खड़ा करने के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार।
2. अट्टार स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण।
3. महोबा और बांदा पर प्लेटफार्म सायबान का विस्तार।
4. बरूआसागर, निवारी स्टेशनों पर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार।
5. चित्रकुटधाम कारवी और अट्टारा स्टेशनों पर स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, परिचलन क्षेत्र में सुधार।
6. लंबी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए निवारी, कल्पाहार, तहरका, रानीपुर रोड, बेलाताल ओरछा और बरूआसागर स्टेशनों पर लूप लाइन का विस्तार।
7. झांसी, बांदा, अट्टारा, चित्रकुटधाम कारवी और माणिकपुर स्टेशनों पर बिजली आपूर्ति में संवर्द्धन करके, प्रकाश व्यवस्था करके, प्रदीपण, एयर सर्कुलेटर, हाई मास्ट टावर आदि के द्वारा प्लेटफार्मों, विश्राम/प्रतीक्षा कक्षों, परिचलन क्षेत्र, सड़कों तथा अन्य भवनों आदि पर कर्मचारी और जन-सुविधाओं में सुधार। इसमें चित्रकूट कारवी पर एक 62.5 के डब्ल्यू डी जी सेट की व्यवस्था किया जाना भी शामिल है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त नियोजित कार्यों में से कुछ कार्य कर दिए गए हैं और शेष कार्य वर्ष 2007-08 के दौरान किए जाएंगे। वर्ष के दौरान जब भी ये कार्य पूरे हो जाएंगे, उससे रेलवे और रेल उपयोगकर्त्ताओं को फायदा होगा।

(घ) इस क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति कोई लापरवाही नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां

2373. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुमानित रूप से देश में मात्र 2 प्रतिशत फल और सब्जियों का प्रसंस्करण हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो फल और सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश की क्या संभावना है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उपाए किए गए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं/उपाए किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) प्रसंस्करण के लिए फल और सब्जियों के उपयोग का अनुमान कुल उत्पादन का लगभग 2.20% है। प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किए गए प्रमुख फलों और सब्जियों में अन्य बातों के साथ-साथ, आम, सेब, अनानास, संतरा, लीची, खुम्बी, टमाटर, आलू, मटर, मिर्च, लहसुन आदि शामिल हैं। आंध्र प्रदेश समेत देश में फल और सब्जी प्रसंस्करण की विशाल संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत सहायता के उच्च स्तर यानी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना के लिए 50% की दर पर 4.00 करोड़ रुपये तक और फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक सहायता की अनुमति है। सरकार ने देश में बागवानी के व्यापक विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी शुरू किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधनं विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। वर्ष 2004-05 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल के लिए लाभ पर 100% आयकर छूट और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% आयकर छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है। मांस, पाल्ट्री और मछली पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% कर दिया गया है। खाद्य तेल उद्योग में इस्तेमाल होने वाले फूड ग्रेड हेक्सेन पर लगने वाले 32% उत्पाद शुल्क को घटाकर 16% कर दिया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैन्स पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है। सरकार ने बजट 2006-07 में संघनित दूध, आइसक्रीम, मांस, मछली और पाल्ट्री के व्यंजनों, पैकटिन, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। खाने के लिए पैक किए हुए खाद्य और डोसा तथा इडली मिक्स जैसे इंस्टेट फूड मिक्स पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया है। शीतल पेयों पर उत्पाद शुल्क को 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है और पैकेजिंग पेपर पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 12% कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए कराधान में कमी की गई है। संघीय बजट 2007-08 में बिस्कुट (50 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक फुटकर कीमत वाले) और इंस्टेट मिक्सेज सहित सभी प्रकार के खाद्य मिक्सेज पर आबकारी शुल्क को 8% से घटाकर 0% कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अन्यों के साथ-साथ ये उपाय प्रसंस्करण को उत्पादन के साथ जोड़ने और संवर्धित करने के लिए तैयार किए गए हैं। खाद्य कानूनों की बहुलता को तर्कसंगत बनाने के लिए एक समेकित खाद्य कानून अर्थात खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक, 2006 अधिनियमित किया गया है। इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य खाद्य से संबंधित एकल सांविधि तैयार करने और खाद्य मानक निर्धारित करने, कारगर विनियमन और प्रवर्तन तंत्र को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना है। तथापि अब स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल पंप

2374. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजस्थान में कंपनीवार कितने पेट्रोल पंप हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनीवार कितने पेट्रोल पंप बंद किए गए तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और आईबीपी कं. लि. (आईबीपी) से संबंधित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या तथा बंद किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या नीचे दी गई है:-

ओएमसी का नाम	1.2.2007 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या	पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 2005-06) के दौरान राजस्थान राज्य में बंद किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या	पेट्रोल पंप बंद करने के कारण
आईओसी	856	4	मिलावट तथा सीबीआई का छापा
बीपीसीएल	490	9	विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, त्यागपत्र, मुकदमेबाजी, न्यायालय मामले, सड़क बंद होना/यातायात का मार्ग परिवर्तन आदि
एचपीसीएल	613	7	खराब प्रदर्शन, स्टाक में उतार चढ़ाव, जिला प्राधिकरण द्वारा बिक्री लाइसेंस वापिस लेना, कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद, आदि
आईबीपी	130	2	अनधिकृत पुनर्गठन तथा डीलरशिप करार की अवहेलना
योग	2089	22	

(ग) ओएमसीज द्वारा मिलावट तथा स्टाक में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में नियमित/औचक निरीक्षण, नमूना जांच, आक्टेन दर का परीक्षण, मिट्टी तेल का नीला रंजन, स्मार्ट कार्ड का आरंभ, मार्कर प्रणाली का उपयोग, छेड़छाड़ रोधी, ताला प्रणाली, टैंक ट्रक में वैश्विक स्थिति प्रणाली (जीपीएस) की स्थापना, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर विमानों को रात में उतरने की सुविधा

2375. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:
श्री विजय कृष्ण:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ विमानपत्तनों पर विमानों को रात में उतरने की सुविधाएं मुहैया नहीं करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। निम्नलिखित प्रचालनिक हवाईअड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधा उपलब्ध नहीं है:-

अगाति, अकोला, बारामति, भुंतर (कुल्लू), देहरादून, गगल (कांगड़ा), गोंदिया, जबलपुर, जुहू, कानपुर, कार्गिल, केशोड, कोटा, कांदला, लुधियाना, मैसूर, पंतनगर, पांडिचेरी, पोरबंदर, राजमुंदरी, सेलम, शिलांग (उमरोई), शिमला, सिल्चर, तुतिकोरिन तथा वेल्लूर हवाईअड्डे।

(ख) कुछ हवाईअड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधा एयरलाइन प्रचालकों से मांग की कमी के कारण या आस-पास के क्षेत्र, जिसके कारण इन हवाईअड्डों पर रात्रि प्रचालन संभव नहीं है के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

(ग) जहां कहीं व्यवहारिक होगा सभी प्रचालनिक हवाईअड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) इस उद्देश्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए 27.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2376. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र का उपक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरानी प्रौद्योगिकी की वजह से सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम भारी हानि उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का विचार हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण व घाटा उठाने वाले उद्यम ऐसे हैं, जो पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के प्रयास कर रहे हैं तथा उनके अपने प्रतिष्ठानों में समर्पित अनुसंधान एवं विकास शाखाएं हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 80 उद्यमों ने इस संबंध में 985.69 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया है।

(ग) और (घ) घाटे/रुग्णता के कारण बहुआयामी है तथा प्रत्येक एकक के अनुसार अलग-अलग हैं। तथापि, रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के सामने आने वाली कुछ सामान्य कठिनाईयों में पुराने संयंत्र व मशीनरी, प्राचीन प्रौद्योगिकी, संसाधन संकट, निम्न क्षमता उपयोग, निम्न उत्पादकता, कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, भारी ब्याज भारी, गहन प्रतिस्पर्धा तथा विपणन पर ध्यान केन्द्रित न करना शामिल है।

(ङ) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण व घाटा उठाने वाले उद्यमों के पुनर्स्थापन/पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव लोक उद्यम चयन बोर्ड को विचारार्थ तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। पुनर्स्थापन पैकेज में आधुनिकीकरण/ प्रौद्योगिकी समुन्नयन इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न व मिनीरत्न उद्यमों को प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उध्यम स्थापित करने, रणनीति समझौते करने तथा खरीद व अन्य व्यवस्था के माध्यम से प्रौद्योगिकी व तकनीकी प्राप्त करने से संबंधित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

कोयले से तरलीकृत ईंधन तैयार करना

2377. श्री के.एस. राव:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोयले को तरलीकृत ईंधन और गैस में बदलने के संबंध में निवेश आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित प्रौद्योगिकी और निवेशों की उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेल आयातों को कम करने हेतु कोयले को ईंधन और गैस

में बदलने के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु विशिष्ट तंत्र स्थापित करने और इन परियोजनाओं में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) निवेश आयोग ने तेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोयले को तरल ईंधन और गैस में बदलने के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (घ) आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कोयला संसाधनों से तरल ईंधन के उत्पादन के लिए कोयला तरलीकरण प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है।

ओआईएल ने मैसर्स एक्सेन एनए, अमरीका की कोयला तेल सह संसाधन प्रौद्योगिकी जहां वैक्यूम टावर बाटम (वीटीबी) नामक रिफाइनरी उत्पाद का कोयले का घोल बनाने के लिए उपयोग किया गया था, का उपयोग करते हुए दुलियाजान, असम में ओआईएल के आर एंड पी परिसर में स्थापित 25 कि.ग्रा./दिन की क्षमता के प्रायोगिक संयंत्र में 1999-2002 के दौरान प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन आरंभ किए। परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे। तथापि, ओआईएल इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वाणिज्यीकरण की तरफ नहीं बढ़ पाया क्योंकि भारत में वीटीबी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद ओआईएल ने मैसर्स एक्सेन एनए, यूएसए की केवल कोयला केटेलिटक दो चरण तरलीकरण (सीटीएसएल) प्रौद्योगिकी के साथ कोयला परिवर्तन अध्ययन आरंभ किया। बाद में मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने वर्ष 2006 में मैसर्स एक्सेन की सीटीएसएल प्रक्रिया का कार्यस्थल विशिष्ट व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन किया।

तरलीकरण के लिए पूर्वोत्तर कोयले के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने हेतु आएआईएल ने अमरीका में एचटीआई परिसरों में बेंच स्केल परीक्षणों के माध्यम से मैसर्स हाइड्रोकार्बन टेक्नोलाजी इंक (एचटीआई), अमरीका की प्रत्यक्ष कोयला तरलीकरण (डीसीएल) प्रौद्योगिकी द्वारा पूर्वोत्तर कोयले के परिवर्तन का व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन भी किया।

चूंकि वाणिज्यिक कोयला तरलीकरण योजना बेहद पूंजी सापेक्ष है, इसलिए प्रायोगिक संयंत्र के परिणामों को वाणिज्यिक आकार तक बढ़ाने के खतरे को कम करने के लिए ओआईएल ने अब व्यवहार्यता पूर्व अध्ययनों में तरल उत्पाद की प्राप्ति और गुणवत्ता के पूर्वानुमान की पुष्टि करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कार्य आरंभ किए हैं।

एक वाणिज्यिक संयंत्र के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कोयले की उपलब्धता और आश्वस्त सुपुर्दगी की पुष्टि करने के लिए ओआईएल और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य बल पूर्वोत्तर कोयले की उपलब्धता का अध्ययन करता रहा है।

आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने धरातल के नीचे कोयले के गैसीकरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है और यह सतह कोयला गैसीकरण के लिए भी एक परियोजना का अन्वेषण कर रहा है। ये परियोजनाएं सरकारी और निजी प्रतिभागिता के साथ हैं। यह कोयले को तरल ईंधन में परिवर्तित करने की दिशा में भी यह पहला कदम है।

धर्म आधारित जनसांख्यिकीय आंकड़े

2378. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास धर्म आधारित जनसांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) धर्म आधारित जनसांख्यिकीय आंकड़े पहले ही 2001 की जनगणना में उपलब्ध है। जिसका विवरण वेबसाइट www.cencus india.net पर है।

[हिन्दी]

टैंकरों से पानी की आपूर्ति

2379. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गयी जिन्हें लद्दाख में सेना को डीजल की आपूर्ति के लिए लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कदाचार कब से जारी है;

(ग) क्या सैन्य अधिकारी इस मामले में संलिप्त थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों और टैंकर मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) उत्तर कमान के लद्दाख क्षेत्र में इंडियन आयल कारपोरेशन के सात टैंकरों में डीजल के बजाय पानी की आपूर्ति करने के बारे में जुलाई, 2005 में सरकार के ध्यान में केवल एक घटना आई थी। सेना मुख्यालय द्वारा एक जांच न्यायालय को स्थापित किया गया था जो 30 जुलाई, 2005 को पूरा हो गया था।

जांच न्यायालय के तथ्यों के आधार पर अन्य लोगों सहित दो सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। इस घटना में शामिल चार अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा पेट्रोलियम लारी के सिविलियन चालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

[अनुवाद]

रेलवे में भाण्डागार परिसर

2380. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास 'रेल-साइट' भाण्डागार परिसरों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस प्रयोजनार्थ स्थानों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परिसरों हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय ने विभिन्न स्थलों पर 22 रेलमार्गवर्ती गोदाम परिसर विकसित करने के लिए केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सी डब्ल्यू सी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेलमार्गवर्ती गोदाम विकसित करने की व्यावहारिकता की भी जांच की जा रही है।

(ग) सी डब्ल्यू सी निम्नलिखित 22 स्थलों को रेलमार्गवर्ती गोदाम परिसरों के रूप में विकसित किया जाना है। मैसूर, इंद्रानगर, देहरी-आन-सान, कान्हा, ताम्बरम, नासिक रोड, बडनेरा, सासवाड रोड, नैनी, यमुना ब्रिज, सम्बलपुर, शकूरबस्ती, गाजियाबाद, आलमनगर, रोजा, दानकुनी, बर्धवान, सनथनगर, हटिया, कुडालनगर, कांडला और निशातपुरा। नए स्थलों पर व्यवहारिकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल इनमें से किसी परियोजना का वित्तपोषण नहीं कर रही है, समग्र व्यय सी डब्ल्यू सी द्वारा वहन किया जा रहा है। रेलवे और सी डब्ल्यू सी, दोनों के द्वारा निर्माण में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दलितों पर अत्याचार संबंधी विशेष न्यायालय

2381. श्रीमती कृष्णा तीरथ:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु अब तक विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त अधिनियम के अंतर्गत अब तक विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों से विशेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है जहां ऐसे न्यायालयों की स्थापना अब तक नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारें, जो प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र राज्य हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित की हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश,

बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अनन्य विशेष न्यायालयों का गठन किया है।

अधिनियम के उपबंधों के अक्षरशः कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखता रहा है।

मुस्लिम महिलाओं का कल्याण

2382. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रणी मुस्लिम महिला विदुषियों और कार्यकर्त्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को नजरअंदाज करने हेतु सच्चर समिति की रिपोर्ट की आलोचना की है जैसा कि 28 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में मुस्लिम महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) इस संबंध में, 28 फरवरी, 2007 के बजाय 28 जनवरी, 2007 के 'द हिन्दू' अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) 31, नवम्बर 2006 को राज्य सभा पटल पर रखी गई सच्चर समिति की रिपोर्ट मुस्लिम महिलाओं सहित भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित हैं।

(घ) मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु कई कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। इनमें से कुछ, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की छात्रवृत्ति योजना, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में अनु. जाति/अन. जनजाति/अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटों का प्रावधान, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमें है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों का स्थान परिवर्तन

2383. श्री एम. अप्पादुरई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे स्टेशनों का उपनगरों से समुचित कस्बों में स्थान परिवर्तन करने हेतु तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से स्टेशन शिफ्ट करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से शिफ्टिंग के संबंध में प्राप्त स्टेशन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) श्रीमती के. रानी, संसद सदस्य, रासीपुरम निर्वाचन क्षेत्र से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वृद्धाचलम-सलेम खंड पर तलैवासल रेलवे स्टेशन को किमी. 125.23 पर नए स्थल पर शिफ्ट किया जाए ताकि देवियाकुरिच्ची गांव को सेवित किया जा सके।

(2) श्री एम. अप्पादुरै, संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि पालायमकोटै रेलवे स्टेशन से तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर खंड में महाराजनगर और त्यागराजनगर के बीच नए स्थल पर शिफ्ट किया जाए।

(3) तिरूनेलवेली-तिरूचेंदुर खंड पर काबलपट्टीनम रेलवे स्टेशन शिफ्ट करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ।

(ग) इन अनुरोधों की जांच की गई थी और स्थान की तंगी, अन्य पार्टियों के परस्पर विरोध हितों अथवा मौजूदा स्थलों पर सुविधाओं की पर्याप्तता के कारण इनके संबंध में विचार नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेललाइनों हेतु सर्वेक्षण

2384. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गोंदिया-बालाघाट-जबलपुर तथा इंदौर-मनमाड बड़ी रेललाइन हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं हेतु आज की तिथि तक आवंटित और इन पर खर्च की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गोंदिया-जबलपुर (बालाघाट-कटंगी सहित) का आमान परिवर्तन एक अनुमोदित परियोजना है जिसके तहत गोंदिया-बालघाट खंड पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है और शेष भाग पर कार्य जारी है। 31.03.2006 तक परियोजना पर 167.45 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। 2006-07 के बजट में परियोजना के लिए 57.40 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 2004-05 में धुले-नरदाना-शिरपुर (350 किमी.) के रास्ते मनमाड और इंदौर के बीच एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के निर्माण की लागत 1001.16 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें ऋणात्मक प्रतिफल की दर आ रही है। इस परियोजना की 50% लागत को वहन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

2385. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 से 2006 के दौरान और चालू वर्ष में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अर्जित राजस्व का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को पर्यटन के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास हेतु कोई प्रमुख योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र में जिला/राज्य-वार अर्जित राजस्व के आंकड़ों का कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) से (घ) वित्तीय वर्षों 2003-2006 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए विभिन्न पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	2003-04	182.32
2.	2004-05	2680.00
3.	2005-06	1645.00
4.	2006-07	1871.00

वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष उनके साथ विचार-विमर्श करके, पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास तथा भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता की योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

वित्तीय वर्षों 2003-2006 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	946.50	2827.19	2615.82	1040.56
2.	असम	313.46	986.03	2140.00	2448.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	1044.60	1325.50	2240.16	1887.80
4.	बिहार	1019.42	1901.43	1212.23	1937.29
5.	छत्तीसगढ़	1005.00	1117.94	1775.59	3208.20
6.	गोवा	36.76	110.00	10.00	0.00
7.	गुजरात	920.51	138.93	2011.58	347.73
8.	हरियाणा	1215.38	693.55	639.71	1836.16
9.	हिमाचल प्रदेश	182.32	2680.00	1645.00	1871.00
10.	जम्मू-कश्मीर	895.00	819.25	6656.01	4045.58
11.	झारखंड	1109.00	945.91	1227.27	824.88
12.	कर्नाटक	932.66	2461.76	1706.52	721.86
13.	केरल	608.50	2283.63	4858.88	4044.40
14.	मध्य प्रदेश	621.90	1595.19	3047.39	3599.78
15.	महाराष्ट्र	931.83	1620.62	2075.04	2769.05
16.	मणिपुर	82.44	0.00	49.80	939.35
17.	मेघालय	40.22	963.30	5.00	1376.80
18.	मिजोरम	567.70	1086.35	2273.41	2547.33
19.	नागालैंड	711.00	2250.69	2528.97	1875.60
20.	उड़ीसा	419.55	1320.74	2309.61	2019.12
21.	पंजाब	96.00	724.68	1437.67	3177.82
22.	राजस्थान	1644.81	2516.61	2591.87	953.84

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	1151.09	660.81	2844.56	1397.42
24.	तमिलनाडु	1339.82	1308.92	4264.62	1866.41
25.	त्रिपुरा	450.17	20.00	716.26	291.27
26.	उत्तरांचल	230.44	2199.98	2738.00	1456.35
27.	उत्तर प्रदेश	1115.80	1044.93	3905.23	3329.06
28.	पश्चिम बंगाल	717.44	513.04	989.35	1357.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	6.25	0.00
30.	चंडीगढ़	10.00	467.00	13.70	15.00
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	29.79	0.00
32.	दिल्ली	3316.28	628.85	20.00	2395.09
33.	दमन व दीव	265.07	0.00	262.28	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	7.00
35.	पांडिचेरी	245.17	451.00	469.39	0.00
	कुल	24185.84	37663.83	61316.96	55587.99

टिप्पणी: इसमें परिपथों, गंतव्यों, एलआरबी परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल है।

[अनुवाद]

स्काई बस प्रणाली

2386. श्री अमिताभ नन्दी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे निगम लि. ने शहरी क्षेत्रों में ट्रांजिट समाधान उपलब्ध कराने के लिए उपमार्ग प्रणाली के विकल्प के रूप में ''स्काई बस'' प्रणाली का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) आंध्र प्रदेश सरकार से अपेक्षित अनुमति के साथ एक निजी पार्टी (मैसर्स डाक्सपोर्ट टेक्नोलाजीज, स्वैड्रन बरहाड, मलेशिया) के लिए कोंकण रेलवे निगम लि. द्वारा हैदराबाद में स्काई बस मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था।

(ख) उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट 4.11.2006 को मैसर्स डाक्सपोर्ट टेक्नोलाजीज, स्वैड्रन बरहाड, मलेशिया को सौंपी गई थी।

कुल लंबाई 22 किमी. (उप्पल से गुडीमल्कापुरम तक)

कुल स्टेशनों की संख्या 19

पूंजीगत लागत 1.782 करोड़ रु. (2006-07)

(ग) स्काई बस परियोजना फिलहाल प्रगतिशील है। परीक्षण करने के लिए 1.6 कि.मी. का जांच रेलपथ मडगांव में निर्मित

किया गया है। स्काई बस तकनीकी का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा एक तकनीकी सलाहकार दल का गठन किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा 2006-07 के दौरान 25 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

अजमेर और किशनगढ़ विमानपत्तन

2387. श्री सुभाष महरिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अजमेर स्थित हवाई पट्टी को बदलने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किशनगढ़ विमानपत्तन पर रनवे का विस्तार 6000 फीट तक करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) विमानपत्तन को कार्यशील बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अजमेर की हवाई पट्टी भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय की है।

(घ) और (ङ) राजस्थान राज्य सरकार के अनुरोध पर, वाणिज्यिक प्रचालनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किशनगढ़ हवाई पट्टी के विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन तैयार किया है तथा इसे पुनरीक्षण के लिए, राज्य सरकार को भेज दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई किया जाना राज्य सरकार के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर निर्भर करता है।

खाड़ी देशों के लिए कार्गो उड़ानें

2388. श्री पी.सी. थामसः
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिरूवनन्तपुरम-खाड़ी मार्ग पर उड़ान भर रहे एयरबस विमान को बोइंग विमान से बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने केरल से होने वाले निर्यात पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया है, क्योंकि बोइंग विमानों की माल वहन करने की क्षमता काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विमान को बदलने के निर्णय पर पुनर्विचार करने अथवा बोइंग विमानों की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कार्गो उड़ान की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आई.जी.आर.यू.ए.

2389. श्री अनंत कुमारः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई जी आर यू ए) को एक कंपनी में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आई जी आर यू ए के संबंध में पूंजी अधिग्रहण और आधुनिकीकरण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को उसके पूंजी अधिग्रहण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए

अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान 3.00 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2005-06 के दौरान 2,30,64,000 रुपए की राशि प्रदान की थी।

आई.टी.डी.सी. का पुनरुद्धार

2390. **श्री मधु गौड यास्खी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आई.टी.डी.सी. का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) आई.टी.डी.सी. प्रबंधन अपना लाभ बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाता है। हाल ही में उठाए गए ऐसे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) आंतरिक सृजित निधि द्वारा आई.टी.डी.सी. होटलों में मरम्मत, अनुरक्षण तथा आवश्यक नवीकरण कार्य।

(2) आई.टी.डी.सी. के विभिन्न कार्यकलापों की प्रमुख पुनरुद्धार योजना की तैयारी में अशोक होटल, नई दिल्ली का वृहत नवीकरण शामिल है।

(3) आई.टी.डी.सी. होटलों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई सेवाएं तथा सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(4) भारत तथा विदेशों में शुल्क मुक्त व्यापार के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ साझीदारी।

(5) इवेंट मैनेजमेंट बिजनस और अन्य नए आला उत्पादों में विविधता।

अग्निरोधी रेल डिब्बे

2391. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 के दौरान रेल कोच फैक्टरी ने लखनऊ आर.डी.एस.ओ. को अग्निरोधी रेल डिब्बों की प्रतिकृति के डिजाइन स्वीकृति हेतु भेजे हैं, जैसाकि दिनांक 21 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर.डी.एस.ओ. द्वारा डिजाइन स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यात्री कोचों के अंदर उपयोग किए जाने वाले आवर्धित अग्निरोधी गुणों के साथ सुधारात्मक साज-सज्जा सामग्रियों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य उत्पादन इकाइयों अर्थात् रेल डिब्बा कारखाना एवं सवारी डिब्बा कारखाना के सहयोग से अ.अ.मा.सं. द्वारा किया जाता है। इस कार्य के भाग के रूप में रेल डिब्बा कारखाना ने आंतरिक भाग में कुछ नई सामग्रियों जिसमें बेहतर अग्निरोधी गुण थे का उपयोग करके 2003 में द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे का नमूना निर्मित किया। इन गुणों और इन सामग्रियों के उपयोग का अनुभव अ.अ.मा.सं. को भी मुहैया कराया गया ताकि यात्री कोचों को अग्निरोधी बनाया जा सके।

(ख) और (ग) अ.अ.मा.सं. के अनुभव, दो उत्पादन इकाइयों, विकसित देशों की रेलों द्वारा अपनाई गई नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों और स्वदेशी उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के आधार पर भारतीय रेल के कोचों में प्रयुक्त अनेक साज-सज्जा सामग्री जैसे फ्लोर बोर्ड, फ्लोर कवरिंग, सीट कुशन, सीट अपहोल्सटरी, छत तथा दीवार पैनलों, पर्दों इत्यादि को उन्नत अग्निरोधी गुणों के साथ विकसित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हवा से हवा में मार करने वाले आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों का अधिग्रहण

2392. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाले कुछेक आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रक्षेपास्त्रों का अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुराने अभिलेखों के छायाचित्र

2393. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हजारों छायाचित्रों वाले सैकड़ों वर्ष पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ठेके देने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 10,000 फोटो निगेटिवों के डिजिटीकरण की एक परियोजना का कार्य प्रारंभ किया है। ग्लास निगेटिवों का डिजिटीकरण करने के लिए यह कार्य निविदा की न्यूनतम दर पर सौंपा गया है।

प्रचालन कार्यकुशलता

2394. श्री परसुराम माझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्री और माल की आवाजाही में प्रचालन कार्यकुशलता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी नए जोनल कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेलवे पर यात्री सुविधाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 545 यात्री वाहक गाड़ियों को 745 सवारी डिब्बों से अधिक तक संवर्द्धित किया गया था और लगभग 655 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाई गई थी। इसके अलावा, 73 जोड़ी नई गाड़ियां शुरू की गई थीं, 50 जोड़ी गाड़ियों का विस्तार किया गया था और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के बावजूद 16 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गई थी। ये उपलब्धियां समय सारणी के युक्तिकरण, मौजूदा अनुरक्षण पद्धति की समीक्षा, रेकों के मानकीकरण और एकीकरण और इंजन और क्रू संपर्कों की समीक्षा करके प्राप्त की गई हैं।

भारतीय रेलवे को अवसंरचना, चल स्टाक आदि के अभाव के कारण विशाल माल भाड़ा लदान संभाव्यता को अभी पूरा करना है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 1100 मिलियन टन की प्रक्षेपित मांग पूरी की जा सकती है। इसे परिचालन कुशलता और अवसंरचना विकास में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

पिछले वर्ष की तुलना में माल डिब्बा टर्न राउंड समय 6.4 दिनों से घटकर 6.08 दिनों तक कम हुआ है और शुद्ध टन किमी., जो परिचालन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। पिछले वर्ष की तुलना में 2860 से बढ़कर 3106 हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रेलवे ने परिचालन कुशलता, खाली वापसी अनुपात का उपयोग, भाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली आदि के उपयोग के माध्यम से बेहतर निगरानी के माध्यम से पिछले वर्ष से लगभग 60 मिलियन टन अतिरिक्त भाड़ा लदान का लक्ष्य रखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क

2395. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टिकट वाले स्मारकों में विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और इससे कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) अन्तर मंत्रालयीय बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि विदेशी और भारतीय नागरिकों के लिए टिकट वाले (टिकटेड) स्मारकों पर प्रवेश प्रभार एक समान किया जाए। संस्कृति मंत्रालय ने इस निर्णय की समीक्षा की मांग की है।

(ग) विदेशियों के लिए प्रवेश प्रभारों में कोई कमी करने से राजस्व की काफी हानि होगी।

रेललाइन

2396. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुनीराबाद और महबूब नगर में रेललाइन बिछाने का कार्य 31 मार्च, 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेल लाइन के निर्माण पर कुल कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मुनीराबाद-महबूबनगर नई (246 किमी.) परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) इस परियोजना की कुल प्रत्याशित लागत 497.47 करोड़ रु. है।

विदेशी मुद्रा

2397. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन क्षेत्र वर्ष 2006 में 10 बिलियन डालर तक विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या का आकलन करने के लिए कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) 33वें राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर अधिक संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन से वर्ष 2006 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आय अनुमानित 6.6 अमेरिकन बिलियन डालर थी।

(ख) यदि वर्ष 2007 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2006 के समान अर्थात् 13% ही रहती है तो वर्ष 2007 में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या लगभग 5.01 मिलियन होगी।

(ग) गुवाहाटी में 9-18 फरवरी, 2007 के दौरान 33वें राष्ट्रीय खेल के अवसर पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए असम सरकार ने प्रिंट मीडिया, होर्डिंगों, बैनरों और पोस्टरों इत्यादि के माध्यम से भारी प्रचार अभियान शुरू किया था।

पर्यटन पर आतंकवाद का प्रभाव

2398. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया सरकारों ने आतंकवादी खतरे के कारण अपने पर्यटकों को भारत की यात्रा करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यटकों के आगमन पर ऐसी सलाह का क्या प्रभाव पड़ा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटकों को भारत की यात्रा करते समय सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। जनवरी और फरवरी माह के दौरान पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा आय में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

पर्यटक आगमन

माह	2006	2007	% वृद्धि
जनवरी	444260	514453	15.8%
फरवरी	407198	462578	13.6%

अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु. में)

माह	2006	2007	% वृद्धि
जनवरी	2722.07	3299.51	21.2%
फरवरी	5358.05	6303.46	14%

पर्यटक परामर्शों पर ध्यान नहीं देते हुए बड़े टूर आपरेटर्स, ट्रेवल मीडिया और विदेशी उपभोक्ता को नियमित आधार पर वास्तविकता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

"आईओसी" और "साइनोपेक" के बीच समझौता

2399. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने चीन की एक प्रमुख एकीकृत राष्ट्रीय तेल कंपनी (एनओसी) "साइनोपेक" के साथ हाइड्रोकार्बन सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनओसी और तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के बीच सहयोग के ज्ञापन का भी चर्चा में उल्लेख हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में चीन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की हाल की यात्रा के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन ने चीन के साइनोपेक के साथ 14 दिसंबर, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की संकल्पना की गई है।

* अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
* तीसरे देशों में नये सिरे से अन्वेषण एवं उत्पादन
* रिफाइनरी और पेट्रोरसायन (नियंत्रणमुक्त उत्पाद)
* इंजीनियरी और तकनीकी सेवाएं, तथा
* प्रचालन, इष्टतमीकरण एवं प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान एवं सहयोग।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीआरपीएल का आईओसी के साथ विलय

2400. श्री अनवर हुसैन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (बीआरपीएल) के भारतीय तेल निगम के साथ विलय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस विलय प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) का इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के साथ प्रस्तावित विलय भारत सरकार के विचाराधीन है। चूंकि इन दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया के लिए भारत की मंजूरी आवश्यक है और विलय की योजना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के तहत प्रक्रियाओं के अधीन है, इसलिए विलय की पूर्णता के लिए एक निश्चित समय अवधि बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सैनिकों को सुविधाएं

2401. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैनिकों के बीच आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए विशेषकर उन सैनिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का है जो दुर्गम स्थानों पर तैनात हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) दुष्कर स्थानों में तैनात सैनिकों को उपयुक्त सुविधाएं और अवसंरचना मुहैया कराई गई है। विशेष रूप से दुष्कर क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की कार्य-दशाओं को बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं तथा अवसंरचना में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। सशस्त्र सेनाओं में तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) तनाव स्थितियों को कम करने के लिए यूनिटों तथा कार्मिकों की अदला-बदली;

(2) आकस्मिक तथा वार्षिक छुट्टी को अलग-अलग किए जाने की अनुमति देकर छुट्टी नीति को उदारीकृत किया गया है।

(3) यूनिट स्तर पर बेहतर जनशक्ति प्रबंधन और शिकायतों को तुरंत सुनवाई।

(4) नेताओं तक पहुंच में सुधार तथा जूनियर नेताओं का सैनिकों के साथ बारंबार पारस्परिक संपर्क।

(5) धर्म गुरू, सेना शिक्षा कोर के जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों तथा रेजीमेंटल मेडिकल अफसरों को यूनिट स्तर पर ''मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य परामर्शदाता' के रूप में चिन्हित करना तथा उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना;

(6) उत्तरी कमान तथा पूर्वी कमान, जहां सैनिक प्रतिविद्रोहिता संक्रियाओं में लगाए गए हैं, वहां सेना चिकित्सा कोर के 50 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों को सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

(7) रेजिमेंटल मेडिकल अधिकारियों, जूनियर लीडरों तथा कमांडरों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना जिन्हें युद्ध के तनाव का अधिक जोखिम हो तथा उन्हें सलाह-मशविरा देना।

(8) योग तथा ध्यान-साधना सहित तनाव राहत संबंधी विशेष प्रशिक्षण की शुरूआत की गई है।

(9) सभी मुख्य मंत्रियों से सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों की समस्याओं के प्रति सिविल प्रशासन को और अधिक ध्यान दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

खानपान सेवा संबंधी समिति

2402. श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री वी.के. ठुम्मरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई थी कि उसने न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार अपनी रसोई यानों की स्थिति में व्यापक रूप से सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय ने एक समिति का गठन भी कर दिया है और उससे रेलवे रसोई यानों के संबंध में जांच करते रहने और अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे ने किस सीमा तक रेलगाड़ियों में आपूर्ति किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया है;

(घ) क्या न्यायालय ने उस रिपोर्ट पर विचार भी कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या न्यायालय ने रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम को उसके द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय समिति के समक्ष उन निजी ठेकेदारों का पता उपलब्ध कराने के लिए भी दिशानिर्देश दिए हैं जो रसोई यानों और किचन में रेल यात्रियों के लिए भोजन बनाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने गाड़ियों में मुहैया कराई जाने वाली खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आई आर सी टी सी ने नई दिल्ली, मुंबई और कलकता में विभागीय बेस किचेन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बेस किचेन के लिए आधुनिक उपकरण और पेशागत कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव किया गया है। लाइसेंसधारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने बेस किचेन का उन्नयन करें एवं इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फार स्टैंडर्डाइजेशन (आई एस ओ) तथा हाजार्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एच ए सी सी पी) प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

मौजूदा बेस किचेनों में भी मानक कच्ची सामग्री के साथ स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में खाना तैयार करने की सुनिश्चितता के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और खानपान सेवाओं की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आई आर सी टी सी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है।

(ङ) और (च) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आई आर सी टी सी ने दिल्ली क्षेत्र में पड़ने वाली बेस किचेनों के पते इन बेस किचेनों का निरीक्षण करने के लिए नामित समिति को मुहैया करा दिए हैं।

सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण में खामियां

2403. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व कमान्डेंट, वाइस-एडमिरल (सेवानिवृत्त) ने सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण में खामियों के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) के पूर्व कमांडेंट ने 'विजन 2020 : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए एक खाका' नामक दस्तावेज तैयार किया था।

(ग) और (घ) यह रिपोर्ट सैन्याध्यक्ष समिति को प्रस्तुत की गई थी। सैन्याध्यक्ष समिति ने सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है।

हमीरपुर रोड तथा हरपालपुर के बीच नई रेल लाइन

2404. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमीरपुर रोड तथा हरपालपुर स्टेशनों के बीच नई रेललाइन बिछाने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त रेललाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। हमीरपुर रोड और हरपालपुर स्टेशन के बीच नई रेल लाइन के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को रेल पास

2405. श्री नवीन जिन्दल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों को निःशुल्क रेल पास दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पास किस श्रेणी के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं;

(ग) यह विशेषाधिकार कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है;

(घ) क्या तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क रेल पास दिए जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई मौजूदा योजना के अनुसार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, ओलम्पिक मैडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, एशियन खेलों एवं कामनवेल्थ खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भारतीय रेल में निःशुल्क यात्रा करने के लिए मानार्थ कार्ड पास दिए जाते हैं।

(ग) 847।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। वित्तीय एवं अन्य पहलुओं के कारण तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मौजूदा योजना में शामिल करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रिवेन्यू जेनरेशन प्रोजेक्ट

2406. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी तथा राज्य सरकार की भागीदारी से रिवेन्यू जेनरेशन प्रोजेक्ट की सहायता हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय "भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता" की अपनी योजना के अंतर्गत निजी सार्वजनिक भागीदारी तथा अन्य सरकारी/अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों के साथ भागीदारी से पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं का संवर्धन करता है। टूरिस्ट ट्रेन, क्रूज वेसल्स, क्रूज टर्मिनल्स, समागम केन्द्र, गोल्फ कोर्स आदि परियोजनाएं निजी प्रमोटर के इक्विटी भागीदारी का 50 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक, कुल परियोजना लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत की शर्त पर, इनमें से जो भी कम हो, वित्तीय सहायता हेतु क्वालीफाई करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना विकास से संबंधित 22 परियोजनाओं के लिए 46.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

रेलगाड़ियां चलाया जाना

2407. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अजमेर-रेवाड़ी सवारी गाड़ी (एमजी) (प्रतिदिन) तथा जयपुर-रेवाड़ी सवारी गाड़ी (एमजी) (प्रतिदिन) शुरू कर दी गई है जैसाकि वर्ष 2005-06 के रेल बजट में प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाटू श्याम, जीण माता तथा सालासर धाम की यात्रा करने वाले लोगों की इन स्थानों को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को पूरा करने हेतु रेलवे ने क्या नए कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 01.07.2005 से 163/164 अजमेर-रेवाड़ी पैसेंजर (मीटर लाइन) और 499/500 जयपुर-रेवाड़ी पैसेंजर (मीटर लाइन) चलाई गई है। बहरहाल, आमान परिवर्तन के कारण, 163/164 पैसेंजर फिलहाल मडार और रेवाड़ी के बीच ही चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "खाटू श्याम" रिंगस स्टेशन द्वारा, "जीण माता" जयपुर सीकर खंड पर गोरियान स्टेशन द्वारा सेवित है और "सालासार धाम" रतनगढ़ स्टेशन के समीप स्थित है। बहरहाल, मेले के आयोजन के समय अतिरिक्त भीड़भाड़ को संभालने के लिए नियमित गाड़ियों में सवारी डिब्बों को बढ़ाने के अलावा विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

कोंकण रेलवे द्वारा मुआवजे के तौर पर रोजगार

2408. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे की रेललाइन बिछाने हेतु मुआवजे तथा प्रोत्साहन के रूप में विस्थापित परिवारों को रोजगार देकर, रेलवे स्टालों का आबंटन आदि करवाकर बहुत अधिक निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेलवे ने विस्थापित परिवारों के लिए श्रेणी III तथा IV में मुआवजे के तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाकर तथा रेलवे स्टेशन स्टालों आदि के आबंटन के जरिए पुनर्वास योजना को पूर्णतया लागू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी के लाभान्वितों की कुल संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कोंकण रेलवे ने रेलवे लाइन के निर्माण हेतु निजी भूमि के अपेक्षित भाग का अधिग्रहण किया है, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा निश्चित मुआवजे का भुगतान किया गया था। मुआवजे के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के लिए कोई सहमति नहीं हुई थी।

(ख) इस रेल परियोजना के लिए कोई पुनर्वास योजना अनुमोदित नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बजट आबंटन का उपयोग

2409. श्री राम कृपाल यादव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के लिए अपने बजट आबंटन का केवल 34% की उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा बजट आबंटन पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं। दिनांक 28.2.2007 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने बजट का 84% उपयोग किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरो-3 ईंधन

2410. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन शहरों में यूरो-3 पेट्रोल की बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर कर्नाटक में यूरो-3 ईंधन की आपूर्ति करने हेतु कुछ और शहरों का चयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार द्वारा अक्तूबर, 2003 में अनुमोदित आटो ईंधन नीति में दिए गए रोडमैप के अनुसार 13 शहरों नामत: दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर तथा लखनऊ में यूरो-3 समतुल्य पेट्रोल व डीजल की बिक्री की जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित आटो ईंधन नीति के अनुसार कर्नाटक सहित पूरे देश में 1.4.2010 से यूरो-3 समतुल्य ईंधन आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

2411. श्री तथागत सत्पथी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनेक शीर्षस्तर के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ग) इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक के पद रिक्त पड़े हैं। इन उपक्रमों के नाम हैं- ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि. बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि., फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि., हाऊसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., इंस्ट्रूमेंटेशन लि., इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नार्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लि., नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. तथा पवन हंस हैलिकाप्टर्स लिमिटेड। इन पदों पर नियुक्ति में विलम्ब के कारणों में सतर्कता अनुमति/सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा पदभार ग्रहण में देरी, आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित मंत्रालय द्वारा सचेत निर्णय के रूप में पदों को स्थगित रखा जाना, न्यायालयी मुकदमें आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें इन पदों को भरने की समय सीमा निर्धारित करने का उल्लेख किया

गया है ताकि पद के रिक्त होने के छः माह पूर्व सरकारी उद्यम चयन मण्डल की अनुशंसाएं प्राप्त की जा सकें और अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए उसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों में भेजा जा सके।

रेलगाड़ियों का पटरियों से उतरना

2412. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे के कोयम्बतूर-चेन्नई खण्ड में विन्नामंगलम रेलवे स्टेशन के निकट रेलगाड़ियों के बारम्बार पटरियों से उतरने की घटनाएं हुई हैं तथा इन घटनाओं में अनेकों यात्री चमत्कारिक रूप से बचे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल गाड़ियों के इस तरह पटरियों से उतरने को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे के विन्नामंगलम स्टेशन के समीप गाड़ी के पटरी से उतरने की केवल एक ही घटना हुई है। 28.01.2007 को, गाड़ी सं. 2674 अप कोयंबतूर-चेन्नई सेंट्रल चेरन एक्सप्रेस के 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे जिसके परिणामस्वरूप एक यात्री को गंभीर रूप से चोट आई थी तथा अन्य नौ यात्रियों को मामूली रूप से चोट लगी थी। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना उपस्कर की विफलता के कारण हुई थी। बहरहाल, रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

2413. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कितनी रिपोर्टें तथा कितनी की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें संसद में पेश की गई हैं;

(ख) क्या आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात दंगों तथा देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के संबंध में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को गंभीरता से लेने तथा लागू करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कुल (10) वार्षिक रिपोर्टें, उसमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद में पेश कर दी गई हैं। स्वीकृति की स्थिति प्रत्येक की गई कार्रवाई ज्ञापन में दी गई है।

(घ) और (ङ) यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 2001-2002 की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 8 से संबंधित है, इस पर की गई कार्रवाई ज्ञापन को 12 मार्च, 2007 को राज्य सभा में पेश कर दिया गया है और लोक सभा में पेश किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में सीपीएसयू

2414. श्री जोवाकिम बखला: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई सरकारी-उपक्रम/भारी उद्योग स्थापित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(ङ) घाटे में चल रहे सीपीएसयू के पुनरुद्धार तथा कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र (सी.पी.एस.ई.) का कोई भी उद्यम स्थापित नहीं किया गया है। सी.पी.एस.ई. की स्थापना करने का निर्णय विभिन्न दावाधारकों से परामर्श करके और

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनके लाभ/हानि (-) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के रूग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों से संबंधित पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण प्रस्तावों पर विचार करने और उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) का गठन किया गया था।

विवरण

पिछले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनके लाभ/हानि की सूची

(लाख रुपए)

क्र.सं.	कम्पनियों के नाम	2005-06	2004-05	2003-04
1	2	3	4	5
1.	एन्ड्रू यूले एण्ड कम्पनी लि.	-7407	-7544	-5463
2.	बामर लारी एण्ड कम्पनी लि.	4680	2983	1858
3.	बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लि.	556	343	286
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	49	33	-2429
5.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	11	-353	795
6.	बंगाल इम्युनिटी लि.	*	*	-1876
7.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	6	6	6
8.	भारत आप्थालिम्क ग्लास लि.	एन.ए.	-3845	-3512
9.	बीको लारी लि.	222	128	-296
10.	बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लि.	एन.ए.	एन.ए.	-882
11.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.	221	-2190	-2356
12.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लि.	139	94	119
13.	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि.	-44274	-11872	-11065
14.	सेन्ट्रल इंलैण्ड वाटर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लि.	-4366	-6726	-14791
15.	कोल इंडिया लि.	171166	132492	133298
16.	ईस्टर्न कोलफील्डस लि.	36386	-67920	-32638
17.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	6532	2753	2931
18.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-29532	-27088	-30787

1	2	3	4	5
19.	हिन्दुस्तान कापर लि.	10588	5598	-5616
20.	हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लि.	-8597	-9421	-8850
21.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	-3803	-4192	-3065
22.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि.	24	99	73
23.	आईबीपी कम्पनी लि.	1244	5887	21466
24.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	**	4659	2709
25.	जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	-1777	153	1685
26.	एम एस टी सी लि.	5468	3830	1874
27.	नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लि.	-160	-871	-870
28.	नेशनल जूट मेन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन लि.	एन.ए.	-59890	-43713
29.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा), लि.	-5606	-6508	-32385
30.	स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	*	*	-3160
31.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	-4753	-5686	455
	जोड़	127017	-55048	28571

*बन्द हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ विलय किया गया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम

एन.ए. उपलब्ध नहीं

विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड सपोर्ट वर्क

2415. श्री नरहरि महतो: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी एजेंसियां विभिन्न विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड सपोर्ट वर्क सम्भाल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित सरकारी विमान कंपनियां इन विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड सपोर्ट वर्क सम्भालने में सक्षम नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड सपोर्ट वर्क सम्भालने के लिए सरकारी एजेंसियों को सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भू-सम्भलाई अधिनियम, 2000 की दृष्टि से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्त राष्ट्रीय वाहक तथा इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया को एयरलाइनों को भू-सम्भलाई सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है तथा राष्ट्रीय वाहक पहले से ही हवाई अड्डों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

[हिन्दी]

किसान विकास केन्द्र

2416. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसान विकास केन्द्र श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हाल ही में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों के कुल कितने पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र शुरू किये गए हैं; और

(ख) इन राज्यों में "परिवहन" श्रेणी के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान कितने खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और आईबीपी कं. लिमिटेड (आईबीपी) के 395 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र (केएसके) श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में अप्रैल, 2006-जनवरी, 2007 के दौरान चालू किए गए हैं।

(ख) इन राज्यों में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) के दौरान ओएमसीज द्वारा "बेडा प्रचालक" श्रेणी के अंतगत 138 खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

2417. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजा, रामपुर तथा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तीन कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। काजा, रामपुर और शिमला सचिवालय पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की व्यवस्था करना वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु बाधारहित बस क्यू शेल्टर

2418. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर नि:शक्त व्यक्तियों के लाभार्थ बाधारहित बस क्यूशेल्टरों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों को कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का आगे विस्तार करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। विकलांग मैत्री बस स्टाप के निर्माण के लिए दिल्ली परिवहन निगम को 1.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ) यह एक सतत योजना है और प्रस्तावों पर मैरिट के आधार पर विचार किया जाता है।

खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया फ्लीट का प्रचालन

2419. श्री एल. राजगोपाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया को बोईंग विमान कम्पनी से कितने विमान मिले हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया को मिले सभी नए विमानों को एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा खाड़ी मार्गों पर प्रचालित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ड्रीमलाइनर्स तथा बोईंग 737-800 के बीच अन्तर क्या है; और

(ङ) खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया अन्य निजी विमान कंपनियों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करेगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ने बोइंग को 68 नए विमानों का आर्डर दिया है जिनमें से अभी तक 6 बी 737-800 विमान प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) और (ग) इन विमानों को फिलहाल खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रचालित किया जा रहा है।

(घ) ड्रीमलाइनर बोइंग द्वारा अपने नई प्रौद्योगिकी वाले बी 787 बड़े आकार वाले विमान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है जिसकी सीटिंग क्षमता 286 सीटों की है।

दूसरी ओर बी 737-800 विमान एक छोटे आकार का विमान है जिसकी सीटिंग क्षमता 186 (सभी सीटें इकानोमी श्रेणी की) हैं।

(ङ) इस समय, खाड़ी मार्गों में केवल सार्वजनिक वाहक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन

2420. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयों को जल्द ही बन्द किये जाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) इन उपक्रमों की अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तो क्या सरकार ने ऐसी सम्पत्तियों का मूल्य आंकने के लिए कोई कार्रवाई की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सम्पत्तियों के निपटान हेतु क्या कार्य-योजना बनाई गई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकार ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करने और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) का गठन किया है। बी.आर.पी.एस.ई. ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों अर्थात् (1) भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि. (बी.ओ.जी.एल.), (2) भारत यंत्र निगम लि. (बी.वाई.एन.एल.) (एक धारक कम्पनी) को बन्द करने की सिफारिश की है। सरकार ने अब (बी.ओ.जी.एल.) को बन्द करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिश पर सरकार ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया और नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन की सहायक कम्पनियों जैसी कुछेक इकाईयों/मिलों को बन्द करने की सिफारिश भी की है।

(ख) कम्पनी के खातों के अनुसार 31.3.2005 को बी.ओ.जी.एल. की स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्य 88 लाख रुपए था।

(ग) से (ङ) न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार, सभी परिसम्पत्तियों का निपटान करने और इससे प्राप्त राशि को सभी दावाधारकों में वितरण करने के पश्चात, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी को बन्द किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बन्द इकाईयों की परिसम्पत्तियों का कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यम के प्रबन्धन द्वारा निपटान किया जाता है।

कम किराए वाली विमान कंपनियों से स्पर्धा

2421. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन उद्योग में रुग्णता को रोकने के लिए कंपनियों से नए प्रस्ताव और विस्तृत वित्तीय योजनाएं तैयार करने को कहा है क्योंकि नागर विमानन उद्योग को विभिन्न कम किराए वाली विमान कंपनियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नई एयरलाइनों के प्रवेश की कड़ी शर्तें लगाने की योजना भी बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यूनतम भुगतान की गई पूंजी में वृद्धि को क्रियान्वित किया जा रहा है और व्यापार तथा बेड़े की योजनाओं हेतु स्वीकृति को भी कड़ा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने नई एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में एक नीति का निर्धारण किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इक्विटी शर्तों को भी निर्धारित करती हैं। नागर विमानन क्षेत्र में विकास व आवश्यकताओं के मद्देनजर समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाती है।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

2422. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा देश के कतिपय क्षेत्रों में तेल के उत्पादन की जिम्मेदारी निभाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कारपोरेशन द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान देश में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की औसत लागत कितनी रही;

(ङ) क्या उत्पादित किए गए कच्चे तेल को आयात किए गए तेल के मूल्य के समान तेल शोधन कारखानों को बेचा गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण कार्यकलापों का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही है। आई ओ सी इस समय कई नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) अन्वेषण ब्लाकों, कोल बेड मिथेन (सी बी एम) ब्लाकों और फर्म-इन ब्लाकों में भाग ले रही है।

(ख) आई ओ सी के सभी घरेलू ब्लाक अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। कच्चे तेल का उत्पादन, अन्वेषण की सफल पूर्णता पर निर्भर करेगा।

(ग) आई ओ सी द्वारा अभी तक कच्चे तेल का कोई उत्पादन नहीं किया गया है।

(घ) से (च) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रैंकिंग

2423. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में रैंकिंग प्रणाली शुरू करने का है ताकि उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके तथा उनके कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रैंकिंग के लिए प्रमुख आधार निर्धारित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों का श्रेणीकरण (रैंकिंग) वर्ष 2005-06 में पहली बार किया गया है और यह निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित है:

(1) बिक्री

(2) विगत वर्ष की अपेक्षा बिक्री में परिवर्तन की प्रतिशतता

(3) निवल लाभ

(4) विगत वर्ष की अपेक्षा निवल लाभ में परिवर्तन की प्रतिशतता

(5) निवल परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल

(6) प्रति शेयर आय, तथा

(7) लाभांश भुगतान अनुपात

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों की परिसम्पत्तियां ऋणात्मक है अथवा जिनमें पूंजी पुनर्गठन हुआ है तथा जिनकी निवल परिसम्पत्तियां चुकता पूंजी से कम है, उन पर इस श्रेणीकरण में विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने लोक उद्यम सर्वेक्षण 2005-06 अथवा 2004-05 के लिए आंकड़े/सूचना नहीं भेजी है, उन पर भी इस श्रेणीकरण के लिए विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2005-06 में पहली बार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों का श्रेणीकरण किया गया है। ऐसे श्रेणीकरण के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कोई प्रोत्साहन/पुरस्कार नहीं दिया जाता। तथापि, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धियों के आधार पर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समझौता ज्ञापन संयुक्त अंकों के आधार पर 'उत्कृष्टता पुरस्कार' तथा उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र' प्रदान किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2424. श्री अशोक अर्गल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक/माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे संगठन कितने है, जिनके मामले स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी आमंत्रित नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों के कौशल उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्प डीलरशिप

2425. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल पम्प डीलरों ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की डीलरशिप छोड़नी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने डीलरों ने पेट्रोल पम्प डीलरशिप छोड़ी हैं;

(ग) क्या तेल कंपनियों ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा नियुक्त डीलरों द्वारा पेट्रोल पम्प/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को छोड़ने के कुछ मामलों की सूचना मिली है। ये डीलर विभिन्न कारणों जैसे व्यक्तिगत कारण, स्वास्थ्य आधार, वित्तीय स्थिति, नए कारोबार की स्थापना, जनशक्ति की कमी के कारण बिक्री केन्द्र चलाने में अक्षमता, आर्थिक अव्यवहार्यता आदि के चलते अपने त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं।

(ग) से (ङ) ओ एम सीज की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां डीलरों द्वारा डीलरशिपों को छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए किसी सर्वेक्षण/अध्ययन करने की आवश्यकता हो। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर, ओ एम सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों की अंधाधुंध वृद्धि पर नजर रखने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम), अहमदाबाद द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के दायरे में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं-

(1) मौजूदा नेटवर्क के कार्य निष्पादन (1.4.02) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कंपनियों द्वारा किए गए विस्तार की तुलना।

(2) नए खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र के अपग्रेडेशन में निवेश की कुशलता तथा कारगरता का अध्ययन।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनियों के विस्तार दर्शन का विश्लेषण।

(4) कार्य निष्पादन सुधार तथा ग्राहक पसंद व व्यवहार परिवर्तन को समझने के लिए की जाने वाली कार्रवाई की पहचान।

(5) बाजार शेयर तथा वृद्धि को बनाए रखने के लिए कार्यनीतियों को सुझाना।

नृत्य एवं सांस्कृतिक समारोह को बढ़ावा

2426. श्री जुएल ओराम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के नृत्य एवं सांस्कृतिक समारोह को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली तथा पटियाला, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, उदयपुर, नागपुर और तंजावुर स्थित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से समूचे भारत में नृत्य और सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

155 एम.एम. तोपों का परीक्षण

2427. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय थलसेना द्वारा अपेक्षित नई 155 एम.एम. तोपों का वर्ष 2002 से परीक्षण चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परीक्षणों में हो रहे विलंब का तोपखाना कोर के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो परीक्षण को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है तथा सेना में नई तोपें कब शामिल की जाएंगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। 155 मि.मी. कर्षित तोपों के परीक्षण 2002 में शुरू किए गए थे। ये पूरे हो चुके हैं।

(ख) और (ग) आर्टिलरी कोर का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर लागू रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का पूरी कड़ाई से अनुपालन करते हुए किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद ही उपस्कर को शामिल किया जाता है।

गुजरात में नया विमानपत्तन

2428. श्री मिलिन्द देवरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार अहमदाबाद और धोलेरा के बीच निजी रूप से निर्मित तथा परिचालित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि दिनाक 29 दिसंबर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) धोलेरा और अहमदाबाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के पक्ष में नहीं है तथा उसने जुलाई, 2006 में एक नया टर्मिनल बनवाकर अहमदाबाद में वर्तमान विमानपत्तन को विकसित तथा उसका विस्तार करने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नए विमानपत्तन हेतु एक व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

2429. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात की जाने वाली मदों में पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाले उत्पाद बनने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006-07 के पहले नौ माह के दौरान सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली प्रथम 10 मदों के क्रमवार नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य-वार नाम क्या है; और

(घ) निर्यात के कुल मूल्य में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (घ) वाणिज्य विभाग से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादन का अप्रैल-जून 2006 के दौरान किया गया निर्यात, देश से निर्यात किया गया सबसे बड़ी एकमात्र मद बन गई है जो कि गणनानुसार निर्यात की 14.8 प्रतिशत है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 2006 के दौरान निर्यातित प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पादन का मूल्यवार नाम संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

निर्यात आयात आंकड़ा बैंक

निर्यात: वस्तु वार

(मूल्य लाख रुपए में)

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तु	2005-2006	2006-2007 (अप्रैल-जून)	% शेयर हिस्सा
1	2	3	4	5	6
1.	2710	पेट्रोलियम तेल तथा तेल जो कच्चे पीआरपीएन एनईएस के अलावा बिटुमेन मिनरल से प्राप्त किया गया; जिसमें भार के रूप में इन तेलों का 70% या उससे अधिक हो।	5,045,468.92	1,958,656.86	14.8064
2.	7102	डायमंड डब्ल्यू/एन कार्यशाली हो परन्तु माउंटेड/सेट न हो।	5,141,052.94	1,085,729.97	8.2076
3.	7113	जेवरात की वस्तुएं तथा उनके भाग, कीमती सामग्री का/कीमती धातु के साथ मिश्रित धातु के बने हुए	1,514,660.12	448,210.50	3.3882
4.	2601	लोह अयस्क तथा मिश्रण जिनमें रस्ट लोह पाइराइट्स मिले हुए हों	1,682,880.65	390,324.98	2.9507
5.	9993	किस्म के अनुरूप वर्गीकृत न किए गए विशेष क्रियाकलाप व वस्तुएं	383,170.36	258,457.93	1.9538
6.	3004	खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग में नापे जाने वाले संक्षेपों में उपयोग किए जाने वाले थ्रुपुट सी/पैरिफ्रिल सीटीसी हेतु एमडीसीएमएनटीएस (3002, 3005/3006 की मदों के अतिरिक्त)	930,519.55	250,249.39	1.8918

1	2	3	4	5	6
7.	6204	महिलाओं/बालिकाओं के सूट, जैकेटें, ड्रैसें, स्कर्टें, पायजामें, बिब तथा समस्त, निकर आदि (तैराकी की पोशाक के अलावा)	812,324.03	226,777.13	1.7143
8.	2942	अन्य जैविक संघटक	745,440.68	197,176.37	1.4906
9.	6109	टी-शर्टें, सिंगलेट तथा अन्य बनियाने, बुने हुए/सी आर सी एच टी डी	521,305.31	181,701.76	1.3736
10.	7210	लोहे व गैर-लोह स्टील के एफएलटी-आरएलएलडी उत्पाद चौड़ाई > = 600 एमएम, क्लैड, प्लेटिड/कोटिड	562,934.13	179,517.25	1.3571

विवरण II

कुल : 2006-07 (अनंतिम)

	मात्रा	मूल्य	
	टीएमटी	मिलियन अमरीकी डालर (अप्रैल-दिसम्बर, 2006)	रुपए करोड़
निर्यात			
एलपीजी	89	58	263
एमएस	2607	1661	7581
नापथा	5740	3273	14746
एचएसडी	8600	5013	22952
स्नेहक/लोब्स	7	7	48
ईंधन तेल	3047	898	3987
सीबीएफएस	78	22	99
रिफार्मेट	206	134	617
बेंजीन	5	5	21
एटीएफ	2597	1671	7636
मिट्टी तेल	115	93	428
हैक्सेन	2	2	8
बिटुमेन	48	13	58
कुल उत्पाद निर्यात	23141	12850	58442

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा गेल को गैस की आपूर्ति

2430. **श्री ई.जी. सुगावनमः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ एन जी सी और गेल ने ओ एन जी सी के तेल और गैस क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) दोनों कंपनियों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने तथा तेल और गैस की और खोज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) ओ एन जी सी तथा गेल के बीच गैस आपूर्ति करार पर 7 जुलाई, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध है तथा इसके अंतर्गत ए पी एम गैस के लिए सभी मौजूदा गैस उत्पादक स्थल आते हैं।

(ग) बाजार संबद्ध मूल्य पर कावेरी बेसिन, सी-श्रृंखला क्षेत्रों, आदि से नई और अतिरिक्त गैस को बेचने, के लिए कंपनियों के बीच नियमित बैठकें होती हैं। कंपनियों ने एन ई एल पी के तहत गैस विपणन, परिवहन तथा ई एण्ड पी कार्यों में प्रतिभागिता में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया है। दोनों कंपनियां सहयोग के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं।

विशेष पर्यटन जोन

2431. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष पर्यटन जोनों (एस.टी.जेड.) की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेललाइन का नवीनीकरण

2432. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री मो. ताहिर:
श्री महादेवराव शिवनकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष-वार लक्ष्य के अनुसार रेल लाइनों का नवीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्य में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन जोनों का ब्यौरा क्या है जहां रेल लाइनों के नवीकरण में विलंब हुआ है;

(ङ) क्या उक्त योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष के बजट आवंटन को खर्च किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 23000 किमी. रेल पथ के नवीकरण की योजना है। वर्षवार लक्ष्य और प्रगति निम्नानुसार है:

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति
2002-03	4000	4776
2003-04	3850	4986
2004-05	4725	5566
2005-06	4000	4725
2006-07	4000	4323
	कुल	24376 (फरवरी, 2007 तक)

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां, 2002-2003 को छोड़कर केवल 2002-03 के दौरान बजट आबंटन का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि क्षमता के संवर्धन में कुछ समय लगता है। पिछले वर्षों में लगभग 3000 किमी. का कार्य निष्पादित किया जा रहा था।

[अनुवाद]

टाइप बी ई सी एच एस पालिक्लिनिक का प्रतिस्थापन

2433. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सैन्य स्टेशनों पर शुरू किए गए नए ई.सी.एच.एस. पालिक्लिनिक का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार किस प्रकार की ई.सी.एच.एस. टाइप को मंजूरी मिली है;

(ख) क्या केरल में अलापुज्जा जिले हेतु योग्य टाइप बी.ई.सी.एच.एस. पालिक्लिनिक का टाइप डी ई सी एच एस पालिक्लिनिक द्वारा प्रतिस्थापन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों की नफरी के आधार पर इसे टाइप-डी में बदल दिया गया था। तथापि, मुख्यालय दक्षिणी कमान द्वारा हाल ही में इसके उन्नयन के मामले की सिफारिश की गई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

गैर-सैन्य स्टेशनों में स्थित नई ईसीएचएस पालिक्लिनिकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	पालिक्लिनिक	टाइप
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गंटूर	सी
2.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	सी
3.	आंध्र प्रदेश	गिद्दलूर	सी
4.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	डी
5.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	डी
6.	बिहार	आरा	बी
7.	बिहार	मुज्जफरपुर	सी
8.	बिहार	छपरा	सी
9.	बिहार	दरभंगा	डी
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	डी
11.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	बी
12.	दिल्ली	नई दिल्ली (लोधी रोड)	ए
13.	हरियाणा	झज्जर	बी
14.	हरियाणा	रिवाड़ी	बी
15.	हरियाणा	रोहतक	बी
16.	हरियाणा	जींद	सी
17.	हरियाणा	नारनौल	बी
18.	हरियाणा	भिवानी	ए
19.	हरियाणा	फतेहाबाद	डी
20.	हरियाणा	फरीदाबाद	सी
21.	हरियाणा	करनाल	सी

1	2	3	4
22.	हरियाणा	सोनीपत	बी
23.	हरियाणा	पानीपत	सी
24.	हरियाणा	यमुना नगर	सी
25.	हरियाणा	कैथल	डी
26.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	डी
27.	हरियाणा	गुडगांव	ए
28.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	सी
29.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	बी
30.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	सी
31.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	सी
32.	झारखंड	जमशेदपुर	डी
33.	कर्नाटक	मदिकरी	सी
34.	कर्नाटक	मंगलोर	डी
35.	कर्नाटक	मैसूर	डी
36.	कर्नाटक	बिजापुर	डी
37.	कर्नाटक	धारवाड	डी
38.	केरल	पालकाड	बी
39.	केरल	कोजीकोड	सी
40.	केरल	पेरन्तिम्मना	सी
41.	केरल	अलेपी	डी
42.	केरल	त्रिसूर	बी
43.	केरल	कोट्टायम	सी
44.	केरल	पत्तनामिथट्टा	बी
45.	केरल	क्वीलोन	बी
46.	मिजोरम	आइजोल	डी
47.	मणिपुर	इम्फाल (लेपखौग)	डी
48.	महाराष्ट्र	शोलापुर	सी
49.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	डी
50.	महाराष्ट्र	लातूर	डी
51.	महाराष्ट्र	बुलदाना	डी
52.	महाराष्ट्र	जलगांव	डी
53.	महाराष्ट्र	सतारा	सी
54.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	बी
55.	महाराष्ट्र	मीराज (सांग्ली)	बी
56.	महाराष्ट्र	चिपलून	सी
57.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सी
58.	महाराष्ट्र	थाने (नेरूल)	सी
59.	महाराष्ट्र	महाद	डी
60.	महाराष्ट्र	अकोला	डी
61.	महाराष्ट्र	अमरावती	डी
62.	मध्य प्रदेश	रीवा	डी
63.	मध्य प्रदेश	भींड	डी
64.	मध्य प्रदेश	मोरेना	डी
65.	नागालैंड	कोहिमा जखामा	डी
66.	उड़ीसा	बरहमपुर	डी
67.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	सी
68.	पंजाब	रोपड	बी
69.	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	सी
70.	पंजाब	होशियारपुर	ए
71.	पंजाब	लुधियाना	ए
72.	पंजाब	मानसा	डी
73.	पंजाब	मुक्तसर	सी
74.	राजस्थान	झुनझुनु	ए
75.	राजस्थान	सीकर	डी

1	2	3	4
76.	राजस्थान	चुरू	सी
77.	राजस्थान	नागौर	सी
78.	राजस्थान	हंडौन सिटी, (जिला कसौली)	डी
79.	राजस्थान	पाली	डी
80.	तमिलनाडु	वेल्लोर	ए
81.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	सी
82.	तमिलनाडु	कुडालौर	डी
83.	तमिलनाडु	वेल्लूपुरम	डी
84.	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	सी
85.	तमिलनाडु	स्लेम	सी
86.	तमिलनाडु	श्रीविल्लीपुत्तर	सी
87.	तमिलनाडु	डिंडीगुल	डी
88.	तमिलनाडु	मदुरै.	सी
89.	तमिलनाडु	तिरूच्चरापल्ली	सी
90.	तमिलनाडु	नागापट्टिनम	डी
91.	तमिलनाडु	तंजावूर	डी
92.	तमिलनाडु	थैनी	डी
93.	तमिलनाडु	तिरूनालवेली	सी
94.	तमिलनाडु	नगरकोयल	डी
95.	तमिलनाडु	तुतीकोरन	डी
96.	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाई	सी
97.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	ए
98.	उत्तर प्रदेश	इटावा	सी
99.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	सी
100.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	डी
101.	उत्तर प्रदेश	ऐटा	डी
102.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	डी
103.	उत्तर प्रदेश	बदायुं	डी
104.	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर मट्टी (कानपुर)	डी
105.	उत्तर प्रदेश	बरेली	डी
106.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	डी
107.	उत्तर प्रदेश	मुज्जफरपुर	डी
108.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	डी
109.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	डी
110.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	डी
111.	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	सी
112.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	सी
113.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	बी
114.	उत्तर प्रदेश	बलिया	सी
115.	उत्तर प्रदेश	ओरई	डी
116.	उत्तरांचल	गोपेश्वर	डी
117.	उत्तरांचल	पौढ़ी गढ़वाल	सी
118.	उत्तरांचल	अल्मोढ़ा	बी
119.	पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर	सी
120.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	डी
121.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धवान	डी

तमिलनाडु में रेल उपरि पुलों का निर्माण

2434. श्री के. सुब्बारायण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में निर्माणाधीन रेल उपरि पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों पर अब तक कुल कितना खर्च आ चुका है;

(ग) क्या कुछ पुलों का निर्माण कार्य समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस समय, तमिलनाडु राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर उपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण के 102 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें 2006-07 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत निर्माण कार्य भी शामिल हैं। 31.12.2006 तक वर्ष के दौरान इनमें से 8 कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। 20 स्थानों पर वास्तविक कार्य चल रहा है, और शेष योजना और अभिकल्प के विभिन्न स्तरों में हैं। 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम में भी 38 नए कार्य शामिल किए गए हैं।

(ख) फरवरी, 2007 तक 20 चालू निर्माण कार्यों पर 41.65 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(ग) जी, हां। निम्नलिखित 4 आर आर बी स्थानों पर निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है:-

1. उक्काडाम बाई-पास पर समपार सं. (एल सी) 20
2. मोरापुर पर एल सी सं. 100
3. औंडीपुडुर पर एल सी सं. 145 और
4. चिदम्बरम पर एल सी सं. 202

(घ) देरी मुख्य रूप से (1) निर्माण सामग्री, श्रम आदि की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप ठेकागत समस्याएं, (2) राज्य सरकार द्वारा सामान्य व्यवस्था आरेखण और अनुमानों को मंजूरी दिए जाने में लगाए गए समय (3) पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या होने और (4) रास्ते में आने वाले अतिक्रमणों, जनसुविधा सेवाओं को हटाने में देरी होने के कारण हुई है।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा निम्नलिखित 4 स्थानों पर उपरि सड़क पुलों का निर्माण करने के लिए कदम उठाए गए हैं:-

1. उक्काडाम बाई-पास पर एल सी सं. 20
2. मौरापुर पर एल सी सं. 100
3. औंडीपुडुर पर एल सी सं. 145
4. चिदम्बरम पर एल सी सं. 202।

किसानों को मुआवजा

2435. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन किसानों को मुआवजा देने का है, जिन्हें भारत-पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर रक्षा उपयोग हेतु अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने किसानों को मुआवजा दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना प्राधिकारियों तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय से ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सवारी रेलगाड़ियों की ब्रेक वैनों को निजी क्षेत्र को सौंपना

2436. श्री मोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सवारी रेलगाड़ियों की ब्रेक वैनों को माल की ढुलाई के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेलगाड़ियों में निजी कंपनियों द्वारा ब्रेक वैनों का परिचालन किया जा रहा है;

(ग) क्या रेलवे ने इन निजी कंपनियों को मनमानी दरों पर मालभाड़ा वसूलने की अनुमति दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या उक्त कंपनियां रेलवे द्वारा निर्धारित दरों के साथ-साथ अतिरिक्त दरें भी निर्धारित कर सकती हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण रेलवे में इस समय कार्यरत 'घ' वर्ग को पल्लेदार कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की आशंका है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ज) ब्रेकवैनों का इष्टतम उपयोग करने तथा उससे आमदनी में वृद्धि

करने की दृष्टि से, रेलवे ने यात्री गाड़ियों की ब्रेकवैनों (एसएलआर) में पार्सल स्थान को पट्टे पर देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, यात्री गाड़ियों की ब्रेकवैनों (एसएलआर) में पार्सल स्थान को खुली निविदाओं के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करके प्राइवेट आपरेटरों को पट्टे पर दिया जाता है। लगभग 600 गाड़ियों की ब्रेकवैनों के पार्सल स्थान को अब तक पट्टे पर दिया गया है। जो भी पट्टाधारी आरक्षित मूल्य के ऊपर अधिकतम बोली लगाता है, उसे ब्रेकवैनों (एसएलआर) में पार्सल स्थान के लिए पट्टे की संविदा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पट्टाधारी पार्टी के परिसर से उसके गोदाम तथा उसके गोदाम से रेलवे स्टेशन तक की दूरी तक सहित डोर-टू-डोर सेवा मुहैया कराके मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पट्टाधारी अपने ग्राहकों से मालभाड़ा सहित अतिरिक्त मूल्य संवर्धित सेवाएं मुहैया कराने के लिए पारिश्रमिक वसूल करता है। चूंकि यह पट्टाधारी द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने पर आधारित होता है, अत: ये प्रभार सड़क द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य लोगों के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली बुकिंग के लिए प्रत्येक गाड़ी में एक डिब्बा आरक्षित रखा जाता है। समूह "घ" रेल कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कोई कमी नहीं की गई है।

एयर इंडिया में कार्य-कुशलता में गिरावट

2437. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया (ए.आई.) के कर्मचारियों तथा प्रबंधन के विरुद्ध कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारी दोषी पाए गए;

(ग) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों तथा प्रबंधन की कार्य-कुशलता के स्तर में गिरावट आती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) एयर इंडिया में कार्य-कुशलता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एअर इंडिया को अपने स्टाफ और प्रबंधन के विरुद्ध 176 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की प्रकृति अवैध परितुष्टि, कस्टम, सी.बी.आई./पुलिस, प्राधिकार के दुरूपयोग, धोखाधड़ी/जालसाजी, निविदाओं में अनियमितताओं तथा दुर्विनियोग से संबंधित है।

(ख) इन वर्षों के दौरान 85 कर्मियों को दोषी पाया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों को सामाजिक सुरक्षा

2438. श्री रशीद मसूद: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई अधिकांश योजनाओं को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना भी बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद न हों, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना बन्द नहीं की गई है। तथापि, जनश्री बीमा योजना शुरू किए जाने के बाद, सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना के अंतर्गत कोई नई योजना आरंभ नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालयों में रेल आरक्षण सुविधा

2439. श्री रमेन बर्मन:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिला मुख्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक रेल सेवाएं नहीं हैं;

(ख) उपर्युक्त में से वे जिला मुख्यालय कौन-कौन से हैं, जहां रेल आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या रेलवे ने ऐसे सभी जिलों में आरक्षण सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है जहां रेल सेवाएं नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल मंत्रालय द्वारा रेल सेवाओं की उपलब्धता के जिला मुख्यालय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) इस समय 107 गैर रेल शीर्ष के जिला मुख्यालयों में रेल आरक्षण सुविधा उपलब्ध है।

(ग) और (घ) 65 अतिरिक्त गैर रेल शीर्ष जिला मुख्यालयों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कच्चे तेल शोधन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी

2440. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौ प्रतिशत परिवहन ईंधन का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की खोज करने हेतु कच्चे तेल शोधन क्षेत्र में कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में प्रयुक्त की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रौद्योगिकियों से उत्पादित पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन तथा नाफ्था प्रत्येक की प्रतिशतता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में रिफाइनरियां पेट्रोल और डीजल के निर्यात सहित देश की पूरी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। रिफाइनरी परिसर में प्राप्त की गई अंतिम प्राप्तियां कच्चे तेल, उपलब्ध तथा उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों, मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं तथा उत्पादों के संभार तंत्र पर निर्भर करती है। तथापि, रिफाइनरियां वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर आसुत प्राप्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

(ग) तेल परिशोधन विभिन्न प्रक्रियाओं का एक संयोजन है जिसमें आसवन, थर्मल क्रकिंग, रासायनिक कैक्रिंग, जलीय कैक्रिंग तथा उत्पाद संसाधन प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। विभिन्न रिफाइनरियां एक ही प्रकार के संसाधन हेतु भी भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करती हैं। जबकि कच्चे तेल का मूल आसवन घरेलू रूप से ही विकसित किया गया है। विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस धारकों की ओर से जटिल प्रौद्योगिकियां सामान्यतः उपलब्ध होती हैं।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 2006 के लिए घरेलू रिफाइनरियों द्वारा प्राप्त संयुक्त प्राप्तियां निम्नानुसार हैं-

पेट्रोल	–	8.2%
डीजल	–	38.4%
एलपीजी	–	3.4%
मिट्टी तेल	–	7.9%
नाफ्था	–	8.5%

उपर्युक्त प्राप्तियों में मांग आवश्यकता, कच्चा तेल संसाधन और किसी हद तक अर्थ तंत्र के आधार पर बदलाव हो सकते हैं।

रेलवे टर्मिनलों का निर्माण

2441. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कतिपय नए रेल टर्मिनलों के निर्माण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन रेलवे टर्मिनलों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) शेष रेलवे टर्मिनलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन टर्मिनलों को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैस का वाणिज्यिक उत्पादन

2442. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस के वाणिज्यिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ेगा तथा अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व स्तर पर वाणिज्यिक रूप से सी बी एम का उत्पादन कर रहे देशों में भारत का कौन सा स्थान है; और

(घ) सी बी एम के उत्पादन हेतु सरकार ने कितने ब्लाकों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा यह समझौता कब हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) देश में गत तीन वर्षों के लिए गैस के वाणिज्यिक उत्पादन के ब्यौरे निम्नवत् हैं-

मिलियन मीट्रिक टन घन मीटर (एम एम एस सी एम)

	2003-04	2004-05	2005-06
ओ आई एल	1,887	2,009	2,270
ओ एन जी सी	23,584	22,970	22,574
निजी/सं.उ.	6,490	6,780	7,350
योग	31,961	31,759	32,194

(ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) व्यवस्था में, 1999-2000 से 2006-07 के दौरान हुए छः दौरों में कुल 162 तेल और गैस अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए। अब तक कुल 29 खोजें की गई हैं, जिनमें से सी बी-ओ एन एन-2000/1 ब्लाक में की गई दो खोजों भीमा और एन एस से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा था तथा के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लाकों में दो गैस खोजों की विकास योजना, विकास स्तर पर है। इन दो खोजों से वाणिज्यिक उत्पादन 80 एम एम एस सी एम की उच्च उत्पादन दर पर 2008 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है। अन्य खोजें वाणिज्यिकता तथा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) विश्व में कोल बेड मिथेन (सी बी एम) उत्पादन में अग्रणी है। यू एस ए में सी बी एम की सफल वाणिज्यिक निकासी, प्रमुख कोयला उत्पादक देशों जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन द्वारा भी अपनाई गई है। वर्ष 2007-08 के अंत तक भारत में सी बी एम का वाणिज्यिक उत्पादन संभावित है। इस प्रकार भारत वाणिज्यिक रूप से सीबीएम उत्पादन करने वाला पांचवां देश होगा।

(घ) सी बी एम ब्लाकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सीबीएम ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	ब्लाक का नाम/ (ब्लाक की संज्ञा)	राज्य/क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	प्राप्त कर्ता का नाम/संविदा पर हस्ताक्षर की तिथि
1	2	3	4
1.	बोकारो (बीके-सीबीएम2001/1)	झारखंड 95	ओएनजीसी-आईओसी 26.7.2002
2.	उत्तरी करणपुरा (एनके-सीबीएम-2001/1)	झारखंड 340	ओएनजीसी-आईओसी 26.7.2002

1	2	3	4
3.	सोहागपुर पूर्वी [एसपी (पूर्वी)-सीबीएम-2001/1]	मध्य प्रदेश 495	आरआईएल 26.7.2002
4.	सोहागपुर पश्चिमी [एसपी (पश्चिमी)-सीबीएम-2001/1]	मध्य प्रदेश 500	आरआईएल 26.7.2002
5.	रानीगंज पूर्वी [जी (पूर्वी)-सीबीएम-2001/1]	पश्चिम बंगाल 500	ईओएल 26.7.2002
6.	रानीगंज उत्तरी	पश्चिम बंगाल 350	ओएनजीसी-सीआईएल 6.2.2003
7.	झरिया	झारखंड 85	ओएनजीसी-सीआईएल 6.2.2003
8.	रानीगंज दक्षिणी (इस ब्लाक को पहले एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से सौंपा गया था)	पश्चिम बंगाल 210	जीईईसीएल 31.5.2001
9.	दक्षिणी करणपुरा (एसके-सीबीएम-2003/2)	झारखंड 70	ओएनजीसी 6.2.2004
10.	उत्तरी करणपुरा [एनके (पश्चिमी)-सीबीएम-2003/2]	झारखंड 267	ओएनजीसी 6.2.2004
11.	सतपूड़ा (एसटी-सीबीएम-2003/2)	मध्य प्रदेश 714	ओएनजीसी 6.2.2004
12.	वर्द्धा (डब्ल्यूडी-सीबीएम-2003/2)	महाराष्ट्र 503	ओएनजीसी 6.2.2004
13.	सोनहाट [एसएच (उत्तरी)-सीबीएम-2003/2]	छत्तीसगढ़ 825	आरआईएल 6.2.2004
14.	बाड़मेर (1) [बीएस (1)-सीबीएम-2003/2]	राजस्थान 1045	आरआईएल 6.2.2004
15.	बाड़मेर (2) [बीएस (2)-सीबीएम-2003/2]	राजस्थान 1020	आरआईएल 6.2.2004
16.	बाड़मेर-सांचोर [बीएस (3)-सीबीएम-2003/2]	गुजरात 790	ओएनजीसी-जीएसपीसीएल 6.2.2004
17.	राज महल	आरएम-सीबीएम-2005/3	एरो एनर्जी इंडिया प्रा.लि. 7.11.2006
18.	बीरभूम	बीबी-सीबीएम-2005/3	बीपी एक्सप. (अल्फा) लि. 7.11.2006

1	2	3	4
19.	तातापानी-रामकोला	टीआर-सीबीएम-2005/3	एरो एनर्जी इंडिया प्रा.लि. 7.11.2006
20.	मांड-रायगढ़	एमआर-सीबीएम-2005/3	एरो एनर्जी इंडिया प्रा.लि. 7.11.2006
21.	सोहागपुर	एसपी (उत्तरी)-सीबीएम-2005/3	ज्यो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक 7.11.2006
22.	सिंगरोली	एसआर-सीबीएम-2005/3	कोल गैस मार्ट, एनएलसी 7.11.2006
23.	कोथागुदेम	केजी (ई)-सीबीएम-2005/3	ज्यो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक 7.11.2006
24.	बाड़मेर	बीएस (4)-सीबीएम-2005/3	ज्यो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक 7.11.2006
25.	बाड़मेर	बीएस (5)-सीबीएम-2005/3	ज्यो-पेट्रोल इंटरनेशनल इंक 7.11.2006
26.	गोदावरी (उत्तरी)	जीवी (उत्तरी)-सीबीएम-2005/3	कोल गैस मार्ट, एनएलसी 7.11.2006

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास

2443. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटाने से पहले उनके उचित पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए हैं/प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) आवास राज्य सरकारों का विषय होने के नाते रेलवे की अपनी भूमि के अतिक्रमकों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए रेलवे के पास कोई नीति नहीं है। बेदखल व्यक्तियों जिन्होंने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन यदि व्यवहारिक है, तो उसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। बहरहाल, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, रेलवे में अनुमानित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एवं "संरक्षा जोन" में पड़ने वाली रेलवे भूमि पर 1998 से पहले रह रहे अतिक्रमकों के पुनर्वास की आंशिक लागत को वहन करना मंजूर कर लिया है। मुंबई में मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से रेलवे अवसंरचना में विस्तार के साथ-साथ परियोजना की समग्र लागत में बराबर की हिस्सेदारी के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत भी शामिल है।

[अनुवाद]

एक रैंक एक पेंशन

2444. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन फार्मूला तथा अलग वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग (पंजाब एंड चंडीगढ़) यूनिट ने इस संबंध में हाल ही में कुछ मांगे की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) समान रैंक समान पेंशन संबंधी मांग के बारे में अभ्यावेदन लगातार प्राप्त होते रहते हैं। इस मामले पर सरकार ने विचार किया था परंतु प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक जटिलताओं के कारण इस मांग को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, 01 जनवरी, 2006 के सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के सभी रैंकों के 01 जनवरी, 1996 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन 01 जनवरी, 1996 के बाद के वेतनमानों के अधिकतम के संदर्भ में संशोधित कर दी गई हैं। इसके अलावा, विगत और भावी सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सिपाही, नायक और हवलदार के रैंकों का सेवालाभ 30 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा के अध्यधीन 5 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 10, 8 और 6 वर्ष कर दिया गया है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति मौजूदा सेवालाभ के साथ 30 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा पहले से प्राप्त कर रहा हो तो उसे वह मिलती रहेगी।

ओ.एन.जी.सी. तथा कैर्न एनर्जी के बीच समझौता

2445. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजस्थान आयलफील्ड्स के उत्पादन में लाने के संबंध में ओ एन जी सी तथा कैर्न एनर्जी के एक प्रस्ताव पर सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे समझौते पर ओएनजीसी को क्या लाभ मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। ब्लाक आर जे-ओ एन 90/1 में 4 तेल खोजों की विकास योजना अनुमोदित कर दी गई है। पहला तेल 2008-09 में मिला अनुमानित है।

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) ने (मंगला, रागेश्वरी, सरस्वती और ऐश्वर्य खोजों को कवर करते हुए) मंगला विकास क्षेत्र में 30% प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है। 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त चार क्षेत्रों के लिए अंतिम भंडारों की अनुमानित मात्रा 39.49 एम एम टी (तेल+गैस के समकक्ष तेल) है, जिसमें से ओ एन जी सी का हिस्सा 11.84 एम एम टी (तेल+गैस के समकक्ष तेल) है।

[हिन्दी]

कम लागत वाली विमान कंपनियां

2446. श्री हरि सिंह चावड़ा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम लागत वाली विमान कंपनियों को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में कम बजट वाली विमान कंपनियों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने कम लागत वाली एयरलाइनों का वर्गीकरण करना आरम्भ नहीं किया है और इसीलिए ऐसी एयरलाइनों की नीति में कोई भिन्नता नहीं है।

(ग) किराया संरचना और आबंटन माडल के आधार पर एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, गो एयर एवं इंडिगो को कम लागत वाली अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

[अनुवाद]

करवर नौसेना बेस परियोजना के लिए धनराशि की कमी

2447. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना को अपनी करवर नौसेना बेस परियोजना के चरण-2 तथा चरण-3 के लिए धनराशि की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) धनराशि की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चरण-2 तथा चरण-3 को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार को प्रस्तुत कारवाड़ बेस परियोजना के चरण-2 तथा चरण-3 के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः इस अवस्था में निधि की कमी का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक समान आमान प्रणाली

2448. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश को रेलवे प्रणाली में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा छोटी लाइन खंडों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे का मीटर तथा छोटी लाइन वाले रेलवे ट्रैक को बदलने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो पूरे देश में एक समान आमान प्रणाली कब तक बन जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) देश में पहले ही रेलवे का एक विशाल नेटवर्क है। रेलवे लाइनों की संख्या का उल्लेख नहीं है। 1.4.2006 को, रेल प्रणाली पर 48,574 मार्ग किमी. की बड़ी लाइन, 11,834 मार्ग किमी. की मीटर लाइन तथा 2,924 मार्ग किमी. की छोटी लाइन थी।

(ग) और (घ) एक आमान परियोजना 1992 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत चुनिंदा मार्गों को मीटर लाइन/छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने का विनिश्चय किया गया था। इस योजना के तहत, 31.3.2006 तक 12,207 किमी. आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 1225 किमी. को 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, 7200 किमी. पर आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया जा चुका है। सभी मीटर लाइनों/छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, जैसाकि बजट 2007-08 में घोषणा की गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकांश मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रयास किये जायेंगे।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर व्यय

2449. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों को उनकी कंपनी के विज्ञापन के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रचार के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तेल कंपनी का नाम	विज्ञापनों पर किया गया खर्च (रुपये करोड़ों में)		
	2004-05	2005-06	2006-07 (1.3.2007 की स्थिति के अनुसार)
ओएनजीसी	26.00	36.33	29.94
आईओसीएल	137.52	139.18	87.98
बीपीसीएल	62.56	45.96	31.16
एचपीसीएल	38.74	44.95	49.18
गेल	12.82	14.99	4.96
ओआईएल	1.69	1.77	1.17

(ख) और (ग) सरकार की नई विज्ञापन नीति के अनुसार 1 जून, 2006 से केन्द्रीय सरकार, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्तशासी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी विज्ञापनों को डीएवीपी (विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय) के जरिये भेजा जाएगा।

(घ) प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के चयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक तेल उपक्रम का अपना मानदंड है जो सामान्यतया प्रसार, पहुंच, तुलनात्मक लागत, बजट और नैगम आवश्यकताओं आदि जैसे कारकों पर आधारित हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की मांग तथा आपूर्ति

2450. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक गैस की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति क्या है और स्वदेशी रूप से कितनी मांग पूरी की जा रही है;

(ख) अगले तीन वर्षों के लिए मांग तथा आपूर्ति की आवश्यकताओं का अनुमान कितना है;

(ग) क्या सरकार ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बड़े भंडारों का पता लगाये जाने के मद्देनजर ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के अनुपात को बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या पाइप द्वारा घरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा आटोमोबाइल क्षेत्र में मांग में बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना विकास के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विषयक कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपित मांग निम्न प्रकार थी:

(एमएमएससीएमडी में)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
मांग	155	176	179

उपरोक्त आंकड़े/सांकेतिक और मूल्य संवेदनशील थे।

उक्त अवधि में आपूर्ति निम्न प्रकार थी:

(एमएमएससीएमडी में)

वर्ष	देशी गैस आपूर्ति	आयातित आर-एलएनजी गैस की आपूर्ति	योग
2003-04	62.63	0.18*	62.81
2004-05	61.94	5.34	67.28
2005-06	57.26	11.05	68.31

*आपूर्ति फरवरी/मार्च, 2004 से आरम्भ हुई और मात्रा लगभग 65.38 एमएमएससीएम थी।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र विषयक कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए प्रक्षेपित मांग और आपूर्ति निम्न प्रकार है:

(एमएमएससीएमडी में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
2007-08	179.17	110.99
2008-09	196.64	153.58
2009-10	225.52	168.47

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने घरेलू बाजार में गैस आपूर्ति बढ़ाने और मांग व पूर्ति की खाई को पाटने के लिए एक बहुआयामी कार्य नीति अंगीकार की है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन क्रियाकलापों में तेजी लाना;

(ख) कोल बेड मीथेन गैस का दोहन;

(ग) हाईड्रेट संसाधनों के आकलन और उनके संभव वाणिज्यिक दोहन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम एनजीएचपी का क्रियान्वयन;

(घ) एलएनजी का आयात; और

(ङ) राष्ट्र पार गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस का स्रोतीकरण।

देश के अन्दर गैस अवसंरचना के विकास हेतु नियामक ढांचे की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने ''पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006'' पास कर दिया है और ''प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें और शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के विकास के लिए नीति'' अधिसूचित कर दी है।

केरल के लिए बजट एयरलाइन

2451. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से बजट एयरलाइन शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित कुछ शर्तों में छूट देने के लिए कोई अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार द्वारा इस मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए निर्धारित की जाने वाली एयरलाइन के लिए घरेलू क्षेत्र में बेड़े के आकार और परिचालन की लम्बाई से संबंधित खास परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के उनके प्रस्तावित बजट में छूट हेतु अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि किसी भारतीय अनुसूचित कैरियर को अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को परिचालित करने हेतु 20 एयरक्राफ्ट के बेड़ा आकार और घरेलू क्षेत्र में नियमित परिचालन का 5 वर्ष के अनुभव वाले वर्तमान न्यूनतम प्रावधानों को अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षित और विश्वसनीय परिचालनों के लिए अनिवार्य रूप से विचारणीय माना जाता है।

एलपीजी कनेक्शन

2452. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार तथा कंपनी-वार कितने लोग एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) आज की तारीख तक प्रत्येक कम्पनी के पास उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006 के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा राज्य-वार कितने नए कनेक्शन जारी किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क), (ग) और (घ) वर्तमान में नए एलपीजी कनेक्शन वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए देशभर में उपलब्ध हैं और देश में नए कनेक्शन जारी करने के लिए कोई समग्र प्रतीक्षा सूची नहीं है। तथापि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने सिलेंडर निर्माताओं द्वारा सिलेण्डरों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नए एलपीजी कनेक्शनों के लिए 1.2.2007 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में 4861 और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 160 की प्रतीक्षा सूची की सूचना दी है। सरकार ने आई.ओ.सी. को प्राथमिकता आधार पर अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं के जरिये सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने को कहा है। आई.ओ.सी. ने सूचित किया है कि प्रतीक्षा सूची मध्य अप्रैल, 2007 तक निपटा लिये जाने की आशा है।

(ख) इस समय, 3 सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां नामतः आई.ओ.सी., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) देश में एलपीजी कनेक्शन जारी कर रही हैं। 1.3.2007 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज देश में 937.55 लाख एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

ओएमसी का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या (आंकड़े लाख में)
आई.ओ.सी.	467
बी.पी.सी.एल.	232.53
एच.पी.सी.एल.	238.02
योग	937.55

(ङ) ओएमसीज ने वर्ष 2006 के दौरान अपने एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के जरिये देश में 52,23,270 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किये हैं। राज्यवार/कंपनीवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा जारी किये गये कनेक्शनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शा.प्र.	जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या		
		आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	194513	55540	118079
2.	अरुणाचल प्रदेश	7334	-	-

1	2	3	4	5
3.	असम	108105	7907	3406
4.	बिहार	79707	19237	28502
5.	छत्तीसगढ़	72082	15669	19272
6.	गुजरात	104268	83093	45134
7.	गोवा	1065	4196	11716
8.	हरियाणा	89514	37634	37587
9.	हिमाचल प्रदेश	50107	4762	6193
10.	जम्मू-कश्मीर	24919	8789	39547
11.	झारखंड	79281	2886	14604
12.	कर्नाटक	169231	56195	90853
13.	केरल	125882	45606	69953
14.	मध्य प्रदेश	164556	46849	64022
15.	महाराष्ट्र	129321	281706	270794
16.	मणिपुर	8093	-	-
17.	मेघालय	7351	-	-
18.	मिजोरम	6495	-	-
19.	नागालैंड	9735	-	-
20.	उड़ीसा	56977	19109	21947
21.	पंजाब	164519	31133	56360
22.	राजस्थान	121538	56072	50150
23.	सिक्किम	5429	-	-
24.	तमिलनाडु	408286	118134	65819
25.	त्रिपुरा	11202	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	333528	130390	102821
27.	उत्तराखंड	44244	8001	15665
28.	पश्चिम बंगाल	187272	40426	65745
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5666	-	-

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	8576	1088	900
31.	दादरा और नागर हवेली	0	-	1243
32.	दमन और दीव	0	-	982
33.	दिल्ली	101559	29490	22994
34.	लक्षद्वीप	63	-	-
35.	पांडिचेरी	7865	3621	3166
	कुल	2888283	1107533	1227454

सैनिकों को वेतन तथा सुविधाएं

2453. श्री ए. साईं प्रताप:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कठिन स्थितियों में सीमाओं पर तैनात सशस्त्र बलों के सैनिकों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है तथा उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी जा रही सुविधाओं तथा वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सैनिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने तथा उनके वेतन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सैनिकों को भारत सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के संदर्भ में समुचित वेतन और भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मसलों की जांच करने के लिए हाल ही में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया है।

भारत-अमरीका संयुक्त अभ्यास

2454. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुए भारत-अमरीका संयुक्त अभ्यासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अभ्यासों का भारत के लिए कितना लाभकारी होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत-अमरीका द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यासों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	संयुक्त सेना अभ्यास	संयुक्त नौसेना अभ्यास	संयुक्त वायुसेना अभ्यास
2004	3	2	1
2005	4	1	1
2006	3	शून्य	1
कुल	10	3	3

(ख) इन संयुक्त अभ्यासों से बेहतर अभ्यासों और प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान तथा उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

इन अभ्यासों से अंतर-संचालनीयता में भी वृद्धि हुई है जिससे आपदा प्रबंधन स्थितियों और शांति वाहिनी आपरेशनों के दौरान लाभ होगा।

[हिन्दी]

एच.बी.जे. पाइपलाइन

2455. श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एचबीजे) गैस पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से एच.बी.जे. पाइपलाइन से उनके राज्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचबीजे) पाइपलाइन चालू है।

(ख) से (घ) एचबीजे पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। तथापि, प्राकृतिक गैस की कम उपलब्धता के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

तथापि, भारत सरकार ने घरेलू बाजार के लिए गैस आपूर्तियां बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ किये हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) घरेलू ई एंड पी कार्यकलापों में तेजी लाना;

(ख) कोल बेड मिथेन गैस का दोहन;

(ग) हाइड्रेट संसाधनों और उनके सम्भावित वाणिज्यिक दोहन के मूल्यांकन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) का कार्यान्वयन;

(घ) एलएनजी आयात; और

(ङ) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस का स्रोतीकरण।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विमानपत्तन

2456. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ राज्य में विजयवाड़ा, राजामुन्द्री तथा तिरूपति विमानपत्तनों के विस्तार के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों के प्रस्तावित विस्तार पर आने वाली कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा विजयवाड़ा और राजामुन्द्री हवाईअड्डों पर विस्तार हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ दिनांक 14 फरवरी, 2007 को एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भा.वि.प्रा. राज्य सरकार द्वारा भा.वि.प्रा. को अपेक्षित अतिरिक्त भूमि निःशुल्क, सभी ऋणकरों से मुक्त तथा सभी छूटों सहित अधिग्रहण और सुपुर्दगी की शर्तों के आधार पर ही इन हवाईअड्डों का विकास करेगा। इस ज्ञापन के अंतर्गत तिरूपति हवाईअड्डा नहीं आता।

(ग) और (घ) इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विजयवाड़ा और राजामुन्द्री हवाईअड्डों से संबंधित अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पर परियोजना तैयार की जा रही है, जिसके बाद विस्तारण योजना निर्धारित की जाएगी तथा कार्य से संबंधित अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रशिक्षित गाइड

2457. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़े गाइडों को सुग्राही बनाने तथा प्रशिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय स्तर के गाइडों का चयन ओपन पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है और इसके लिए रिफ्रेशर कोर्स का प्रावधान है। क्षेत्रीय स्तर के गाइडों को भारत पर्यटन एवं ट्रेवल प्रबंध संस्थान (ग्वालियर) के द्वारा प्रशिक्षित किया जाना है। वर्ष 2005 से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सभी क्षेत्रीय स्तर के गाइडों के चयन के लिए ओपन प्रेस विज्ञापन दिये जाते हैं। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। चुने गए उम्मीदवारों को 16 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा देनी होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूरत विमानपत्तन

2458. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत विमानपत्तन के विकास के लिए बनाई गई परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकास कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में सूरत एयरपोर्ट को 35.30 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ ए.टी.आर. 72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु विकसित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। बाद में, विभिन्न क्वार्टरों से प्राप्त मांगों पर विचार करते हुए और घरेलू सैक्टर में समग्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 68.81 करोड़ रुपये की कार्य क्षमता को पुनरीक्षित किया है।

भारी वर्षा/सूरत में बाढ़ तथा एजेंसी द्वारा कार्य न किये जाने के कारण रनवे के विस्तार कार्य में विलम्ब हुआ था। तथापि फायर स्टेशन, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्कशाप का कार्य पूरा किया जा चुका है। तकनीकी ब्लॉक सहित कन्ट्रोल टॉवर एवं रात्रि लैंडिंग सुविधाओं सहित रनवे का कार्य अप्रैल, 2007 में पूरा किये जाने की संभावना है। टर्मिनल भवन का कार्य भी प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रेल पटरियों की अच्छी गुणवत्ता

2459. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल पटरियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है ताकि अधिक भारी माल वाली रेलगाड़ियां पटरियों पर तेजी से चल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयु एवं हालत के आधार पर रेलपथ अवसंरचना का उन्नयन किया जाता है।

रेलपथ नवीकरण के समय, यातायात के मार्ग वर्गीकरण तथा सालाना यातायात घनत्व के मद्देनजर आधुनिक रेलपथ अवसंरचना मुहैया करायी जाती है। आधुनिक रेलपथ अवसंरचना तीव्र गति से बड़ी गाड़ी को ढोने में सक्षम है।

(ग) और (घ) यह एक निरंतर प्रक्रिया है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रेलपथ नवीकरण लागत का अनुमान 24885 करोड़ रु. लगाया गया है।

[अनुवाद]

सीआईएएल के कर्मचारियों की दिहाड़ी मजदूरी

2460. डा. के.एस. मनोज: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया में कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो यह मजदूरी किस दर से बढ़ाई गई है तथा यह कब से लागू की गई है;

(ग) क्या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में एयर इंडिया के समान नैमित्तिक कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीआईएएल के नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी नहीं। बहरहाल, माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुछ नैमित्तिक श्रमिकों को प्रतिदिन 215 रु. की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है जोकि ठेके के मजदूरों के बराबर है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चित्रकूट धाम

2461. श्री श्यामाचरण गुप्त: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्रकूट धाम-कार्वी (उत्तर प्रदेश) को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) चित्रकूट धाम-कार्वी (उत्तर प्रदेश) को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल के भण्डार

2462. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक भूमंडलीय परामर्शदात्री केपीएमजी द्वारा मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में तेल भंडारों के लिए चार विकल्पों की सिफारिश की गई है;

(ख) अमरीका, ब्रिटेन, जापान तथा अन्य विकसित देशों द्वारा उनके तेल भंडारों के लिए कौन-कौन से विभिन्न माडल अपनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार अथवा तेल विपणन कंपनियों द्वारा इन माडलों का अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क), (ग) और (घ) मैसर्स केपीएमजी ने सरकारी गैर सरकारी भागीदारिता के अंतर्गत भारत के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार विकसित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर हाल ही में एक अध्ययन किया है। रिपोर्ट से पता चला है कि कार्यनीतिक भंडारण के लिए स्टाक का ढेर लगाने के माडल विशेष रूप से वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित नहीं हैं। केपीएमजी द्वारा सुझाये गये चार सरकारी गैर सरकारी भागीदारिता माडल निम्नलिखित द्वारा उत्पादित राजस्व पर आधारित हैं:

(1) उच्च व्यापारिक लाभ या

(2) भारतीय तत्स्थान कच्चा तेल बाजार में पहुंच के लिए प्राथमिकता देना या

(3) पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाना।

चूंकि लागत अन्ततोगत्वा घरेलू रिफाइनरियों/कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी और/या किसी रूप में उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी, इसलिए सुझाया गया कोई भी माडल व्यावहारिक या लागत प्रभावी प्रतीत नहीं होता।

(ख) चूंकि यू के कच्चे तेल का निर्यातक है, इसलिए उनके पास केवल वाणिज्यिक भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वारा अपनाए गए कार्यनीतिक भंडारों के माडलों का सार नीचे दिये अनुसार है:

स्वामित्व	कच्चा तेल उत्पाद	भंडार की मात्रा	ड्राडाउन	विनियमन
संयुक्त राज्य अमेरिका				
सरकार (ऊर्जा विभाग)	कच्चा तेल और सीमित हीटिंग आयल	727 मिलियन बैरल खपत के 90 दिन	आपात काल में संघीय आदेश से	अत्यधिक विनियमित स्टाक ढेर क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व में है
जापान				
सरकार और तेल कंपनियां	कच्चा तेल एलपीजी और उत्पाद	578 मिलियन बैरल खपत के 92 दिन	आर्थिक मंत्रालय द्वारा विनियमित	तेल कंपनियों के लिये भंडार रखना आवश्यक बनाया गया है।

[हिन्दी]

वाहनों में एलपीजी का प्रयोग

2463. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने वैगन-आर का एलपीजी वर्जन बाजार में उतारा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चार पहियों वाली गाड़ियों में रसोई गैस एलपीजी सिलिन्डरों के प्रयोग की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एलपीजी सिलिन्डरों की कमी के कारण इनकी कालाबाजारी को देखते हुए एलपीजी सिलिन्डरों के प्रयोग की अनुमति के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड (वैगन आर) ने भारतीय बाजार में आटो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का प्रयोग करते हुए वाहनों की शुरुआत की है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। सरकार ने वाहनों में रसोई गैस एलपीजी सिलेंडरों के प्रयोग के लिए अनुमोदन नहीं दिया है। सरकार ने द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहन में प्रयोग का विनियमन) आदेश, 2001 द्वारा वाहनों के लिए आटो एलपीजी की बिक्री की अनुमति दी है। नियंत्रण आदेश के अनुसार, केवल आयातित या आयात-प्रतिस्थापित आटो एलपीजी का प्रयोग वाहनों में किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने आटो एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न शहरों में उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता तथा उनके वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर आटो एलपीजी वितरण केन्द्रों (एएलडीएस) को स्थापित किया है। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा एलपीजी पर वाहनों को चलाना अधिकृत किया गया है, ओएमसीज अपनी रिफाइनरियों/आयातों द्वारा आटो एलपीजी की मांग पूरी कर रही है।

आटो एलपीजी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार आटो ईंधन के रूप में एलपीजी 14861-2000 बीआईएस विनिर्देश के अनुरूप होनी चाहिए तथा केवल आटो एलपीजी वितरण केन्द्रों (एएलडीएस) से ही वितरित की जानी चाहिए। किसी वाहन में आटो एलपीजी टैंक बीआईएस विनिर्देशों आई.एस. 14899 के अनुरूप होना चाहिए तथा केन्द्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 के तहत यथा अधिसूचित किसी एक जांच एजेंसी द्वारा ''टाइप अनुमोदन'' वाले परिवर्तित किट के भाग के रूप में विभिन्न उपकरणों/फिटिंग के साथ स्थायी रूप से वाहन में होना चाहिए।

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की काला बाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत ओएमसीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी का निषेध किया गया है।

इस आदेश के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारें चूककर्ता वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडरों की काला बाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सावधान किया गया है।

(2) ओएमसीज के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विपथन/काला बाजारी नहीं होती है, वितरकों को गोदाम, सुपुर्दगी स्थान, मार्ग में भी यादृच्छिक जांच पड़ताल करते हैं। एमडीजी के अनुसार, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई काला बाजारी सिद्ध होने के मामले में वितरक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है-

पहली बार अपराध के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी की कीमत।

दूसरी बार अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी की कीमत, और

तीसरे बार अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों को एअर इंडिया की उड़ानें

2464. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद को बैंकाक, रियाद तथा कुवैत से जोड़ने वाली कम लागत वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस सर्विसेज शुरू करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हैदराबाद से रियाद और कुवैत तथा हैदराबाद से बैंकाक के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें परिचालित करने हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) एअर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से बैंकाक, रियाद और कुवैत को सेवाएं परिचालित करने की कोई शीघ्र योजना नहीं है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

2465. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ने निःशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है तथा क्या भविष्य के लिए व्यावसायिक अनुदेशक तैयार करना भारतीय पुनर्वास परिषद की जिम्मेदारी होगी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने अति निःशक्त व्यक्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये की कायिक निधि स्थापित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस निधि के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को सहायता देने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्था, भोपाल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गयी है।

(घ) से (च) जी, हां। सरकार ने 100 करोड़ रुपये कारपस के साथ ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किया है। यह न्यास 'समर्थ' के नाम से एक केन्द्र आधारित योजना कार्यान्वित करता है जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण एक संघटक है। लाभार्थियों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाता है और चयन का मानदंड इस प्रकार है:

(1) आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता के चार विकलांगता समूहों से होना चाहिए;

(2) 30% गरीबी की रेखा से नीचे का परिवार होना चाहिए;

(3) लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 40:60 होना चाहिए।

मारूति द्वारा नया डीजल इंजन संयंत्र

2466. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार का विचार मारूति उद्योग लिमिटेड के माध्यम से एक नया डीजल इंजन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र के वित्तीय पहलुओं पर हाल ही में भारतीय तथा जापानी समकक्षों के बीच चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं। मारूति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) सुजुकी मोटर कारपोरेशन (एसएमसी), जापान के अधिकांश शेयरधारिता के साथ एक निजी लिमिटेड कंपनी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मारूति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) के अनुसार, इसने एमएसजी के भागीदारी के साथ हाल ही में मनेसर, हरियाणा में एक नये डीजल संयंत्र की स्थापना की है। इस संयंत्र का प्रबंधन सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड (एसपीआईएल) द्वारा किया जा रहा है। इस संयंत्र का उद्घाटन दिनांक 6.2.2007 को किया गया। इस डीजल संयंत्र की क्षमता 100,000 इकाई होगी जिसे यथासमय बढ़ाकर 300,000 इकाई किया जायेगा। इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 2010 तक कुल निवेश की अनुमानित राशि 2500 करोड़ रुपये होगी।

[हिन्दी]

पन्ना जिले का विकास

2467. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार को गंतव्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना जिले में पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को गंतव्य के रूप में विकास करने की योजना के लिए दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 को 421.36 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है जिसमें से 337.00 लाख रुपये की राशि योजना के निष्पादन के लिए राज्य पर्यटन विभाग को जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

आई.एन.एस. विराट

2468. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने हाल ही में एकमात्र विमानवाहक-आई.एन.एस. विराट के टिकाऊ होने और सेवा फिटनेस की गहन जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नौसेना की इस फ्लैगशिप को सक्रिय सेवा में कितनी अवधि तक जारी रहने की संभावना है; और

(घ) प्रतिस्थापन के लिए विनिर्माण युद्धपोतों को प्राप्त करने और नौसेना बेड़े में वृद्धि के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय नौसेना पोत विराट के सेवाकाल को वर्ष 2012 तक बढ़ाने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि नेमी आवधिक अनुरक्षण के अलावा किये जा रहे कतिपय मरम्मत कार्यों के अध्यधीन इस पोत के कार्यकाल को वर्ष 2012 तक बढ़ाना संभव है।

(घ) नौसेना बेड़े के प्रतिस्थापन तथा संवर्धन हेतु नौसेना में युद्धपोत शामिल किये जाते हैं। यह खतरे की अवधारणा तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश पर आधारित एक सतत् प्रक्रिया है। नौसेना बेड़े के प्रतिस्थापन तथा संवर्धन के संबंध में ब्यौरों का खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

तमिलनाडु हेतु धनराशि

2469. श्री एम. अप्पादुरई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए तमिलनाडु को गत वर्ष प्रदत्त/आवंटित धनराशि अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गत वर्ष के दौरान तमिलनाडु में धन की कमी के कारण विलंबित और रद्द की गई रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। धनराशि का आवंटन संसाधनों की उपलब्धता और राज्यवार फार्मूले के अनुसार किया जाता है। धनराशि की कमी के कारण पिछले वर्ष किसी परियोजना को रद्द नहीं किया गया।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। निजी/सार्वजनिक सहभागिता, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागिता के जरिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्त व्यवस्था करने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं। आंतरिक संसाधन सृजन के द्वारा भी कोषों का आवंटन किया जाता है।

कालका-शिमला रेलमार्ग का विस्तार

2470. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 59-60 वर्षों के बाद भी कालका-शिमला रेलमार्ग का विस्तार नहीं किया गया है;

(ख) क्या रेलवे को उक्त रेलमार्ग के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलू): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार विगत में इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैंगमैन के लिए सुरक्षा और संचार सुविधाएं प्रदान किया जाना

2471. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात गैंगमैनों को विशेषकर रात के समय में समुचित सुरक्षा और संचार सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) गाड़ी के ड्राइवरों की बेहतर दृश्यता के लिए गैंगमैन को चमकीली जैकेट मुहैया कराई जा रही है।

(2) संरक्षा नियमों के बारे में गैंगमैन को जानकारी देने के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा संरक्षा संबंधी सेमिनारों का आयोजन किया जाता है।

(3) गैंगमैन को गम बूट मुहैया कराये जाते हैं।

(4) पेट्रोलमेन को वाकी-टीकी सेट्स उत्तरोत्तर मुहैया कराये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्राचीन पांडुलिपियां

2472. श्री पी.सी. थामस: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति संबंधी पांडुलिपियां ''राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन'' में संग्रहीत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पांडुलिपियां और ''थालिओला'' ताड़ और नारियल के पत्ते पर उत्कीर्णीत पांडुलिपियां उपलब्ध और संग्रहीत हैं;

(ग) क्या ऐसी सामग्रियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में "विज्ञान निधि" (ट्रेजर आफ नोलेज) नामक ज्ञानवर्द्धक आंकड़े की सूची है;

(च) क्या आर्य श्री मंसू मूल कल्पम और 45 "थालिओला" को ऐसी सूची में सम्मिलित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो केरल की इन पांडुलिपियों से उपलब्ध अन्य सूचना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) राष्ट्रीय पांडुलिपि भवन, पांडुलिपियों का अधिग्रहण या उनकी खरीद नहीं करता है। यह लोगों को अपनी पांडुलिपियां, संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, अभिलेखागारों तथा ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों, जिनके संबंधित क्षेत्रों में पांडुलिपि पुस्तकालय हैं, को अपनी पांडुलिपियां दान देने के लिए मनाता है। समय-समय पर विभिन्न संसाधन केन्द्रों तथा व्यक्तियों से दान के रूप में प्राप्त कुछेक प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिन्हें मिशन के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में रखा गया है।

(ख) पूरे देश में विशेषत: भारत के दक्षिण और पूर्वी भागों में पांडुलिपि भंडारों में ताड़पत्रों (थालिओला) पर पांडुलिपियां उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) इन पांडुलिपियों की डिजिटीकृत प्रतिलिपियां मिशन की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तथापि, विभिन्न ताड़पत्र पांडुलिपियों के सूचीपत्र के ब्यौरे राष्ट्रीय डाटा आधार "कृतिसंपदा" से प्राप्त किये जा सकते हैं, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस डाटा आधार को लेखक, सामग्री, पुस्तक के नाम आदि के माध्यम से खोजा जा सकता है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) "आर्य मंजू श्री मूल-कल्प", "विज्ञाननिधि-भारत के पांडुलिपि खजाने" में शामिल 45 पांडुलिपियों में से एक है। एक पांडुलिपि प्राच्य अनुसंधान संस्थान एवं पांडुलिपि पुस्तकालय, तिरुवनंतपुरम" में उपलब्ध है। इस कार्य की विषयवस्तु महायान बौद्ध धर्म से ली गई है।

कल्याण योजनाओं की निगरानी

2473. **श्री सनत कुमार मंडल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कल्याण योजनाओं को धीमी गति से कार्यान्वित किया जा रहा है और वे अपने लक्ष्यों से पीछे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निर्धारित प्रोफोर्मा में सूचना, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों और आवधिक निरीक्षणों के द्वारा अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं के कार्य निष्पादन को मॉनिटर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अलग-अलग कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय आवधिक रूप से राज्य कल्याण सचिव सम्मेलन आयोजित करता है।

अनुसूचित जातियों का उत्थान

2474. **श्री रघुनाथ झा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा के स्तर से दोगुना नीचे रह रही अनुसूचित जातियों की आबादी के उत्थान हेतु कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 1.4.2001 से 1.3.2004 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के केवल 281 कारीगर लाभान्वित हुए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एनएसएफडीसी की योजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) रणनीति का जोर, गरीबी का उन्मूलन करना और समाज के निर्धन वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को सशक्त करना है। अधिकांशतः सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की पर्याप्त व्याप्ति को सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जातियों के 281 कारीगरों के अतिरिक्त 2,12,121 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया है।

(घ) उपर्युक्त जैसा।

(ङ) (1) तिमाही प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुतीकरण, (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किये गये आवधिक उपयोग अभियान, और (3) निगम अधिकारियों और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लाभार्थी यूनिटों के सांयोगिक निरीक्षण द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के मानीटरिंग मैकेनिज्म को सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु आश्रय स्थल

2475. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आश्रयस्थलों के निर्माण हेतु किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को वर्ष 2006-07 के दौरान पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आश्रयस्थलों का निर्माण करने हेतु राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अब तक कुल कितने आश्रयस्थलों का निर्माण किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अनन्य रूप से आश्रय स्थल निर्मित करने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओएससीएस द्वारा अपनी हिस्सेदारी को बेचना

2476. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तकनीकी कार्यकुशलता में आत्मनिर्भरता

2477. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारा देश रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में तकनीकी कार्यकुशलता में आत्मनिर्भरता के मामले में विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में विकसित देशों के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हमारे देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब तक बनने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अन्य देशों द्वारा प्रौद्योगिकी/उत्पाद के संबंध में सहयोग से इनकार करने के प्रति प्रतिरक्षा के रूप में गत दो दशकों के दौरान रक्षा के अधिकतर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है। भविष्य में बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ आत्मनिर्भरता बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे।

(ख) यद्यपि, गौरतलब है कि देश विकसित देशों की तुलना में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से लगभग पांच वर्ष पिछड़ सकता है तथापि देश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु आत्मनिर्भर होने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

(ग) और (घ) सरकार ने जरूरत के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु प्रावधान किये हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के उत्पादन में विशेषज्ञों की कमी

2478. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। ओएनजीसी से गत 2 वर्षों के दौरान 422 कर्मचारियों ने व्यक्तिगत कारणों या घरेलू समस्याओं के कारण त्यागपत्र दे दिया है।

(ग) अपने कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) प्रतिभावान कर्मचारियों के लिए फास्ट ट्रैक कैरियर विकास अवसर।

(2) पुरस्कार/पारितोषिक योजनाओं की शुरुआत।

(3) निष्पादक कार्यपालकों को सलाह, परामर्श तथा पोषण के साथ-साथ उनमें नई क्षमताओं और सक्षमताओं का विकास।

(4) निर्णय लेने में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए रेलमार्ग

2479. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2006-07 के दौरान घोषित योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नए रेलमार्गों के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त मार्गों पर रेल की पटरियों को बिछाये जाने को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उपयुक्त मार्गों पर पटरियां बिछाने से पूर्व सर्वेक्षण किये गये मार्गों को रद्द कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में खुर्जा से राया और लालगंज से बछरावां तक नई लाइन बिछाने के लिए एक सर्वेक्षण वर्ष 2006-07 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव सर्वेक्षण स्तर पर है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेस्टीनेशन प्लासी

2480. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से 'डेस्टीनेशन प्लासी' नामक पर्यटन विकास परियोजना के लिए स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्लासी के युद्ध की जयंती को मनाने के लिए समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण इस परियोजना के वित्तपोषण में हिस्सेदारी देने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार परिपथ/गंतव्यों के उत्पाद/अवसंरचना विकास और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता की योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ विचार विमर्श और बातचीत के आधार पर पहचान की गई पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाती है और संबंधित शीर्ष के अधीन उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्लासी गंतव्य के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं पाया गया, इसलिए मंजूर नहीं हुआ।

(ग) से (च) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लासी के युद्ध की जयंती मनाने के लिए ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया है।

तथापि, वर्ष 2006-07 के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य की पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 2639.45 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिमी बंगाल के लिए स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	पश्चिम बंगाल में "टी पर्यटन परिपथ" का एकीकृत विकास	388.98
2.	एलआरजी योजना-संभाव्यता रिपोर्ट को तैयारी के अंतर्गत जोरेपोखरी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, में नाईट सफारी पार्क की स्थापना	15.00
3.	गंतव्य योजना के तहत कलिंगपोंग का विकास	498.38
4.	गोके में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना	355.49
5.	जलपाईगुड़ी जिले में पूर्वी दोआर्स पर्यटन परिपथ का विकास	683.58
6.	पूर्व मेदनीपुर जिले में बीच पर्यटन परिपथ का विकास	598.02
7.	गांव मुकुटमणिपुर जिला बांकुरा में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00
8.	गांव अनन्तपुर, जिला हुगली में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00
	कुल	2639.45

भारतीय पर्यटन वित्त निगम

2481. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन वित्त निगम देश में निजी फर्मों को ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टीएफसीआई द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) टीएफसीआई द्वारा ऐसे ऋणों हेतु मानदंड तथा निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी बकाया धनराशियों के भुगतान में चूक की थी और इन फार्मों में टीएफसीआई की कितनी धनराशि फंसी है; और

(ङ) ऐसी बकाया धनराशियों को वसूल करने के लिए टीएफसीआई द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	अप्रैल-मार्च 2004	अप्रैल-मार्च 2005	अप्रैल-मार्च 2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6.6	13.50	6.50
2.	दिल्ली	46.0	24.0	9.0
3.	गोवा	6.3	0.0	0.0
4.	गुजरात	2.4	3.8	5.7
5.	हरियाणा	13.3	0.0	0.2
6.	कर्नाटक	0.0	8.0	12.9
7.	केरल	0.0	1.4	12.9
8.	मध्य प्रदेश	3.5	8.8	0.0
9.	महाराष्ट्र	18.6	14.9	28.3
10.	उड़ीसा	1.2	0.0	0.0
11.	पंजाब	0.0	0.0	0.6
12.	राजस्थान	0.5	0.0	7.0
13.	तमिलनाडु	4.0	8.8	29.9
14.	उत्तर प्रदेश	0.0	7.0	0.0
15.	पश्चिम बंगाल	0.0	6.0	0.0

1	2	3	4	5
16.	संघ राज्य क्षेत्र			
	(क) चंडीगढ़	2.0	0.0	0.0
	(ख) पांडिचेरी	0.0	1.5	0.0
17.	बहुराज्य/अन्य	0.0	12.9	32.8
	कुल	104.4	110.6	132.9

(ग) ऋण प्रदान करने के लिए मानदंड निम्न प्रकार है: प्रोमोटर का योगदान न्यूनतम 30% होना चाहिए; होटलों के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 1.5 : 1 और अन्य क्षेत्रों के लिए 1.1 से 1.25 : 1 तक से अधिक नहीं होना चाहिए; पुनर्भुगतान अनुसूची-प्रचालनों की शुरुआत के पश्चात् डेढ़ से दो वर्षों के ऋणस्थगन की अनुमति देते हुए सामान्य मानक 8 वर्ष है; कर्जदार की ऋण रेटिंग पर निर्भर करते हुए ब्याज की दर; भूमि का क्लीयर टाइटल और पर्यटन विभाग/म्युनिसिपल प्राधिकरणों/अन्यों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने चाहिए।

(घ) 7 मामलों में से 4 मामलों को सेटल/रीस्ट्रक्चर कर लिया गया है और 16.59 करोड़ रुपयों की राशि की वसूली कर ली गई है।

(ङ) टीएफसीआई, एनपीएज की वसूली के लिए जोरदार प्रयास करता है। यदि व्यापक उपाय फल नहीं देते हैं, तो विधिक सहारा लिया जाता है और टीएफसीआई सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, आदि के अंतर्गत सामान्यतया नोटिस भेजकर देयताओं की वसूली के लिए, ऋण वसूली अभिकरण (डीआरटी) के पास आवेदन दाखिल करता है। डीआरटीज/न्यायालयों के साथ आवेदन दाखिल करने के अलावा, 'वन टाइम सेटलमेंट' और/अथवा प्रत्येक मामले की मेरिट पर बकाया देयताओं को पुन: संरचित करने के तरीके से देयताओं की वसूली हेतु उपाय शुरू किये जाते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

2482. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन के लिए तरल ईंधन की आवश्यकता को छोड़कर दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का प्राक्कलन 104.80 एमटी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कम वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के लिए खोज कार्य में तेजी लाने और हाइड्रोकार्बन भंडारों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर बने कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, दसवीं योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 के लिए आधार मामले के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अनुमानत: 107.1 मि.मी. टन थी। तथापि, वर्ष 2002-2003 के लिए वास्तविक खपत 104.1 मि.मी. टन थी।

(ग) दसवीं योजना के दौरान वर्ष-वार वृद्धि दरें निम्नवत् हैं:

2002-03	3.7%
2003-04	3.5%
2004-05	3.6%
2005-06	1.4%
2006-07 (अनु.)	3.8%

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर बने कार्य दल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.7% (आधार मामला), वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर का अनुमान लगाया था। प्रथम चार वर्षों के लिए वार्षिक वृद्धि 3.0% रही है। तथापि, वर्तमान वर्ष, जो दसवीं योजना के लिए अंतिम वर्ष है, अप्रैल-जनवरी के लिए वर्तमान वृद्धि 5.3% से काफी अधिक रही। अतः, दसवीं योजना के लिए अंतिम आंकड़े इससे ऊपर तथा कार्य दल द्वारा बताए गए मूल अनुमानों के निकट हो सकते हैं।

(च) पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि को बल देने हेतु अन्वेषण कार्य को गहन करने तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों को बढ़ाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदम निम्नवत् हैं:

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि एनईएलपी के तहत, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 110 अन्वेषण ब्लाक सौंपे गये थे। इनमें एनईएलपी के पांचवें दौर में प्रदान किये गये 20 अन्वेषण ब्लाक शामिल हैं। अब एनईएलपी-VI के तहत अन्य 55 ब्लाक प्रदान किये गये हैं।

2. विशेष रूप से वर्द्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा मौजूदा बड़े क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार/आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने इस प्रयोजन से 10,972 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्रों को हाथ में लिया है, जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

3. नए क्षेत्रों का अन्वेषण, विशेषकर गहरे जल तथा कठिन सीमान्त क्षेत्रों के साथ-साथ पहल से उत्पादक क्षेत्रों की गहरी परतों में।

4. खोजे गए नए क्षेत्रों का तेजी से विकास तथा उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण, वर्कओवर तथा उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग शुरू करना।

5. कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के अन्वेषण के लिए हाल ही के तीसरे दौर के तहत 10 संविदाओं सहित अब तक 26 संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

6. जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र के लाइसेंस मुक्त होने के साथ, देश में घरेलू रिफाइनरियों सहित अधिक पेट्रोलियम बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

रक्षा कार्मिकों को वेतन और भत्तों का भुगतान

2483. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को सरकार की स्वीकृति के बावजूद पिछले कई वर्षों से पूरा वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं जैसाकि दिनांक 23 जनवरी, 2007 के "दैनिक भास्कर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) "दैनिक भास्कर" में दिनांक 23 जनवरी, 2007 को यथाउल्लिखित समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह समाचार चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित है जिसे सरकार ने 1987 में कार्यान्वित कर दिया था। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने रैंक वेतन की कटौती के संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित किये जाते समय व्याख्याओं सहित रैंक वेतन की कटौती किये जाने की सिफारिश की थी। एक सेवानिवृत्त मेजर ने कटौती के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के वेतन को रैंक वेतन की कटौती के बिना पुनः नियत करने के आदेश दिये थे। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर करते हुए मामले को लड़ा था जिसे मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया था वरन् विलम्ब के कारण निरस्त कर दिया गया था।

निर्णय के परिणामस्वरूप, इसी प्रकार के लाभों की मंजूरी के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार द्वारा दायर एक अंतरण याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 फरवरी, 2007 के अपने आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालयों में कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मंजूरी दी है। इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूल, असम की अवसंरचना का उन्नयन

2484. श्री अनवर हुसैन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा, असम की अवसंरचना के उन्नयन और विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है और ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि जारी किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इरकॉन द्वारा सड़क की मरम्मत

2485. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर घाटी में काजीकुंड-बारामुला रेल लाइन के निर्माण हेतु भारी सामग्रियों की ढुलाई के लिए इरकॉन द्वारा स्थानीय ग्रामीण सड़कों का उपयोग किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इरकॉन के लदे हुए वाहनों और बुलडोजरों की भारी आवाजाही ने संपर्क सड़कों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और ये सड़कें अब उपयोग के लायक नहीं रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी क्षतिग्रस्त ग्रामीण संपर्क-सड़कों का उन्नयन अथवा पुनर्निर्माण करने के लिए इरकॉन द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या इन सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को इरकॉन द्वारा धनराशि जारी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इरकॉन द्वारा प्रदान की गई धनराशि को क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण पर खर्च किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सड़कों पर कुछ गड्ढों जिनकी इरकॉन द्वारा मरम्मत कर दी गई है, को छोड़कर सड़क की दशा इतनी खराब नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित खाद्य कानून

2486. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विनियमन करने वाले लंबे समय से विद्यमान बहुविध कानूनों को समेकित करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) समेकित खाद्य कानूनों को संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विनियमित करने वाले खाद्य कानूनों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ''खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006'' शीर्षक से एक समेकित खाद्य कानून का निर्माण किया है जो 24.8.2006 को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

नगर गैस वितरण परियोजनाएं

2487. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का नगर गैस वितरण परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताओं सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक लाया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार ने 20 दिसम्बर, 2006 को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों तथा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति अधिसूचित की है। 22 दिसम्बर, 2006 को भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से यह नीति प्रभावी है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में और शहरी स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों में सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करना,

(ख) पाइपलाइन नेटवर्क पर बिना किसी भेदभाव के सभी कंपनियों की खुली पहुंच को सुगम बनाना,

(ग) निकायों के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना जिससे किसी निकाय के द्वारा प्रभुत्व की स्थिति का अनुचित लाभ न उठाया जा सके;

(घ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए उचित शुल्क और गैस उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ता हित को सुरक्षित रखना।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. सभी प्राकृतिक गैस और शहरी या स्थानीय वितरण पाइपलाइनों को नियामक बोर्ड के द्वारा एक पारदर्शी क्रियाविधि के तहत प्रदान किये गये प्राधिकार के अनुसार बिछाया जाएगा। नियमन की जा चुकी पाइपलाइनों से निकलने वाली समर्पित पाइपलाइनें, जो विशिष्ट उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति के लिए बिछाई गई हैं, को प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी।

2. नियामक तकनीकी और सुरक्षा मानकों के एक संपूर्ण सेट के साथ ही साथ ग्रिड सहयोजनीयता की एक संहिता को विकसित करेगा।

3. सामान्य वाहक पारेषण गतिविधि और गैस विपणन गतिविधि की प्रगामी अन्बंडलिंग।

4. डिजाइन की गई पाइपलाइन क्षमता प्रस्तावक और जो इस क्षमता के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, की अधिकतम क्षमता से कम से कम 33 प्रतिशत अधिक हो। ऐसी क्षमता बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवहन दरों पर एक ''खुली पहुंच और बिना किसी भेदभाव के आधार पर'' उपलब्ध कराई जाएगी।

5. बोर्ड शहरी गैस वितरण नेटवर्कों को बनाने और ऐसे नेटवर्कों को विकसित कर रहे निकाय द्वारा गैस के विपणन के लिए विभिन्न विशिष्टता अवधियों पर विचार कर सकता है।

6. प्रस्तावक का प्राधिकार उनकी जमानत राशि की जब्ती के साथ निरस्त किया जा सकता है, यदि प्राधिकार की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है या परियोजना के अनुबंधित चरण (चरणों) से देर की जाती है।

7. एक बार परियोजना के चालू हो जाने पर, बोली बॉन्ड प्रदर्शन बॉन्ड में बदल जाएगा और परियोजना के कार्यकाल के दौरान प्राधिकार पत्र में व्यक्त शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के लिए गारंटी प्रदान करेगा।

8. पारेषण पाइपलाइन और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए परिवहन प्रशुल्क तथा इस प्रशुल्क को निश्चित करने का तरीका भी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

9. बोर्ड, राज्य सरकारों, तेल एवं गैस उद्योग, गैस का उपभोग करने वाले उद्योगों और अन्य हितधारकों की सलाह के साथ सरकार गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना बना सकती है। नई पाइपलाइनों को प्राधिकृत/स्वीकृत करते समय इस योजना को ध्यान में रखा जाएगा।

10. इस नीति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा एक गैस सलाहकार बोर्ड (जीएबी) गठित किया जाएगा। जीएबी की सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी।

11. घरेलू निवेश के पूरक और अनुपूरक हेतु स्वतः स्वीकृत रूट के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने के लिए, 100 प्रतिशत एसएफडीआई की अनुमति है।

12. राज्य सरकारों को त्वरित कार्रवाई के आधार पर विभिन्न वैधानिक एवं अन्य स्वीकृतियां सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

13. शहरों या स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्कों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारें अपनी योजनाएं बनाएंगी।

संरक्षित स्मारकों के निकट सड़क का निर्माण

2488. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास विनियमित विकास को निर्धारित करने वाला अध्यादेश पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को लोदी रोड से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के लिए एएसआई से अनुमति मांगी है;

(ग) क्या एएसआई ने एक विशेषज्ञ समिति गठन की है जिसने इस सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों की राय के बावजूद एएसआई ने प्रस्तावित सड़क को अपनी अनुमति दे दी है;

(ङ) क्या यह सड़क हुमायूं के मकबरे और अन्य स्मारकों के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है जैसाकि दिनांक 7 फरवरी, 2007 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो स्मारकों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 1992 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जहां सभी प्रकार के निर्माण तथा खनन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इससे आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है जहां निर्माण/खनन गतिविधियां केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अनुज्ञेय है।

(ख) से (घ) दिल्ली सरकार ने लोदी रोड के साथ एन.एच. 24 बाई पास को जोड़ते हुए एक लिंक रोड का निर्माण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। इस प्रस्ताव की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गठित एक विशेष परामर्शदात्री समिति द्वारा जांच की गई थी और सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। चूंकि प्रतिबंधताओं के संबंध में दिल्ली सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र आस्थगित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। प्रस्तावित लिंक रोड हुमायूं के मकबरे से 340 मीटर की दूरी से गुजर रही है। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विशिष्ट शर्तों का अनुपालन करने पर जोर दिया था क्योंकि प्रस्ताविक लिंक रोड संरक्षित स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों से गुजर रही थी।

[हिन्दी]

श्रमिक ठेकेदार की नियुक्ति

2489. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निश्चित समय अवधि से अधिक जुबली और कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों पर श्रमिक ठेकेदार की नियुक्ति की अवधि को निषिद्ध करने वाले कोई दिशा-निर्देश तेल कंपनियों के लिए जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने जुबली और कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों पर क्रमशः 6, 12 और 18 महीनों से अधिक के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) मंत्रालय ने दिनांक 6.9.2006 के अपने पत्र द्वारा कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार:

(1) स्थायी कोको खुदरा बिक्री केन्द्र, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से चलानी होंगी।

(2) न्यायालय मामलों, शिकायतों आदि जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर वर्तमान अस्थायी कोकोज को एक वर्ष के भीतर समाप्त करना होगा।

(3) श्रमिक ठेकेदारों का चयन खुले और पारदर्शी ढंग से और विज्ञापन द्वारा ही किया जाएगा।

(4) श्रमिक ठेकेदारी, पहले की एक वर्षीय प्रणाली की बजाए, वरीयतः पहली बार में तीन वर्ष की अवधि के

लिए दी जाए। 3 वर्ष के बाद उसका चयन के लिए दोबारा विज्ञापन दिया जाए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र द्वारा स्मारकों का रख-रखाव

2490. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम और कारपोरेट घरानों ने देश के कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव और उसके अनुरक्षण हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनसे परामर्श करके योजना को और अधिक बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों और कारपोरेट घरानों ने देश के कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव और अनुरक्षण हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां। सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संस्कृति निधि एफ.आई.सी.सी.आई., सी.आई.आई. आदि जैसे व्यापार और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक प्रकाशन भी ला रहा है जिसमें उन स्मारकों का ब्यौरा दिया गया है जहां ऐसी परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाएं

क्र.सं.	स्मारक का नाम	प्रायोजक एजेन्सी का नाम	राज्य	परियोजना के लिए नियत निधि (रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	ताजमहल, आगरा	इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा समूह)	उत्तर प्रदेश	1.87 करोड़	कार्य प्रगति पर है
2.	जन्तर मन्तर	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	10 लाख	कार्य प्रगति पर है
3.	लोदी गार्डन स्थित स्मारक	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1.00	
4.	जैसलमेर किला, जैसलमेर	विश्व स्मारक निधि	राजस्थान	4,39,000 अमरीकी डालर तथा 4 करोड़ भा.पु.सं. द्वारा	कार्य प्रगति पर है
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क		उड़ीसा		कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6
6.	कन्हेरी गुफाएं, मुम्बई	इंडियन ऑयल फाउंडेशन	महाराष्ट्र	25.00 करोड़ रुपये	
7.	मंदिर समूह, खजुराहो		मध्य प्रदेश		
8.	स्मारक समूह, हम्पी		कर्नाटक		
9.	वारंगल किला, वारंगल		आंध्र प्रदेश		

परिशोधन प्रक्रिया में सुधार

2491. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने परिशोधन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम ने परिशोधन क्षेत्र में क्या प्रौद्योगिकी अपनाई है; और

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा नई प्रौद्योगिकी में कितनी राशि का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) ने शोधन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इस प्रयोजन हेतु शोधन क्षेत्र में आई.ओ.सी. द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) आई.ओ.सी. द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागत लगभग 373 करोड़ रुपये है।

विवरण

(1) फ्ल्यूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग (एफसीसी)

(2) हाइड्रोक्रैकिंग

(3) डीजल हाइड्रोडिसल्फराइजेशन

(4) रेसिड फल्युडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग

(5) वंस थ्रु हाइड्रोक्रैकिंग

(6) डीजल हाइड्रोट्रीटमेंट

(7) कैटेलिटिक आइसो-डिवैक्सिंग

(8) वैक्स हाइड्रोफिनिशिंग

(9) साल्वेन्ट डिवैक्सिंग/डिआयलिंग

(10) हाइड्रोजन जेनरेशन

(11) सल्फर रिकवरी

(12) आईएसओएसआईवी

(13) सोकर विसब्रेकिंग

(14) डिलेड कोकिंग

(15) कैटेलिटिक रिफार्मिंग

(16) आइसोमराइजेशन

(17) आईएनडीएमए एक्स

(18) हेक्सेन हाइड्रोजेनशन

(19) नार्मल मिथाइल पाइरोलिडीन (एनएमपी) एक्सट्रैक्शन

(20) रेडियम आयल सुपरक्रिटिकल एक्सट्रैक्शन-प्रापेन डिसस्फाल्टिंग

(21) एफसीसी गैसोलीन डिसल्फराइजेशन (प्राइम जी)

(22) युडेस्क टेकनोलाजी

(23) कैरो-हाइड्रोडिसल्फराइजेशन टैक्नोलोजी

(24) ल्यूब हाइड्रोफिनिशिंग टेक्नोलाजी (एचएफयू)

(25) बिटुराक्स टेक्नोलाजी

(26) मिथाइल टरशरी ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई) टैक्नोलाजी

(27) एफसीसी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन टेक्नोलाजी

[हिन्दी]

तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

2492. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों में सभी सुरक्षा इंतजामों और चौकसी के बावजूद कई भारी दुर्घटनाएं और आग लगने की घटनाएं घटित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक उपक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा सुरक्षा इंतजामों को और सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों से 2004 से 2006 तक मुख्य दुर्घटनाओं और अग्नि दुर्घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तेल कंपनी का नाम	मुख्य दुर्घटनाओं/अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या		
	2004	2005	2006
ओएनजीसी	3	शून्य	शून्य
आईओसीएल	8	13	16
बीपीसीएल	शून्य	शून्य	शून्य
एचपीसीएल	9	19	15
ओआईएल	1	1	शून्य
गेल	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने दुर्घटना के कारण का विश्लेषण करने के लिए स्वयं अपनी छानबीन की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों, उपचारी उपाय किये गये हैं। मंत्रालय ने भी ओएनजीसी के बीएचएन प्लेटफार्म पर हुई अग्नि दुर्घटना की स्वतंत्र जांच की है। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मंत्रालय की ओर से तेल और गैस स्थापनाओं की समय समय पर सुरक्षा जांच करता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा ओआईएसडी के अभिमतों का अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

नए रेलवे जोनों/मंडलों का सृजन

2493. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए रेलवे जोनों अथवा मंडलों के सृजन हेतु क्या मानक विनिर्दिष्ट है;

(ख) क्या रेलवे का नए रेलवे मंडलों अथवा जोनों के द्विविभाजन अथवा सृजन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से मांग प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नए रेलवे जोनों/मंडलों का सृजन क्षेत्रीय आधार की बजाए किफायत तथा कार्य कुशलता को ध्यान में रखकर विभिन्न कारकों जैसे

आकार, कार्यभार, संपर्कता यातायात पैटर्न तथा अन्य प्रशासनिक/परिचालनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) हाल ही में भारतीय रेलवे की पुनर्संरचना के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त 4 जोनों तथा 7 मंडलों के सृजन की मांग प्राप्त हुई है।

(घ) उपरोल्लिखित मानदंडों के मद्देनजर ये मांगे व्यावहारिक नहीं पाई गई हैं सिवाए सेलम मंडल को छोड़कर जिसे मंजूर कर लिया गया है।

[हिन्दी]

मूल्य-निर्धारण नीति

2494. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री के.एस. राव:
श्री अनिल बसु:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एटीएफ सहित ईंधन एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की लागत एवं मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्यविधि तैयार और अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने हेतु नई नीति को अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) डा. रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने दिनांक 16.6.2006 से पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण आयात समता से बदल कर व्यापार समता आधार पर कर दिया है (80 : 20 अनुपात में आयात और निर्यात समता मूल्य का भारित औसत)। एटीएफ नियंत्रणमुक्त उत्पाद है और इसका मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर तय किया जाता है।

[अनुवाद]

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

2495. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का गठन, भारतीय हवाईअड्डों पर पूर्व निर्धारित निष्पादन मानकों की मानीटरिंग करने तथा वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ ढांचे को निर्धारित, संवीक्षित तथा अनुमोदित करने के लिए, संसद के अधिनियम के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालकों की सभी श्रेणियों के लिए एक समान कार्य क्षेत्र (लेवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करेगा और स्वाभाविक एकाधिकार तथा हवाईअड्डों के कामन यूजर/कैरियर सेगमैंट्स की निगरानी करेगा और इस पर काम करेगा।

(ग) एईआरए विधेयक के प्रारूप के साथ मंत्रिमंडल नोट का एक प्रारूप मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। एईआरए विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

घाटे में चल रहे विमानपत्तन

2496. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री नरहरि महतो:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई विमानपत्तन घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक विमानपत्तन को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विमानपत्तनों को लाभ कमाने वाला बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) ज़ी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान घाटा उठाने वाले प्रत्येक विमानपत्तन का ब्यौरा (लाख रुपये में) क्रमशः इस प्रकार हैं:

पोर्टब्लेयर (295.10, 357.43 तथा 284.88), कुडप्पा (5.91, 8.06 तथा 11.66), राजामुंदरी (52.35, 137.78 तथा 62.38), तिरूपित (290.04, 401.34 तथा 407.47), विजयवाड़ा (158.46, 332.48 तथा 376.56), विशाखापत्तनम (340.34, 270.79 तथा 298.31), पासीघाट (4.09, 4.09 तथा 0.00), तेजू (24.58, 19.02 तथा 19.72), डिब्रूगढ़ (763.20, 412.79 तथा 546.84), गुवाहाटी (3360.67, 5109.67 तथा 3711.61), जोरहाट (263.88, 172.37 तथा 181.60), लीलाबाड़ी (287.00, 203.27 तथा 290.09), रूपसी (2.15, 2.15 तथा 0.00), सिल्चर (223.52, 149.48 तथा 189.60), तेजपुर (92.26, 61.73 तथा 100.83), गया (295.89, 642.23 तथा 823.82), पटना (1086.27, 1193.64 तथा 1239.63), चंडीगढ़ (227.85, 279.75 तथा 258.84), रायपुर (277.75, 362.31 तथा 311.76), दिल्ली (सफदरजंग) (715.04, 702.07 तथा 1050.21), भावनगर (185.17, 356.32 तथा 439.32), भुज (124.21, 132.61 तथा 326.12), जामनगर (48.32, 77.73 तथा 32.68), कांडला (48.82, 56.78 तथा 89.86), केशोड (45.64, 62.13 तथा 109.26), पोरबंदर (94.95, 190.57, 207.84) सूरत (25.37, 28.77 तथा 37.67), राजकोट (264.48, 307.32 तथा 539.28), वड़ोदरा (235.22, 199.60 तथा 563.40), कांगड़ा (82.61, 196.10 तथा 380.96), कुल्लू (219.52, 298.67 तथा 362.29), शिमला (185.18, 267.04 तथा 312.95), जम्मू (268.14, 519.51 तथा 351.70), लेह (56.35, 10.83 तथा 166.49), श्रीनगर (134.25, 34.53 तथा 116.86), रांची (590.84, 665.90 तथा 769.10), लेह (56.35, 1083 तथा 166.49), श्रीनगर (134.25, 34.53 तथा 116.86), रांची (590.84, 665.90 तथा 769.10), बेलगाम (176.82, 158.65 तथा 223.65), हुबली (22.42, 130.81 तथा 128.88), मंगलौर (304.77, 636.40 तथा 1114.18), अगाती (78.00, 130.04 तथा 173.66), भोपाल (599.04, 888.40 तथा 1060.24), ग्वालियर (172.81, 205.85 तथा 245.27), इन्दौर (52.89, 315.87 तथा 436.25), जबलपुर (133.82, 370.19 तथा 404.94), खजुराहो (421.78, 673.28 तथा 621.55), औरंगाबाद (251.45, 362.33 तथा 431.62), गोंदया (0.00, 0.00 तथा 3.24), कोल्हापुर (0.00, 0.06 तथा 5.12), नागपुर (1524.00, 2918.82 तथा 2439.54), इम्फाल (604.26, 275.38 तथा 262.82), शिलांग (117.33, 115.59 तथा 123.26), लेंगपुई (133.55, 61.22 तथा 72.83), दीमापुर (324.32, 266.79 तथा 357.77), भुवनेश्वर (975.45, 1470.95 तथा 1357.11), झरसुगुडा (47.39, 50.56 तथा 74.28), पांडिचेरी (20.43, 29.86 तथा 42.56), अमृतसर (601.05, 755.58 तथा 500.93), लुधियाना (134.08, 142.91 तथा 142.33), पठानकोट (47.03, 170.30 तथा 288.31), जयपुर (668.00, 1275.75 तथा 1195.91), जैसलमेर (6.37, 45.70 तथा 26.15), जोधपुर (180.03, 248.89 तथा 292.37), कोटा (86.50, 11.89 तथा 43.80), नल (बिकानेर) (46.15, 115.39 तथा 94.70), उदयपुर (385.08, 408.44 तथा 592.81), कोयम्बटूर (173.53, 21.07 तथा 20.10), मदुरै (204.61, 399.34 तथा 454.72), सेलम (17.07, 22.48 तथा 25.08), तिरुचिरापल्ली (450.67, 498.77 तथा 457.27), तूतीकोरिन (22.70, 28.08 तथा 31.69), वेल्लौर (6.75, 5.39 तथा 6.88), अगरतला (1361.24, 848.77 तथा 688.22), (11.71, 1.81), कैलाशहर (11.71, 1.81) आगरा (278.56, 466.46 तथा 414.26), इलाहाबाद (1007.25, 1613.44 और 192.38), गोरखपुर (0.83, 3.37 तथा 4.28), कानपुर (159.42, 173.90 तथा 205.43), लखनऊ (1048.75, 1080.06 तथा 1491.36), वाराणसी (895.31, 1455.74 तथा 1491.49), देहरादून (110.12, 126.78 तथा 144.72), पंतनगर (81.23, 89.58 तथा 103.98), बागडोगरा (633.99, 129.12 तथा 23.61), बलूरघाट (4.48, 4.07 और 5.89), बेहला (17.47, 20.30 तथा 21.87), कूचविहार (12.59, 12.30 तथा 23.05) और माल्दा (14.08, 6.38 तथा 18.55)।

(ग) गैर-यातायात राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से, हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में व्यावसायिक सुविधायें बढ़ाई गई हैं जैसे, फास्टफूड आऊटलेट, साइबर कैफे, होटल आरक्षण सुविधा, एटीएम, एसटीडी/आईएसडी आउटलेट चाय/काफी वेन्डिंग मशीन तथा समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं तथा मशीनें लगाया जाना आरंभ करना। विमानपत्तनों पर गैर-यातायात राजस्व उत्पन्न करने में सुधार करने संबंधी सुझाव देने के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है।

पर्यटन यात्रियों के लिए हवाई पैकेज

2497. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए विशेष हवाई पैकेज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों के लिए उक्त पैकेज कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन राज्यों का दौरा करने वाले पर्यटकों को और आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा पहाड़ी गंतव्यों जैसे कश्मीर, लेह, हिमाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम, काठमांडू, ऊटी, मुन्नार, महाबालेश्वर, लोनावाला और माउंट आबू के लिए हॉलिडे पैकेज आरंभ किये गये हैं। ये पैकेज प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 सितम्बर और 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक घोषित किये जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए हॉलिडे पैकेज जिन्हें जम्मू और कश्मीर फ्लाईवेज कहा जाता है, जम्मू/श्रीनगर-दिल्ली के लिए उपलब्ध होते हैं। ये पैकेज वाय दिल्ली अन्य महत्वपूर्ण शहरों से भी किये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए हॉलिडे पैकेज हिमाचल फ्लाइवेज कहलाता है जो दिल्ली और चंडीगढ़ से उपलब्ध होता है। ये पैकेज वाया दिल्ली/चंडीगढ़ अन्य महत्वपूर्ण शहरों से भी किये जा सकते हैं। ये पैकेज वाया दिल्ली बैंकाक, कुआलालम्पुर तथा सिंगापुर से भी किये जा सकते हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अन्य प्रोमोशनल पैकेज जैसे सुपर सेवर उत्सव प्लस, इंडियन सुपर सेक्टर, इंडियन फेमिली फेयर, ईजी फेयर्स, अनचेक्ड फेयर, स्पॉट फेयर आदि को निम्नतर किरायों में इसके नेटवर्क में ट्रेवल प्रोमोट करने हेतु आरंभ किया गया है।

निजी अनुसूचित एयरलाइन जैसे एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो आदि द्वारा उनके समस्त नेटवर्क में उपलब्ध उन सीटों की मांग पर तीव्र किराया आधारित प्रस्ताव दिये जाते हैं जो सामान्य किरायों से बहुत कम होते हैं। अन्य अनुसूचित एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस आदि विमान किरायों के विभिन्न स्तरों के प्रस्ताव देते हैं जो तुलनात्मक रूप से सामान्य विमान किरायों से कम होते हैं।

[हिन्दी]

दलितों पर अत्याचार संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

2498. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दलितों पर हो रहे अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) समिति द्वारा सरकार को अब तक क्या सिफारिशें भेजी गई हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों को राज्य, प्रभाग और जिला स्तरों पर भी ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित करना सुनिश्चित किया है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में अभी तक ऐसी समितियां गठित की गई हैं; और

(च) किन-किन राज्यों ने ऐसी समिति गठित नहीं की है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों को रोकने तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी प्रशासन/कार्यान्वयन हेतु तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रभावी समन्वय हेतु 29.03.2006 को माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें माननीय मंत्री (जनजातीय कार्य) विशेष अतिथि थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, गृह, विधि मंत्रालयों और न्याय विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव, संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रभारी), गृह मंत्रालय, अनुसूचित जातियों के दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि तथा अनुसूचित जनजातियों का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि, सदस्य हैं तथा संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके सदस्य-सचिव हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरन के लिए अब तक इस समिति की दो बैठकें आयोजित की हैं।

(घ) से (च) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 और 17 के उपबंध के अनुसरण में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमण और द्वीव, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरन समितियां गठित की हैं।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

2499. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) उनके कल्याण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को कुछ और लाभ प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) इस समय, भूतपूर्व सैनिकों को उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए कई सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। पुनर्वास सुविधाओं में उनकी पुनर्नियोज्यता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार योजनाओं के जरिये ऋण सहायता, भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कम्पनियों का गठन, तेल उत्पाद एजेंसियों का आवंटन, सेना के अधिशेष वाहनों का आवंटन आदि शामिल हैं। उनके लिए किये गये महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों में कैंटीन सुविधाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना, रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता और यात्रा रियायतें शामिल हैं। इन योजनाओं की सरकार द्वारा सतत् रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब संशोधित नई योजनाएं अथवा मौजूदा योजनाएं शुरू की जाती हैं। सरकार ने वर्ष 2007 को भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियोजन वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष के दौरान सरकारी और कारपोरेट क्षेत्रों के सभी सम्बद्ध एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करके भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन करने के लिए अतिरिक्त जोर दिया जाएगा तथा इसके लिए नए सिरे से प्रयास किये जायेंगे।

विवरण

31 दिसम्बर 2006 को भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	70601
2.	अरुणाचल प्रदेश	284
3.	असम	27098
4.	बिहार	64493
5.	छत्तीसगढ़	4326
6.	गोवा	1918
7.	गुजरात	20172
8,	हिमाचल प्रदेश	96125
9.	हरियाणा	227195
10.	जम्मू-कश्मीर	64865
11.	झारखंड	17553
12.	कर्नाटक	61461
13.	केरल	149382
14.	मध्य प्रदेश	35996
15.	महाराष्ट्र	157863
16.	मणिपुर	5670
17.	मेघालय	2112
18.	मिजोरम	4516
19.	नागालैंड	2459
20.	उड़ीसा	25149

1	2	3
21.	पंजाब	250023
22.	राजस्थान	135349
23.	सिक्किम	1150
24.	तमिलनाडु	116431
25.	त्रिपुरा	2088
26.	उत्तर प्रदेश	238305
27.	उत्तरांचल	117193
28.	पश्चिम बंगाल	54169
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	592
30.	चंडीगढ़	7840
31.	दिल्ली	35257
32.	पांडिचेरी	1570
	जोड़	1999205

लाल किला में छिपे हुए अवशेष

2500. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को वर्षों से लाल किले में छिपे अवशेषों को ढूंढने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की क्या प्रतिक्रिया है और मामले की स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने परीक्षण के तौर पर लाल किला के अन्दर चुनिंदा स्थानों पर दबे हुए संरचनात्मक अवशेषों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) यह सर्वेक्षण लाल किला की व्यापक संरक्षण प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए प्रयोग करने के भाग के रूप में किया गया था। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार सर्वेक्षण के नमूने (सैम्पल) से छत्ता बाजार तथा मेहताब बाग के दक्षिणी भाग पर संरचनात्मक अवशेषों की मौजूदगी का पता चला था. परीक्षण उत्खननों से प्राप्तियों की अनंतिम रूप से पुष्टि हुई है।

मिग-29 लड़ाकू जेट विमान

2501. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री टेक लाल महतो:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने भारत को मिग-29 लड़ाकू जेट विमान देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रूस से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) भारत में मिग-29 विमानों का उत्पादन कब तक शुरू किये जाने की संभावना है और उस पर कितनी राशि खर्च होगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) नौसेना के लिए मिग-29 के लड़ाकू विमान की खरीद के लिए रूस के आरएसी मिग के साथ वर्ष 2004 में एक संविदा की गई थी।

(ग) मिग 29 लड़ाकू विमान की बिक्री अथवा उत्पादन के लिए रूस से हाल ही में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसी

2502. श्री अजीत जोगी:
श्री तुकाराम गंगाधर गडाख:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार/कंपनी-वार कितनी रसोई गैस वितरण एजेंसियां आवंटित की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में रसोई गैस की और वितरण एजेंसियां आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अधिक क्षेत्रों में रसोई गैस सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) देश में एलपीजी का विपणन कर रही है।

सरकार ने वर्ष 2006 के दौरान "आपरेशन विजय स्पेशल स्कीम" (ओवीएसएस) (कार्गिल) के अंतर्गत देश में 7 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की हैं। ब्यौरे निम्नानुसार है:

राज्य	तेल कंपनी का नाम	आवंटित डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या
असम	आईओसी	1
हिमाचल प्रदेश	आईओसी	2
हिमाचल प्रदेश	एचपीसीएल	1
जम्मू और कश्मीर	एचपीसीएल	1
पंजाब	आईओसी	1
उत्तर प्रदेश	आईओसी	1
	योग	7

इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2006 के दौरान अपनी विपणन योजनाओं के अंतर्गत देश में 37 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की हैं। राज्यवार/कंपनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (च) सरकार ने अपने वाणिज्यिक निर्धारण के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की ओएमसीज को आजादी दी हुई है और स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाए रखने के लिए उपलब्ध रिफील बिक्री सम्भावना के आधार पर उनके द्वारा स्थल अभिनिर्धारित किये जाते हैं।

सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि वे अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओएमसीज ने मुख्यत: ग्रामीण और शहरी ग्रामीण (अर्ध शहरी) स्थलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए 791 स्थलों पर सामान्य उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के राज्यवार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थलों का अभिनिर्धारण, गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना, विभिन्न सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करना, आदि सम्मिलित हैं।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा वर्ष 2006 के दौरान अपनी विपणन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या		
		आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1		1
2.	असम	1		–
3.	बिहार	1		–
4.	गुजरात	–	3	–
5.	हरियाणा	1		–
6.	झारखंड	1		–
7.	कर्नाटक	–		1
8.	मध्य प्रदेश	–		1

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	1		–
10.	उड़ीसा	–		1
11.	राजस्थान	–		3
12.	तमिलनाडु	2		3
13.	उत्तर प्रदेश	6		9
14.	उत्तराखंड	–		1
	योग	14	3	20

रेलवे स्टेशनों/डिब्बों में सी.सी.टी.वी. लगाना

2503. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर में आतंकवाद पर हाल ही में सम्पन्न हुए सातवें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विश्व भर के विभिन्न पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने आतंकवाद को एक वैश्विक खतरा बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेमिनार की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में रेलवे ने देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किज कैमरे लगाने का निर्णय लिया है किंतु रेल डिब्बों में सी.सी.टी.वी. लगाने की संभावना से इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(च) रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरण लगाने पर कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) गृह मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) रेल सवारी डिब्बों में क्लोज सर्किट टेलिविजन लगाने के संबंध में रेल मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों पर चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपस्कर की खरीद पर किया गया कुल व्यय 78,24,53,937 रु. है।

(च) रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपस्कर स्थापित करने के लिए किये जाने वाला व्यय 71,81,88,146 रु. है।

रेल डिब्बा कारखाना

2504. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार रेलवे से संबंधित अन्य सामान्य के उत्पादन हेतु रेल कारखानों सहित रेल डिब्बा कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित कारखानों सहित कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है;

(ग) उक्त कारखानों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई;

(घ) क्या देश में लंबित रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु रेलवे को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की जरूरत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले रेल डिब्बा कारखाने और अन्य रेल विनिर्माण इकाई/कारखानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस समय रेल मंत्रालय के अधीन छः उत्पादन इकाइयां हैं। उनके नाम और स्थान इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	इकाई का नाम	निर्माण की जाने वाली मद
1.	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल	बिजली रेल इंजन
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	डीजल रेल इंजन
3.	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै, तमिलनाडु	सवारी डिब्बे
4.	रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, पंजाब	सवारी डिब्बे
5.	रेल पहिया कारखाना, बंगलौर, कर्नाटक	पहिए एवं धुरे
6.	डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला, पंजाब	रेल इंजन पुनर्निर्माण

(ख) रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना तथा छपरा, बिहार में एक पहिया निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई है।

(ग) रायबरेली में नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए प्रत्याशित लागत 1685 करोड़ रु. तथा छपरा में पहिया निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिए प्रत्याशित लागत 877.65 करोड़ रु. है। 2006-07 तक इन इकाइयों के लिए प्रत्याशित व्यय क्रमशः एक लाख रुपए तथा 41.24 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) 1.1.2007 को देश में चल रही नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 58,945 करोड़ रु. का थ्रोफारवर्ड है। इसके अतिरिक्त, 1.4.2007 को उत्पादन इकाइयों और कारखानों से संबंधित कार्यों के लिए 6,375 करोड़ रु. का प्रत्याशित थ्रोफारवर्ड है।

(च) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए चल स्टॉक की आवश्यकता हेतु मौजूदा यूनिटों का क्षमता संवर्धन करने तथा नई यूनिटें लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन की मांग करके पहले ही योजना बना ली गई है। इस समय कोई और निर्माण इकाई लगाये जाने की योजना नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटक

2505. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शंघाई (चीन) में किसी भारतीय पर्यटन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अमेरिका और शेष विश्व से भारत का दौरा करने वाले पर्यटकों की तुलनात्मक संख्या कितनी है;

(घ) क्या विगत में चीन के पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा चीन के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

देश/क्षेत्र	2003	2004	2005
चीन	21152	34100	44897
दक्षिण-पूर्व एशिया	168926	209110	241408
यूरोप	903218	1210723	139354
अमेरिका	410803	526120	611165
शेष विश्व	1215901	1479947	162896

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपरोक्त चार्ट चीन से भारत के लिए पर्यटक आगमन में नियमित वृद्धि दर्शाता है।

(च) चीन से भारत में पर्यटक प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार से है:

* चीनी भाषा में पर्यटक साहित्य/प्रासंगिक सामग्री की छपाई एवं टीवी विज्ञापन तैयार करना।
* चीनी भाषा में "इनक्रेडिबल इंडिया" वेबसाइट शुरू करना।
* भारत में चीनी विद्वान जुआन झुआंग की यात्रा के 1500 वर्ष का समारोह मनाया गया और चीनी मीडिया सहित चीनियों के एक समूह ने नवम्बर 2006 में भारत की यात्रा की।

दोनों देशों के बीच टू वे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 को "इन्डो-चाईना इयर आफ फ्रेंडशिप थ्रू टूरिज्म" के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और चीन से पर्यटक आगमनों में वृद्धि करने के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियों की एक सीरीज के संचालन के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा रोड शोज का आयोजन, ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन एवं ब्रोशर सहायता प्रदान करना, मीडिया कर्मियों टूअर आपरेटरों एवं विचारकों को आमंत्रित करना और दोनों देशों से यात्रा व्यवसाय एवं मीडिया कर्मियों का आदान-प्रदान करना शामिल है।

इंडियन हॉस्पिटेलिटी चेन

2506. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईटीडीसी का विचार विदेशों में चल रही लीग ऑफ इंडियन हॉस्पिटेलिटी चेन में शामिल होने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने गंतव्यों को सूचीबद्ध किया गया है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) देश में आईटीडीसी के वर्तमान उद्यमों का किस सीमा तक पुनरुद्धार किये जाने की संभावना है; और

(ङ) आईटीडीसी द्वारा अभी तक जिन नए शुल्क मुक्त बिक्री केन्द्र ठेकों को अंतिम रूप दिया गया है और उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आई.टी.डी.सी. प्रबंध समय-समय पर अपने मुनाफों में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाता है। इनमें से हाल ही में उठाये गये कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) आंतरिक सृजित निधि द्वारा आई.टी.डी.सी. होटलों में मरम्मत, अनुरक्षण तथा आवश्यक नवीकरण कार्य।

(2) आई.टी.डी.सी. के विभिन्न कार्यकलापों की प्रमुख पुनरुद्धार योजना की तैयारी में अशोक होटल, नई दिल्ली का वृहत नवीकरण शामिल है।

(3) आई.टी.डी.सी. होटलों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई सेवाएं तथा सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(4) भारत तथा विदेशों में शुल्क मुक्त व्यापार के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ साझीदारी।

(5) इवेंट मैनेजमेंट बिजनस और अन्य नए आला उत्पादों में विविधता।

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान, गोवा और बंगलौर में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एयरपोर्टों में शुल्क मुक्त बिक्री केन्द्रों के लिए आई.टी.डी.सी. को ठेका दिया गया है। गोवा में शुल्क मुक्त बिक्री केन्द्रों के लिए सितम्बर, 2011 तक और बंगलौर में अप्रैल, 2008 तक के लिए ठेका है। इसके अतिरिक्त हाल ही में स्पेन की मैसर्स अलदीसा एसए के साथ आई.टी.डी.सी. को मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका दिया गया है।

जगुआर विमान दुर्घटना

2507. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 जनवरी, 2007 को राजस्थान में हुई जगुआर विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक पायलट की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जगुआर विमानों का उपयोग चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) राजस्थान में पोखरण क्षेत्र में 18 जनवरी, 2007 को एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक पायलट की मौत हो गई।

(ख) दुर्घटना के समय यह जगुआर विमान पोखरण क्षेत्र में सजीव आयुध परीक्षण उड़ान भर रहा था। ऐसी सभी दुर्घटनाओं की जांच एक जांच अदालत द्वारा की जाती है तथा तदनुसार उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ग) से (ङ) विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाना संक्रियात्मक आवश्यकताओं, बेड़े की उड़ान भरने की क्षमता तथा शेष जीवनकाल पर निर्भर करता है। इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल एवं गैस का उत्पादन

2508. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा तेल एवं गैस के उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप थीं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ओएनजीसी द्वारा इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के विगत तीन वर्षों अर्थात 2003-04 से 2005-06 के कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लक्ष्य/प्राप्ति के ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष		तेल का उत्पादन (एमएमटी)	गैस का उत्पादन (एमएमएससीएम)
2003-04	लक्ष्य	26.387	23317
	वास्तविक	26.057	23584
2004-05	लक्ष्य	26.174	22127
	वास्तविक	26.484	22970
2005-05	लक्ष्य	26.614	21406
	वास्तविक	24.404	22574

एमएमटी-मिलियन मीटरी टन

एमएमएससीएम-मिलियन मीटरी मानक घन मीटर

गैस उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है परन्तु निम्नलिखित कारणों से कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 2003-04 और 2005-06 में प्राप्त नहीं किया जा सका:

* वर्ष 2003-04 और 2005-06 के दौरान, तटीय परिसंपत्तियों में चल रही वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी (आईओआर/ईओआर) योजनाओं से परिकल्पित लाभ के विपरीत कम उत्पादन।
* 2005-06 के दौरान, जुलाई, 2005 में पूर्व बीएचएन प्लेटफार्म पर दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना के परिणामी प्रभाव।

रसोई गैस के लिए विपणन नीति

2509. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस के लिए विपणन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रसोई गैस के लिए विपणन नीति बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को उनके वाणिज्यिक आकलनों के अनुरूप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है और उनके द्वारा स्थानों की पहचान एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वहनीयता के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है। तथापि, सरकार ने अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने हेतु विपणन योजना तैयार करने के लिए ओएमसीज को सलाह दी है। ओएमसीज ने मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण (अर्द्ध शहरी) स्थानों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशप की स्थापना के लिए 791 स्थानों को शामिल करते हुए एक सामान्य उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेगी।

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5960/07]

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5961/07]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5960/07]

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5961/07]

(ग) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5960/07]

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5961/07]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-5960 और 5061/07]

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (ग्रुप 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2006 जो 26 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5962/07]

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5963/07]

(5) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5964/07]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5965/07]

(3) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5966/07]

(5) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट आफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5967/07]

(7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5968/07]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अपलाइड न्यूट्रीशन, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5969/07]

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2004-05 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5970/07]

(ख) (एक) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5971/07]

(ग) (एक) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2004-05 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5972/07]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): श्री ऑस्कर फर्नांडीस की ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5973/07]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई राठवा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5974/07]

(3) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फारमेशन सिस्टम्स के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फारमेशन सिस्टम्स के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5975/07]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियां, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियां, इलाहाबाद का वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5976/07]

....*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5977/07]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5978/07]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक 2007 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक 2007 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 9 मार्च 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं रेल मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं "निर्वाचन सुधार" के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 14 मार्च 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 14 मार्च 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे माने गये।

...(व्यवधान)

(एक) राजस्थान को व्यास नदी से जल का उचित हिस्सा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान रावी-व्यास नदी के जल में राजस्थान की शो हिस्सेदारी की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद पंजाब तथा हरियाणा के मध्य वर्ष 1955 में हुए समझौते के अनुसार जल विभाजित किया गया था और 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच व्यास नदी के जल बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था, इस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया जो कि अधिकांश जल का 52.70 प्रतिशत है। उस समय इंदिरा गांधी नगर परियोजना प्रारंभिक अवस्था में थी और राजस्थान सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं था। अब इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के उपयोग की स्थिति में है। राजस्थान अपने हिस्से के शो 0.6 एम.ए.एफ. जल को लौटाने के लिए केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को आग्रह कर रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की, जल की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान को अपने हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. पानी दिलाने के निर्देश पंजाब सरकार को देने का कष्ट करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) इंडो-एशियन मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत ''सुपारी के व्यापार'' को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर (दावणगेरे): भारत में सुपारी की खेती मुख्यत: कर्नाटक, केरल और असम तक ही सीमित है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अंडमान, गोवा और पश्चिम बंगाल में भी छोटे पैमाने पर सुपारी का उत्पादन होता है। कर्नाटक और केरल में लाखों किसानों की जीविका मुख्यत: सुपारी की खेती पर ही निर्भर करती है।

वर्तमान में, भारत में सुपारी का उत्पादन उसकी खपत से अधिक है। लेकिन वर्ष 1995 से पड़ोसी देशों जैसे इंडोनेशिया और श्रीलंका से भारत को सुपारी का निर्यात किया जाता रहा है क्योंकि भारत इसके लिए एक अच्छा बाजार है। आयातित सुपारी की गुणवत्ता बहुत घटिया है। बाद में केन्द्र ने सुपारी के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये थे। लेकिन फिर भी अवैध रूप से इसका आयात अभी भी जारी है। इस कारणवश, घरेलू बाजार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और देश के छोटे और सीमांत उत्पाद को इसका नुकसान हो रहा है।

भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते में सुपारी को संवेदनशील वस्तुओं की सूची में नहीं रखा गया है। अत: मैं केन्द्र से यह अनुरोध करता हूं कि:

(क) भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय सुपारी को संवेदनशील वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया जाए,

(ख) सुपारी का न्यूनतम, मूल्य रुपये 60 से 65 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाए;

(ग) आयातित सुपारी की गुणवत्ता प्रमाणित करने हेतु एक सक्षम अभिकरण नियुक्त किया जाए; और

(घ) एक ही पत्तन से सुपारी का भारत में आयात करने की अनुमति देकर इसे नियंत्रित किया जाए।

(तीन) गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई ''चिरंजीवी योजना'' के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): योजना आयोग और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने गुजरात सरकार से चिरंजीवी योजना का ब्यौरा मांगा है।

मैं सरकार से इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करती हूं क्योंकि यह प्रायोगिक स्तर पर भी बहुत सफल साबित हुई है।

(चार) उड़ीसा में सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये जाने वाले कृषि ऋण पर 2.2% की दर से अतिरिक्त ब्याज राज सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय, वित्त मंत्री जी ने 2006-07 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि:

> ''सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर अल्पावधिक ऋण मिल सके जिसकी मूलधन पर अधिकतम सीमा 3,00,000 रुपये हो। इसके लिए नाबार्ड को कुछ स्तर पर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी। मैं आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू होगी।''

इस घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार किसानों को दिये जाने वाले 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि उत्पादन ऋण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को ब्याज की मद में, 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

उड़ीसा में, सहकारी क्षेत्र के बैंक कृषि के क्षेत्र में लेन-देन के मामले में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उड़ीसा में स्थित सभी बैंकों द्वारा जितना कृषि ऋण प्रदान किया जाता है उसका 70 प्रतिशत भाग इन बैंकों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। नाबार्ड द्वारा 2006-07 और 2007-08 के दौरान मौसमी कृषि कार्यों हेतु ऋण प्रदान करने से संबंधित अपने नीतिगत परिपत्र में सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तों के कारण यह क्षेत्र 7 प्रतिशत ब्याज दर की योजना का कार्यान्वयन करने में स्वयं को असमर्थ पाएगा अत: इस कठिनाई को दूर करने हेतु यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार उड़ीसा और कालाहांडी, बोलंगीर और क्योंझर क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा सारे पुन: वित्तपोषित ऋणों के 40 प्रतिशत भाग को 2.5 प्रतिशत की रियायती दर से वित्तपोषित करने के अतिरिक्त भारत सरकार सहकारी क्षेत्र की ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले सारे कृषि ऋण के ब्याज पर 2.2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करेगी।

(पांच) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में घोषित किये गए कश्यप, निषाद और प्रजापति जातियों को अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों को विशेषकर कश्यप, निषाद व प्रजापति समाज को आर्थिक व सामाजिक स्तर के कारण अनुसूचित जातियों में परिवर्तित करने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में समय-समय पर कहा गया कि उक्त जातियां अनुसूचित जातियों में परिवर्तित हो चुकी हैं, परन्तु अभी तक उन जातियों को अनुसूचित जातियों की सुविधायें नहीं मिल रही हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए इन जातियों को अनुसूचित जातियों में परिवर्तन के निर्देश करें तथा अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाएं शीघ्र मिलनी प्रारंभ हो, ऐसा सुनिश्चित करने के आदेश दें।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट का उन्नयन और आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): मैं सरकार का ध्यान लंबे समय से चली आ रही बागडोगरा विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानपत्तन बनाने की मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है और आपको भी इसके संबंध में पत्र लिखे गये हैं। लेकिन अभी सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की है। कृपया इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बागडोगरा, सिलीगुड़ी शहर के निकट हैं जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग और तराई क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की समृद्ध सम्भाव्यताओं का पूरा दोहन करने के लिए विदेशों के विभिन्न विमानपत्तनों और चेन्नै, मुम्बई और बेंगलुरु जैसे घरेलू विमानपत्तनों से इसका विमान सम्पर्क स्थापित करने हेतु बागडोगरा विमानपत्तन का उन्नयन किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार ने पहले ही म्यांमार होते हुए सड़क मार्ग से दिल्ली और थाइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया है। चीन के साथ सीधा सड़क सम्पर्क स्थापित करने के लिए नाथूला दर्रे को खोला जा रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से पूरे उत्तरी बंगाल की औद्योगिक क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जायेगी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय नागर विमानन मंत्री जी को बागडोगरा विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का अनुरोध किया है। मैं आशा करती हूं कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाई गई इस मांग को पूरा करने पर पर्याप्त ध्यान देगी और पश्चिम बंगाल के लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी।

(सात) नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि और बोनस का भुगतान किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): नेवेल्ली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) की नेवेली इकाई में 13 हजार ठेका श्रमिक और इतने ही स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। यद्यपि, ये ठेका श्रमिक उन सभी इकाईयों में काम करते हैं जहां स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं तथापि उन्हें एक ही कार्य के लिए उनके बराबर वेतन नहीं मिलता है। जबकि स्थायी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया गया लेकिन ठेका श्रमिकों को इस आधार पर बोनस का भुगतान नहीं किया गया कि उनके साथ चल रही बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें इस शर्त पर 1500 रुपये की धनराशि प्रदान की गई कि यह राशि बातचीत के बाद निर्धारित किये जाने वाले बोनस या अनुग्रह राशि में से काट ली जायेगी। लेकिन गत नवम्बर से, श्रमिकों के साथ चल रही बातचीत के समाप्त होने से पूर्व ही एनएलसी ने ठेका श्रमिकों के वेतन में से यह अग्रिम धनराशि काटनी शुरू कर दी। इसके कारण अचानक ही वहां हड़ताल हो गई जिसमें स्थायी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों, दोनों ने भाग लिया। अब, चार महीनों के बाद भी अनुग्रह राशि के भुगतान या बोनस के भुगतान से संबंधित बातचीत आरंभ नहीं हुई है। आईओसी तथा बीएसएनएल दोनों में स्थायी श्रमिकों और ठेका श्रमिकों दोनों के लिए बोनस के भुगतान की बातचीत एक साथ आरम्भ हुई थी। ठेका श्रमिकों को मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अतः मैं केन्द्रीय कोयला मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस बातचीत को पूरा करे और अनुग्रह राशि और बोनस का निर्धारण करें तथा इससे पहले कि एनएलसी अपने ठेका श्रमिकों को नियमित करे तथा उन्हें भविष्य निधि, ई.एस.आई. तथा उपदान (ग्रेच्युटी) की सुविधाएं प्रदान करे, उनके लिए बोनस का भुगतान करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(आठ) देश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सदन के माध्यम से जनहित एवं राष्ट्रहित की प्रमुख समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब, किसान, मजदूर, दैनिक उपभोक्ता दामों में वृद्धि के कारण परेशान हैं। यहां तक कि भोजन भी मिलना दूभर हो गया है। आम आदमी घुटन महसूस कर रहा है। पिछले एक वर्ष में दामों में दुगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। भुखमरी से लोगों की मौत हो रही है। जमाखोरों एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ऐसी हालत बनी रही तो आने वाले दिनों में समस्या गंभीर हो जाएगी।

अस्तु, सदन से आग्रह है कि समस्या के समाधान हेतु किसानों को प्रोत्साहन दे ताकि जमाखोरों एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए एवं मूल्यवृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की कृपा करें जिससे समस्या का समाधान हो सके।

(नौ) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरिट के आधार पर अर्ह पाए जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण कोटे से हटाए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): देश में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। यूपीएससी जो उच्च पदों को नौकरियों पर नियुक्ति का कार्य करती है वह पिछड़े वर्ग के जो लोग मेरिट में होते हैं उनको भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जोड़ लेते हैं जबकि नियम के अनुसार मेरिट में आये लोगों के अतिरिक्त अलग से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसाकि इस सदन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रस्ताव के समय जो भावनायें और उद्देश्य व्यक्त किये गये हैं उनके अनुरूप पिछड़े लोगों के आरक्षण की व्यवस्था करवाई जाये जिससे सही मायने में पिछड़ों का विकास हो सके और उन्हें राष्ट्रीय धारा में लाया जा सके।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मैरिट में आये पिछड़े लोगों को आरक्षण श्रेणी में न जोड़ा जाये।

(दस) असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई विधान लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): केन्द्र सरकार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समग्र विकास हेतु पहल कर रही है। कृषि श्रमिक कुल ग्रामीण श्रमिक बल का 90% हिस्सा है। ग्रामीण भारत का यह भाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निर्धनों में भी निर्धनतम वर्ग से है और यह सामान्य तौर पर सरकार के प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की सुविधा से वंचित है।

देश के इन गरीबों की इस दुर्दशा का मुख्य कारण इन्हें शासित करने के लिए किसी व्यापक केन्द्रीय विधान का अभाव है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में असंगठित क्षेत्र के लिए चलायी जाने वाले सभी विकासकारी कार्यक्रमों की 50 प्रतिशत आर्थिक जिम्मेदारी का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा करने की घोषणा से यह समस्या और गंभीर हो गई है।

राज्य सरकारें सामान्यतया गंभीर वित्तीय संकटों में उलझी रहती हैं। निधियों की कमी के कारण एनआईजीए के अंतर्गत बहुत कम संख्या में रोजगार सृजित हो पाते हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम बन गए और उनके लिए बने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी का वहन करे।

(ग्यारह) ''विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष विकास अनुदान'' स्कीम के अंतर्गत पिछड़े जिलों के चयन संबंधी मानदंडों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मैं सरकार का ध्यान योजना आयोग द्वारा निर्धारित कुल साक्षरता के आधार पर पिछड़े जिलों में वास्तविक रूप से स्थापित पात्र विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले विशेष विकास अनुदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आयोग द्वारा निर्धारित किया गया 'कुल साक्षरता' का मानदंड, जो कि उन पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक समान रूप से सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है, स्वयं में विरोधाभासी हैं क्योंकि उच्च शिक्षा को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाना है जहां तुलनात्मक रूप से साक्षरता दर ऊंची है। यह योजना आयोग द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के विभिन्न

मानदंडों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के सिद्धांत के विरुद्ध भी है।

इसके परिणामस्वरूप बहुत से ऐसे पिछड़े जिले जो इसके पात्र हो सकते हैं व जिनका चयन योजना आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के रूप में किया गया है, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से वंचित हो गए हैं। उदाहरण के लिए, असम के धीमाजी और लखीमपुर जिले, जहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की है, व जिन्हें आर.एस.वी.वाई. और एन.आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत अनुदान पाने के लिए पिछड़े जिलों के रूप में माना गया है, वे भी इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

योजना आयोग आरएसवीवाई, एनआरईजीपी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए न्यूनतम इकाई के रूप में एक खण्ड का पहचान करने की संभाव्यता पर भी विचार करे क्योंकि एक खंड किसी एक विकसित जिले में औसत पिछड़ेपन के स्तर से कहीं नीचे की इकाई है और वह वर्तमान में केवल इसलिए ऐसा कोई अनुदान पाने से वंचित रह जाती है क्योंकि वह किसी पिछड़े जिले का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए हम जोरहाट जिले के मजूली और उजानी मजूली खंड तथा तिनसुकिया जिले के सादिया विकास खण्ड को किसी औचित्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन के तौर पर ले सकते हैं।

इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे इस विशेष अनुदान के लिए निर्धारित किये गये मानदंडों में संशोधन करें जिससे कि सभी को समान रूप से विकास का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभी दलों के माननीय नेताओं से अनुरोध है कि वे चैम्बर में आएं।

सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय, श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: जो कोई भी मेरी अनुमति के बिना बोलेगा उसका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब बंगाल में बहुत हत्याएं हुई थीं, तब एक दिन के लिए भी एन.डी.ए. सरकार ने दुख व्यक्त नहीं किया, आज ये पोलिटिक्स कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.32 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(इस समय, श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सरकार दोनों घटनाक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला और नंदीग्राम की घटना, पर वक्तव्य देने के लिए तैयार है ...*(व्यवधान)* हम कोई तथ्य नहीं छुपा रहे हैं ...*(व्यवधान)* जैसाकि छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय संसद सदस्य ने उल्लेख किया है, हम छत्तीसगढ़ की घटना के बारे में वक्तव्य देने को तैयार हैं। नंदीग्राम की घटना पर भी हम नवीनतम जानकारी देने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 16 मार्च, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 2007/25 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पी. करुणाकरन श्री एल. राजगोपाल	241
2.	श्रीमती नीता पटैरिया श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	242
3.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	243
4.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी श्री ब्रजेश पाठक	244
5.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री सूरज सिंह	245
6.	प्रो. एम. रामदास	246
7.	श्रीमती अर्चना नायक	247
8.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	248
9.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन श्री कैलाश मेघवाल	249
10.	श्री शिशुपाल एन. पटले प्रो. महादेवराव शिवनकर	250
11.	श्री महावीर भगोरा	251
12.	श्री के. सुब्बारायण श्री पी. मोहन	252
13.	श्री हरिभाऊ राठौड़	253
14.	श्री प्रभुनाथ सिंह	254
15.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	255
16.	श्री मोहन सिंह श्री अजय चक्रवर्ती	256
17.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री थावरचन्द गेहलोत	257
18.	श्री रघुनाथ झा	258
19.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	259
20.	श्री रशीद मसूद श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेब	2335
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2339, 2447, 2482, 2501
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2359, 2370
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2303, 2453, 2463
5.	अजनाला, डा. रतन सिंह	2444
6.	अनंत कुमार, श्री	2389
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2383, 2469
8.	अर्गल, श्री अशोक	2311, 2424
9.	आठवले, श्री रामदास	2333, 2336, 2443
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2453
11.	बर्मन, श्री हितेन	2332
12.	बर्मन, श्री रनेन	2306, 2439
13.	बसु, श्री अनिल	2494
14.	बखला, श्री जोआकिम	2297, 2414
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	2322, 2466
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2374
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2288, 2407, 2486
18.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2294
19.	बोस, श्री सुब्रत	2307
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2285, 2364, 2404
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2342

1	2	3
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2281, 2324, 2446
23.	चिन्ता मोहन, डा.	2330, 2429, 2440, 2498
24.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2334
25.	चौधरी, श्री पंकज	2366, 2459
26.	चौधरी, श्री अधीर	2314, 2431
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2320, 2428, 2431
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2471
29.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2444, 2499
30.	धोत्रे, श्री संजय	2355
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2363
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2292, 2502
33.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2338, 2347, 2398, 2445, 2480
34.	गांधी, श्रीमती मेनका	2331
35.	गंगवार, श्री संतोष	2352, 2360
36.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2355, 2368
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2442
38.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2372, 2461
39.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2369
40.	हुसैन, श्री अनवर	2400, 2484
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	2371, 2456
42.	जय प्रकाश, श्री	2377, 2401
43.	जयाप्रदा, श्रीमती	2299
44.	झा, श्री रघुनाथ	2474
45.	जिन्दल, श्री नवीन	2286, 2405
46.	जोगी, श्री अजीत	2348, 2502
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	2375
48.	कलमाडी, श्री सुरेश	2397
49.	करुणाकरन, श्री पी.	2493
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2305, 2422, 2491
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2375, 2379, 2467.
52.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2412, 2463, 2487, 2495
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2308, 2423, 2492
54.	कृष्ण, श्री विजय	2351, 2375, 2478
55.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2318, 2373
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2330, 2343, 2440, 2494
57.	लाहिरी, श्री समिक	2336, 2340
58.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2444
59.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2458
60.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2289, 2408
61.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2384, 2453
62.	महरिया, श्री सुभाष	2387
63.	महतो, श्री नरहरि	2300, 2415, 2496
64.	महतो, श्री टेक लाल	2361, 2501
65.	माझी, श्री परसुराम	2394
66.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2352, 2403, 2483
67.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2323

1	2	3
68.	मंडल, श्री सनत कुमार	2310, 2473
69.	माने, श्रीमती निवेदिता	2338, 2347, 2398, 2445, 2480
70.	मनोज, डा. के.एस.	2319, 2433, 2460
71.	मसूद, श्री रशीद	2438
72.	मेघवाल, श्री कैलाश	2432, 2439, 2450, 2505
73.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2328
74.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2458
75.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2303, 2384
76.	मो. ताहिर, श्री	2326, 2345, 2432, 2441, 2479
77.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2344
78.	मंडल, श्री अबु अयीश	2341, 2448
79.	मुर्मु, श्री हेमलाल	2345, 2449, 2503, 2504
80.	नन्दी, श्री अमिताभ	2333, 2386
81.	निखिल कुमार, श्री	2431
82.	ओराम, श्री जुएल	2315, 2426
83.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2296, 2413, 2488
84.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2280, 2418, 2487, 2490
85.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2364
86.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2301, 2403, 2416, 2489
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2282, 2505
88.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2437, 2508
89.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2321, 2350, 2452, 2481, 2506
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	2326, 2345, 2441, 2475
91.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2326, 2345, 2432, 2441
92.	पिंगले, श्री देविदास	2312
93.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2376, 2465
94.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2391, 2453
95.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2284, 2402
96.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2349, 2451
97.	राजगोपाल, श्री एल.	2419
98.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2452
99.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2373, 2462
100.	राणा, श्री काशीराम	2356, 2446
101.	राव, श्री के.एस.	2377, 2494
102.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2457, 2507
103.	राठौड़, हरिभाऊ	2435
104.	रावले, श्री मोहन	2333, 2362
105.	रावत, श्री अशोक कुमार	2354
106.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2333
107.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2304, 2333, 2420, 2450
108.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2337
109.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2375, 2464
110.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2333
111.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2456

1	2	3
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2359, 2455, 2509
113.	साई प्रताप, श्री ए.	2353, 2453
114.	सांगवान, श्री किशन सिंह	2395
115.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2341, 2355, 2421, 2495
116.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2346
117.	सत्पथी, श्री तथागत	2293, 2411
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2380, 2468
119.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2287, 2340, 2406, 2485
120.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2391, 2393, 2453
121.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2317, 2427, 2503
122.	शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2385, 2470
123.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2339, 2447, 2482, 2501
124.	शिवन्ना, श्री एम.	2396
125.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2326, 2341, 2432, 2475
126.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2291, 2333, 2410
127.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2324, 2370
128.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2309
129.	सिंह, श्री दुष्यंत	2392, 2476
130.	सिंह, श्री गणेश	2364, 2358
131.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2338, 2398, 2445, 2480, 2500

1	2	3
132.	सिंह, श्री मोहन	2436
133.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2302, 2417, 2497
134.	सिंह, श्री राकेश	2313, 2335, 2477
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	2321, 2350, 2452, 2481, 2506
136.	सिंह, श्री उदय	2314, 2425
137.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	2378, 2381
138.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2365, 2458
139.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2283, 2381, 2397
140.	सुब्बारायण, श्री के.	2434
141.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2316, 2430, 2495
142.	सुमन, श्री रामजीलाल	2343, 2429, 2494, 2498
143.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2342
144.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2298
145.	थामस, श्री पी.सी.	2388, 2472
146.	टुम्मर, श्री वी.के.	2367, 2402, 2508
147.	तीरथ, श्रीमती कृष्णा	2381, 2498
148.	तोपदार, श्री तरित बरण	2329
149.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2403, 2483
150.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2325, 2429, 2496
151.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2357, 2454
152.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2356, 2367

1	2	3
153.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2388
154.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2382, 2482
155.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2327
156.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	2437
157.	यादव, श्री गिरिधारी	2295
158.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिह	2326, 2345, 2479
159.	यादव, श्री राम कृपाल	2290, 2409
160.	यास्खी, श्री मधु गौड	2390
161.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2399, 2450, 2495

अनुबंध *II*

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	242, 259
संस्कृति	:	258
रक्षा	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	246, 253, 254
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	241, 243, 248, 251, 256
रेल	:	249, 250, 257
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	245, 247, 252, 260
पर्यटन	:	244, 255

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2291, 2307, 2313, 2332, 2341, 2347, 2349, 2355, 2363, 2375, 2387, 2388, 2389, 2415, 2419, 2421, 2428, 2437, 2446, 2451, 2456, 2458, 2460, 2464, 2495, 2496, 2497
संस्कृति	:	2292, 2304, 2315, 2316, 2327, 2346, 2356, 2370, 2393, 2395, 2426, 2472, 2488, 2490, 2500
रक्षा	:	2280, 2282, 2286, 2297, 2311, 2317, 2319, 2321, 2322, 2331, 2337, 2348, 2357, 2361, 2368, 2379, 2392, 2401, 2403, 2427, 2433, 2435, 2444, 2447, 2453, 2454, 2468, 2477, 2483, 2484, 2499, 2501, 2507
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2287, 2290, 2353, 2359, 2373 2486
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2318, 2350, 2376, 2411, 2414, 2420, 2423, 2466
अल्पसंख्यक मामले	:	2296, 2335, 2336, 2340, 2343, 2344, 2378, 2382, 2413
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2289, 2301, 2305, 2314, 2324, 2325, 2326, 2328, 2329, 2330, 2333, 2338, 2364, 2374, 2377, 2399, 2400, 2410, 2416, 2422, 2425, 2429, 2430, 2440, 2442, 2445, 2449, 2450, 2452, 2455, 2462, 2463, 2476, 2478, 2482, 2487, 2489, 2491, 2492, 2494, 2502, 2508, 2509

रेल	:	2281, 2283, 2284, 2285, 2293, 2294, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303, 2306, 2308, 2309, 2312, 2320, 2323, 2339, 2342, 2345, 2351, 2352, 2358, 2360, 2362, 2365, 2366, 2367, 2369, 2372, 2380, 2383, 2384, 2386, 2391, 2394, 2396, 2402, 2404, 2405, 2407, 2408, 2412, 2417, 2432, 2434, 2436, 2439, 2441, 2443, 2448, 2459, 2469, 2470, 2471, 2479, 2485, 2493, 2503, 2504
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2295, 2354, 2371, 2381, 2409, 2418, 2424, 2438, 2465, 2473, 2474, 2475, 2498
पर्यटन	:	2288, 2310, 2385, 2390, 2397, 2398, 2406, 2431, 2457, 2461, 2467, 2480, 2481, 2505, 2506.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/26/14/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।